राजस्थान विधान सभा

पंचम बैठक, गुरुवार, ११ मार्च, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर में प्रातः ८ बज कर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १२०

सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कृषि-सम्बन्धी कार्य

श्री शिवदान सिंह—क्या सामूहिक विकास योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) प्रत्येक कौम्युनिटी सेन्टर पर योजना के अंतर्गत कितनी नौ तौड़ जमीन काबिल काश्त बनाई गई और उससे किस-किस जिन्स की कितनी-कितनी पैदावार बढ़ी ?

(ख) किस-किस जगह पर कितने-कितने नए बाँध बाँधे गए व नए तालाब व नई नहरें निकाली गई और उन तालाबों व नहरों से कितनी-कितनी जमीन में किस-किस जगह पर सिंचाई होना शुरू हो गया है ?

(ग) क्या कोई रकम तकावी में तहसील खमनौर में इस वर्ष बाँटी गई है ?

(घ) राष्ट्रीय सप्ताह व राष्ट्रीय पक्ष के अवसर पर जिला उदयपुर में किस-किस जगह कौन-कौन से नए कार्य शुरू किए गए ? उनमें से कितने पूर्ण हो गए और कितने अधूरे हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—विकास खंडों में जहाँ १९५२ में सामुदायिक विकास-योजना का कार्य शुरू किया गया था, जितनी भूमि खेती योग्य बनाई गई व जिस जिस जिन्स की जितनी-जितनी पैदावार बढ़ी उसकी सूची सदन की मेज पर रखी जाती है।

(ख) जिस-जिस जगह पर जो-जो नए बाँध, तालाब व नहरें बनाई या बनाई जा रही हैं उसका विवरण भी सदन की मेज पर रखा जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री हरिदेव जोशी—डूंगरपुर में क्या-क्या हुआ उसकी सूची तो पढ़ दीजिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न ही ऐसा है; कई मंत्रियों को जवाब देने के लिए खड़ा होना होगा।

(ग) तहसील खमनौर में इस वर्ष दो किस्म की तकावी दी गई है।

(१) एग्रीकल्चर (कृषि) तकावी के लिए १०,००० बँटवारे में दिए गए। उसमें से ८,२२० रु. काश्तकारान को वितरण करने की मंजूरी दी जा चुकी है।

(२) रेवेन्यू (राजस्व) तकावी के लिए जो ५,००० रु. की मंजूरी हुई उसमें से आज तक १८०० रु. दिए गए हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल— (घ) राष्ट्रीय सप्ताह व राष्ट्रीय पक्ष के अवसर पर जिला उदयपुर में जो काम शुरू किए गए थे उनकी सूची मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या और किसी किस्म की भी तकावी दी गई है?

श्री सुखाड़िया—जी हाँ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—रायसिंह नगर में किस किस्म की तकावी दी गई?

श्री सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—इसके लिए मैं नोटिस चाहता हूँ। यह प्रश्न तो खमनौर से ताल्लुक रखता है।

प्रश्न संख्या १२१

राष्ट्रीय सप्ताह में खमनौर तहसील में तालाबों व सड़कों का निर्माण व उद्घाटन तथा चम्बल प्रोजेक्ट से नाथद्वारा के समीप से बिजली की लाइन

श्री शिवदानसिंह—क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे?

(१) गत राष्ट्रीय सप्ताह में खमनोर तहसील में कितने तालाब व सड़कों के निर्माण व उद्घाटन हुए; उनमें से कितनों का काम इस वक्त चालू है? अगर नहीं है तो इसका क्या कारण है और अगर चालू है तो कितने समय में सड़कें व तालाब बन जावेंगे?

(२) क्या यह सच है कि चम्बल प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाली बिजली की मेन लाइन नाथद्वारा गाँव से बहुत दूर डाली जायगी?

(३) यदि यह सच है तो क्या मेन लाइन नाथद्वारा गाँव के पास से होकर नहीं निकाली जा सकती है?

Page No.3

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—१ गत राष्ट्रीय सप्ताह में खमनोर तहसील में निम्नलिखित तालाबों व सड़कों का निर्माण हुआ, टांटोल, कुरवा, गोडच

(ख) नाथद्वारा बागोल सड़क दो मील का टुकड़ा।

२ हां।

३ यह प्रश्न विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या १२२

राष्ट्रीय सप्ताह में सार्वजनिक कार्य के लिए स्वीकृत रकम में से भीलवाड़ा जिले में खर्चा

(प्रश्न कर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री अध्यक्ष ने श्री जवान सिंह को प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की)

श्री **अमर सिंह**—क्या विकास योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

गत राष्ट्रीय सप्ताह में प्रत्येक जिले में एक लाख रुपये सार्वजनिक कार्य में खर्च करने की मन्जूरी हुई थी; उसमें से भीलवाड़ा जिले में कितना खर्च हुआ और क्या क्या काम बनें ?

श्री **टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)**—ऐसी कोई मन्जूरी नहीं हुई; अतः उस रकम में से खर्च करने और काम बनने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री **शिवदानसिंह**—जो काम राष्ट्रीय सप्ताह में शुरू किये गये उनमें से क्या कोई काम सम्पूर्ण हुए हैं ?

श्री **पालीवाल**—अधिकांश कार्य तो पूरे हो गये हैं, कुछ बाकी भी हैं।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—जो अधूरे हैं या बाकी हैं, उनको कब पूरा किय जायगा ?

श्री **पालीवाल**—अवश्य पूरे किये जायेंगे।

श्री शिवदान सिंह— मुझे यह मालूम है कि खमनोर तहसील में राष्ट्रीय सप्ताह में किसी भी प्रकार का काम शुरू नहीं हुआ।

श्री **टीकाराम पालीवाल**-- उदयपुर ज़िले में खमनोर भी आ जाता है।

श्री **राज हिम्मतसिंह अटरू**— यह जो श्रमदान सप्ताह है, वह बार-बार क्यों पोस्टपोन किया जाता है, इसका क्या कारण है ?

श्री **टीकाराम पालीवाल**— असेम्बली का सेशन नजदीक आ गया था। ऐसी आशा की जाती थी कि असेम्बली के सदस्यगण भी अपने क्षेत्र में काम करेंगे इसलिए पोस्टपोन किया गया है।

श्री राज हिम्मतसिंह अटरू— मई और जून में श्रमदान कराया जायगा ?

श्री पालीवाल— हां, अवश्य कराया जायगा।

कुं० श्री जसवन्त सिंह— राजस्थान के बाहर का कोई सवाल ही नहीं है, राजस्थान के अन्दर का है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इधर बैठने वालों की योजनायें कितनी मन्जूर की गईं ?

श्री जयनारायण व्यास— योजनायें जो आई हैं चाहे इस तरफ के सदस्यों द्वारा आई हों या उस तरफ के सदस्यों की योजनायें आई हों, उन पर विचार किया गया है। पर, अगर योजनाएं ही नहीं आई हों, तो फिर उस ओर का और, इस ओर का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२३

पीपलिया आलनियास में अधूरा बंधा बन्ध

श्री भोपालसिंह— क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या पीपलिया आलनियास में एक बन्धा अधूरा बन्धा हुआ है ?

(ख) क्या उसे पूरा बन्धाया जावे तो इसकी आमदनी अच्छी होने की उम्मीद है ?

(ग) क्या इसकी लागत ६ साल में ही वसूल हो सकती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल-(सिंचाई मन्त्री)— (क) हां।

(ख) इसकी अभी जाँच जारी है।

(ग) यह शंकास्पद है। भाग्यवश यह नाला भी लूनी में गिरता है जिससे जसवन्त सागर बाँध भरा जाता है। इसको बाँधने के लिए सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है, जिससे कि जसवन्त सागर के किसानों व उनकी पैदावार में कमी न आवे।

श्री भोपाल सिंह— यह नाला जो पड़ता है, वह ऐसा नहीं है कि जिसका कोई असर पड़ता हो।

श्री टीकाराम पालीवाल— धन्यवाद, आपकी इस सूचना के लिए।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२४

श्री अध्यक्ष— श्री खेतसिंह।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२५

कृषि विभाग के लिए मशीनों के क्रय के सम्बन्ध में टेन्डर

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the minister for agriculture be pleased to answer:—

(a) Has the state government invited tenders for purchase of machinery for the agriculture department ?

(b) If so, what is the approximate value of the machinery intended to be purchased ?

(c) What was the last date for the receipt of tenders ?

(d) Have the tenders been opened ? If so, by whom ? Were the tenders opened in presence of the tenderers ?

(e) Did the government constitute any purchasing committee to decide this matter ?

(f) If so, what happened to the Committee ?

(g) Has any tender been accepted ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मन्त्री)— (अ) हां।

(ब) १० लाख रुपए।

(स) ३० नवम्बर, ५३।

(द) हां, टेन्डर्स अध्यक्ष कृषि विभाग ने टेन्डर देने वालों के सामने खोले।

(इ) हां।

(फ) कमेटी ने जाँच करके अपनी तजवीज सरकार को पेश कर दी है।

(ज) कमेटी की रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कमेटी की जाँच करने के बाद इस प्रश्न को रिओपन करके क्या कोई डिसीज़न किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर विचार करके फैसला करने के पहले यह नया तरीका अख्तियार करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसलिए कि उसके अंदर एक ट्रैक्टर के सम्बन्ध में, उन्होंने जो प्रिंटेड मैटीरियल दिया था उसके अनुसार उसका कन्जम्पशन, एक्जेक्टली तो मुझे इस समय याद नहीं, कुछ पोइन्ट बताया था; उसपर ऐतराज किया गया था कि सही नहीं है, जब कि उनका कहना था कि वह सही है। इसलिए प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन लेकर ही सही राय उसके बारे में दी जा सकती थी। यही बड़ा सवाल था। कमेटी के सदस्य भी इससे सहमत थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जो स्पेसिफिकेशन्स सरकार ने विज्ञप्ति जारी करके चाहे थे उसमें फिट न बैठने वाले टेन्डरर्स को भी उस डिमोन्स्ट्रेशन में शामिल किया गया था ?

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया—नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उन स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार ३५-४० हैल पॉवर्स तक का होना जरूरी था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या यह भी सही है कि इन स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार न आने वाले ट्रैक्टर्स और फर्मों को भी इसमें शामिल किया गया था, जिनके पास ३० और ३१ पावर्स के ही ट्रैक्टर्स थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं। जो आप मुगालते में हैं वह मैं साफ कर दूं कि जर्मन हॉर्स पॉवर्स कम भी हों तो वे स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार ३४-३५ प्रैक्टिस में काम करने वाले माने जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—३४ तो पैंतीस से कम हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कहा ३५।

एक सदस्य—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई सहायता देने से इन्कार कर दिया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

कुँ श्री जसवन्तसिंह—प्रश्न संख्या १२४ इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, उसे भी अब पूछे जाने की आज्ञा दिलावें।

श्री अध्यक्ष—Once Called, a question cannot be taken again.

Page No.7

श्री हरिकृष्ण व्यास—Very important please.

(विराम)

क्या यह सही नहीं है कि जिस फर्म से यह प्रश्न सम्बन्धित है, उन्होंने खुद ने ३४.२ से ज्यादा क्लेम नहीं किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसके बारे में आप और भी जाँच करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next.

प्रश्न संख्या १२६

सन् १९५३-५४ में जोधपुर डिवीजन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित वन-जातियों तथा दलित वर्ग के सहायतार्थ तथा उन्हें समान स्तर पर लाने के लिए व्यय

श्री खेतसिंह—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) सन् १९५३-५४ में जोधपुर डिवीजन में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित वन-जातियां तथा दलितवर्ग के सहायतार्थ तथा उन्हें अन्य वर्गों के समान स्तर पर लाने के लिए कितना रुपया खर्च किया गया तथा वह रुपया किस किस स्थान पर खर्च हुआ।

(ख) सन् १९५४-५५ में उपरोक्त जातियाँ तथा दलितवर्ग के सहायतार्थ कितना रुपया खर्च करने की योजना सरकार के पास है ? यह रुपया किस किस प्रकार के कार्यों में किस-किस स्थान पर कितना कितना खर्च किया जायगा ?

(ग) जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर कोटा व जयपुर डिवीजनों में अलग-अलग कितना रुपया खर्च किया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) सन् १९५३-५४ में जोधपुर डिविजन में अनुसूचित वन जाति, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के कल्याणार्थ द्रव्य करीब ८०,५०० रुपया स्वीकृत किया गया है। इस द्रव्य में से कितना वास्तव में खर्च हो चुका है, उसका हिसाब इस समय नहीं लग सकता है।

ब्योरा इस प्रकार है

नाम योजना	द्रव्य जो स्वीकृत किया गया
१. खेती के विकास के निमित्त कुए खोदने के लिये सहायतार्थ	
(१) तहसील सिरोही जिला सिरोही	२,५०० रु०

Page No.8

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(२) तहसील रहधार जिला सिरोही	७,००० रु०
(३) तहसील पिन्डवाड़ा जिला सिरोही	४,५०० रु०
(४) तहसील शिवगंज जिला सिरोही	४,००० रु०
(५) तहसील पाली जिला पाली	१,५०० रु०
(६) तहसील बाली जिला पाली	५,००० रु०
(७) तहसील देसूरी जिला पाली	२,००० रु०
(८) तहसील सोजत जिला पाली	२,५०० रु०
(९) तहसील जयतारण जिला पाली	३,५०० रु०
(१०) तहसील जालौर जिला जालौर	२,००० रु०
	३४,५०० रु०

२. पानी पीने के कुओं के लिये सहायतार्थ

(१) ग्राम कालेन्द्री जिला सिरोही	३५० रु०
(२) ग्राम नावा जिला जोधपुर	६०० रु०
	९५० रु०

३. बाढ़ पीड़ित सहायतार्थ

(१) ग्राम जवाली तहसील देसूरी जिला पाली	३६९ रु०
(२) ग्राम खोड तहसील देसूरी जिला पाली	४११ रु०
(३) ग्राम बालोतरा तहसील देसूरी जिला पाली	८० रु०
	८६० रु०

४. छात्रवृत्ति के निमित्त	१०,००० रु०
५. जोधपुर छात्रावास	१४,२५० रु०
६. प्राथमिक व रात्रि पाठशालाओं पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर	३,२५० रु०
७. कॉपरेटिव सोसायटी पाली	५,००० रु०
८. छुआछूत निवारण की विविध योजनार्थ	८,०३० रु०
९. प्रशासन, पर्यवेक्षण व प्रकीर्ण व्यय	३,५६० रु०
	८०,५०० रु.

(ख) सन् १९५४,५५ की नई योजनायें अभी विचाराधीन हैं।

[जब उत्तर दाता अपना उत्तर समाप्त करने को ही थे कि श्री खेतसिंह ने बीच में पूछा]

Page No.9

श्री खेतसिंह— यदि यह उत्तर टेबल पर रख दिया जावे तो मैं देख लूंगा।

श्री भोगीलाल पंड्या— नहीं, अब तो बहुत थोड़ा-सा रह गया है।

श्री धर्मपाल— क्या मन्त्री महोदय कृपा करके यह बतलावेंगे कि बीकानेर जिले में इन जातियों के लिए कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या— आप प्रश्न पूछिये तो इसका भी जवाब इसी तरह से दे दिया जावेगा।

श्री हजारीलाल शर्मा— योजना अगले साल की नहीं बताई गई।

श्री भोगीलाल पंड्या— अगले साल की योजना बनी नहीं है, तो कैसे बताई जावेगी।

श्री अध्यक्ष—The hon'ble Member should address the chair.

श्री भोगीलाल पंड्या— मुझे जो पूछता है उसकी तरफ देखना ही पड़ता है।

श्री खेतसिंह— क्या इस उत्तर से मैं यह समझूं कि जोधपुर जिले में कोई भी इन जातियों में से नहीं रहता ?

श्री भोगीलाल पंड्या— ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को सुना नहीं। सुना होता तो मालूम होता कि १४,२५०) रुपया तो केवल जोधपुर शहर में ही खर्च किया जाता है। जिले के और भी स्थान हैं, जहाँ सहायता दी गई है, आपने सुना नहीं।

प्रश्न संख्या १२७

बृहत् राजस्थान बनने के पश्चात् तालाबों का निर्माण

श्री शिवदान सिंह— क्या योजना मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) बृहद् राजस्थान बनने के बाद कितने नये तालाब बने ?

(ख) उनमें से कितने फूट गये और कितने ठीक हालत में हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)— (क) बृहद् राजस्थान बनने के बाद कुल ३८ नये तालाब बनाये गये व इनके अतिरिक्त बहुत से टूटे हुए तालाबों का पुनः निर्माण किया गया।

(ख) उनमें से कोई नहीं फूटा।

प्रश्न संख्या १२८

राजस्थान में प्राप्त हुए नए खनिज पदार्थ

श्री खेतसिंह— Will the minister for mines department be pleased to state:—

(i) What kind of new minerals are reported to have been found in Rajasthan and at what places?

(ii) What steps have been taken by the state government for exploiting such new finds?

श्री जयनारायण व्यास— (i) There are atleast 30 different economic minerals found in Rajasthan and their occurrences will number in hundreds. Some of the most important minerals are given below and their occurrences are given in broader zones :—

NAME OF MINERAL...	LOCALITY ZONE.
Mica & beryl	Bhilvara, Udaipur, Dungarpur, Jodhpur, Kishangarh, Jaipur, Tonk, Bharatpur.
Soapstone...	Bhilwara, Udaipur, Jaipur, Dungarpur.
Ealcita..	Udaipur, Jaipur, Bikaner.
Lead Zinc ore...	Udaipur, jaipur.
Copper ore...	Jaipur, Alwar.
Manganese ore ..	Banswara, Udaipur, Jaipur.
Tungsten ore...	Jodhpur.
Coal (lignite)...	Palana (Bikaner).
Gypsum...	Jodhpur, Bikaner.
Fuller's earth...	Jodhpur, Bikaner.
Selenite...	Bikaner.
Barites...	Alwar.
Emerald...	Udaipur.
Garnet...	Jaipur, Kishangarh, Bhilwara.
Iron ore...	Jaipur, Udaipur.
Marble...	Udaipur. Jodhpur, (Makrana) Jaipur.
Sandstone...	Kotah, Bharatpur, Dholpur, Karauli, Jhalawar, Jodhpur, Bikaner.
Lime stone...	Jodhpur, Udaipur, (Chittorgarh), Kotah, Jaipur, Jaisalmer, Bundi, Jhalawar.

Page No.11

During the recent field work of the department of mines and geology reconnaissance survey for the following minerals have been made:—

Copper ore	Delwara (Udaipur), Bundi, Jhalawar.
Iron ore	Udaipur, Bundi.
Barytes	Hathori (Bharatpur).,

(ii) Whenever a new deposit is found a geological survey is undertaken to examine the possibility as to whether it is good enough to warrant detailed exploration and prospecting and if this in turn reveals the possibilities of economic exploitation of the mineral deposit, this is subsequently under taken either departmentally or by throwing it open for private enterprize in accordance with the mineral concession rules, 1949. Departmental prospecting had been taken up in the past for manganese ore, iron ore, fluorite and Ilmenite and at present it is being carried out for barytes, iron ore, copper ore, etc. at several places.

कुँ. श्री जसवन्त सिंह—पहला सवाल माननीय खेतसिंह जी ने न्यू मिनरल्स का पूछा है, लेकिन जहाँ तक मैं खयाल करता हूँ माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जितने भी मिनरल्स राजस्थान में मिलते हैं उन सबका बयान कर दिया है; कृपा कर वह बतलावें। जहाँ तक बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, जो मिनरल्स आपने फरमाये हैं, वे राजस्थान बनने के बाद नहीं, उससे पहले से ही सैंकड़ों वर्षों से वहाँ से निकलते हैं। नये मिनरल्स का सवाल है।

श्री जयनारायण व्यास—पुरानों से आपको पता लग जायगा। जो ओरीजिनल क्वेश्चन मेरे पास आया था उसमें सब का पूछा था। I got the reply for this. लेकिन जो छपे हुए हैं उनमें "New minerals" हैं। या सारे मिनरल्स हैं; इनमें नये भी शामिल हैं और पुराने भी शामिल हैं।

कुं. श्री जसवन्त सिंह—यह सवाल का जवाब नहीं हुआ।

श्री खेतसिंह—Any way मैं इस उत्तर से संतुष्ट हूँ। (हँसी)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

The original question was, "What kind of minerals are reported to have been found in Rajasthan." But the office people they were rather more expert and therefore they have put "new".

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन मिनरल्स में से कौन से इस पोर्टफोलियो के इन्चार्ज मेम्बर साहब के लिए प्राफिटेबल (Profitable) हुए हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं तो सब को प्रोफिटेबल समझता हूँ। कौन सा मिनरल किस वक्त प्रोफिटेबल साबित हो सकता है, इसके बारे में ज्योतिषी की तरह भविष्य वाणी नहीं कर सकता हूँ।

श्री एच० के० व्यास–Is the government intending to do general geological survey ?

श्री अध्यक्ष–General geological survey, the government is intending to take.

श्री जयनारायण व्यास–This may be taken later on.

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट

प्रश्न संख्या १२६

पम्पारान्डा गोन्डा के नाले को आडा रास्ता के समीप बाँध कर पालड़ी के सर को भरना

श्री भोपालसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित, प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या पम्पारान्डा गोन्डा के बहाले को आडा रास्ता के पास बाँध कर पालड़ी के सर को भरने में सरकार हजारों मन गेहूँ, चने की उपज के बढ़ने की उम्मीद करती है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस सर के भरने से दस-दस कोस तक बेरों में पानी बढ़ सकेगा ?

(ग) क्या यह भी सच है कि यह सर कुदरती पालों से बन्धा हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) प्रारम्भिक जाँच बताती है कि नाला बांधने से गेहूँ और चने की उपज नहीं बढ़ सकती है । फसल खरीफ पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

(ख) बेरों में पानी नहीं बढ़ सकता है ।

(ग) हां, यह प्राकृतिक बना हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—इस प्रश्न की भाषा मराठी है या हिन्दी ? इसमें लिखा हुआ है "पम्पारान्डा गोन्डा के बहाले" । (हँसी)

श्री टीकाराम पालीवाल—प्रश्नकर्ता से पूछिए ।

प्रश्न संख्या १३०

मेड़ता तहसील के बंधों को बँधवाने सम्बन्धी प्रार्थनापत्र

श्री भोपालसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

१. क्या मेड़ता तहसील के बंधों को बँधाये जाने के मुतल्लिक पहले भी प्रार्थनापत्र पेश किया जा चुका है ?

[श्री भोपाल सिंह]

२. यदि हां, तो उस पर क्या हुक्म हुआ है और उसको पेश किए कितना अर्सा हुआ है ?

३. अब कब तक उम्मीद करें कि इसकी मन्जूरी हो जायेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। आने पर जांच की जायगी।

श्री भोपालसिंह (वि० सं० २०)—मैंने दो-तीन प्रस्ताव भेजे हैं, उनकी सुनवाई नहीं की गई है।

श्री टीकाराम पालीवाल—आपने जो भेजे हैं वे अवश्य भेजे होंगे, लेकिन मेरे पास नहीं पहुँचे हैं।

(हँसी और एक आवाज "बीच में ही रह गये")

श्री भोपालसिंह—क्या रजिस्टर्ड पोस्ट भी गुम हो जाती है ?

श्री अध्यक्ष—(श्री पालीवाल को संकेत करते हुए) They have been sent by registered post.

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं नहीं जानता हूँ। डिपार्टमेंट में नहीं पहुँचे हैं।

प्रश्न संख्या १३१

सन् १९५३-५४ में जिला कृषि अधिकारी द्वारा गेहूँ के बीज खरीदना

श्री हरिकृष्ण व्यास-Will the minister for agriculture be pleased to answer:-

(a) Did the government purchase any wheat for seed through the District Agriculture Officer, Pali, during the first six months of 1953–54 ?

(b) If so, what was the quantity purchased and at what pirce ?

(c) Who certified to the quality of the wheat ?

(d) Have any samples been sent for report to the departmental botanist ?

(e) If so, what is his report ?

(f) Will the government place his report on the table ?

(g) What action has been taken in the matter ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—(अ) हां।

[श्रीमोहनलाल सुखाड़िया]

(ब) ८३२६ मन ७ सेर १२ छटांक बीज के लिए गेहूँ १७ रु० प्रति मन की दर से खरीदे गये थे।

(स) जिला कृषि अधिकारी।

(द) गेहूँ के बीज को देखने के लिए अध्यक्ष, कृषि विभाग ने इकोनामिक बोटेनिस्ट को पाली भेजा था।

(इ) इकोनामिक बोटेनिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह बीज ए क्लास का नहीं था।

(फ) रिपोर्ट की नकल सदन की मेज पर रखी है।

(ज) इस सम्बन्ध में जाँच की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रिपोर्ट की नकल, जैसा कि इसमें कहा गया है कि इसके साथ संलग्न है, उसकी कापी मुझे मिल जानी चाहिए थी, वह नहीं आई है।

श्री सुखाड़िया—वह छोटी-सी है, मैं पढ़ दूँ।

"I have inspected the wheat samples from the D.A.O., Pali's stock. In my opinion it is not 'A' Grade. It contains 10 to 15 % mixture of other than C--591 wheat. Besides it has some barley and rape mixture."

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह था कि खरीदने के पहले उसकी क्वालिटी के बारे में जाँच करवाई गई थी।

श्री सुखाड़िया—खरीदने के पहले तो हर जगह इकोनामिक बोटेनिस्ट नहीं जा सकता। अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और इन्सट्रक्शन्स दिए जाते हैं और उसके मुताबिक खरीदने के लिए एक्सपेक्ट (expect) किए जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—खरीदने के पहले कौन से अधिकारी ने यह सर्टिफाई (certify) किया था कि यह खरीदने के काबिल है।

श्री सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि पाली डी. ए. ओ. ने।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बाद में इकोनामिक बोटेनिस्ट ने यह रिपोर्ट सबमिट (submit) की तो झूठा सार्टिफिकेट देने के लिए उस अधिकारी पर कार्यवाही की गई या नहीं?

श्री सुखाड़िया—मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसके बारे में जाँच डिपार्टमेंट लेवल पर चालू है।

Page No.15

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने दिन से जाँच जारी है ?

श्री सुखाड़िया—निश्चित समय तो नहीं कह सकता । डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने के लिए महीने भर पहले ऑर्डर मेरे पास से जारी हुए थे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार को इस बात का ध्यान है कि इस वाके को हुए महीनों गुज़र चुके हैं और लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका है ।

श्री सुखाड़िया—लाखों रुपयों के नुकसान की बात तो ज्यादा कही गई है । इसकी सरकार सीरियस व्यू से जाँच कर रही है । इन्क्वायरी डिपार्टमेंटली इन्स्टीट्यूट की जा चुकी है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस इन्क्वायरी के फाइन्डिंग्ज़ पर सरकार ने जो कार्यवाही की उसे सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार हैं ?

श्री सुखाड़िया—मैं समझता हूँ उसके बाद ही आप जानकारी प्राप्त करते हैं ।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही बात है कि कुछ अफसर ज़लील करना चाहते हैं ?

श्री सुखाड़िया—यह भी हो सकता है ।

प्रश्न संख्या १३२

सन् ५२-५३ में सरकारी पड़त भूमि दलितों को दी जाना

श्री लालूराम— क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में सन् ५२-५३ में दलितों को सरकारी पड़त जमीन कौन-कौन से ज़िले में, कितनी-कितनी, कितने-कितने आदमियों को दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— सन् ५२-५३ में दलितों को सरकारी पड़त ज़मीन इस प्रकार दी गई:—

	जिला	तादाद भूमि	मनुष्यों की संख्या
१.	डूंगरपुर	२४०८ ७	७१५
२.	चित्तौड़गढ़	५७६	३०
३.	उदयपुर	१२४४ २॥	—
४.	बाँसवाड़ा	३४७	११६
५.	जोधपुर	—	—
६.	बाड़मेर	३६५	—

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

७.	जालोर	–	–
८.	पाली	१०३८	–
६.	सिरोही	–	–
१०.	कोटा	१५१८	६२३
११.	बूँदी	४८४	३८
१२.	झालावाड़	१४१६	२२१

जयपुर डिवीज़न में इस प्रकार के आँकड़े नहीं रखे गये लेकिन भूमि का वितरण जरूर किया गया। बीकानेर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री हिम्मतसिंह— इन दलित वर्ग के लोगों को जो ज़मीन दी गई है, उसके साथ-साथ क्या उनको तकाबी भी दी गई है या नहीं, जिससे कि वे काश्त में सुधार कर सकें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— अलग-अलग परिस्थितियों पर यह निर्भर है। कुछ जगह पर तकावी दी गई है और कुछ में नहीं दी गई है।

श्री हजारीलाल शर्मा— जयपुर डिवीज़न के आँकड़े क्यों नहीं रखे गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— जयपुर डिवीज़न में पहले से ही अलग आँकड़े रखने का रिवाज़ नहीं था, इसलिए नहीं रखे गये ।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु— क्या बीकानेर के गंगानगर ज़िले के आँकड़े उपलब्ध हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वहाँ से आँकड़े आते ही पेश कर दिए जायेंगे।

प्रश्न संख्या १३३

राजस्थान में सन् १९५२-५३ में हरिजन बस्तियों में बिजली व नल लगाये जाना।

श्री लालूराम—क्या हरिजन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) राजस्थान में कहाँ २ सन् ५२-५३ में हरिजन बस्तियों में नल, बिजली और सड़कें बनाई गई हैं ?

(ख) ज़िला टोंक में किन हरिजन बस्तियों में सड़कें व बिजली का निर्माण किया गया ? जहाँ नहीं किया गया वहाँ सरकार कब तक उनका प्रबन्ध कर देगी ?

श्री **भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मंत्री)**—(क) इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

Page No.17

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) जिला टोंक में केवल टोंक व निवाई में ही बिजली की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ पर निम्नलिखित बस्तियों में बिजली लगाई गई है :–

(१) मोहल्ला काली पलटन, टोंक,

(२) हरिजन बस्ती, टोंक (पुरानी),

(३) हरिजन बस्ती, निवाई।

मोहल्ला काली पलटन, टोंक में हरिजनों की बस्ती में सड़क बनाई गई है। अन्य स्थानों में जब-जब सड़कों का निर्माण होगा व बिजली लगाई जावेगी, हरिजन बस्तियों के लिये भी सम्बन्धित विभाग को सिफारिश की जावेगी।

श्री **धर्मपाल पंवार**—क्या बीकानेर के बारे में बतलायेंगे कि वहाँ हरिजन बस्ती के लिए क्या किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप प्रश्न पूछेंगे तो अवश्य बतायेंगे।

प्रश्न संख्या १३४

श्री **अध्यक्ष**—श्री मंगलसिंह

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३५

वन विभाग में सेवा के उच्च पदों के लिये योग्यता।

श्री **सज्जन सिंह**—Will the Chief Minister be pleased to state :—

(i) What are the requisite qualifications required for admissibility to high cadres of Forest Service ?

(ii) Is Balaghat training equal to that of Dehradun so for as appointments to Senior Grade Cadre of Forest Service is concerned ?

(iii) How is it that Shri Ram Patap Sharma has been recommended for permanency as Conservator of Forests inspite of the fact that he is only Balaghat trained ?

(iv) Is there any instance that a Balaghat trained man has ever been appointed to such senior post ?

[श्री सज्जनसिंह]

(v) Is it also a fact that Shri Ram Pratap Sharma was dismissed by the Matsya Government ?

(vi) If the answer to (iv) is in the negative and to v) in the affirmative, will the minister in-charge kindly state how this officer, Shri Ram Pratap Sharma, has again been taken in the Forest Department and promoted to the post of Conservator of Forest ?

(vii) Is it not a contravention of the Rajasthan C. S. R. ?

(viii) Would he kindly set right the wrong done to rightful claimants of the post ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)— (i) Superior Forests Service Course, Dehradun for new entrants.

(ii) No

(iii) The question of confirmation of Shri Ram pratap Sharma to the post of Conservator of forests has not yet been decided by the Government.

(iv) No other case in Rajasthan. Information about other States not available.

(v) He was removed from service.

(vi) He was re-instated by the Rajasthan Government on the advice of the Public Service Commission. In the integrated set-up of the Forest Department he was selected by the Selection Board for the post of Divisional Forest Officer. Being the senior most among Divisional Forest Officers he was appointed to officiate as Conservator of Forests.

(vii) and (viii) In view of answer to (vi) the question does not arise.

श्री जवानसिंह—क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको किन कारणों से नौकरी से रिमूव किया गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—मत्स्य गवर्नमेंट ने करप्शन के कारण उनको रिमूव किया था और बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह कहा कि उनको एम्पलॉय किया जा सकता है।

श्री कानसिंह—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पी. एस. सी. ने ऐसी सिफारिश कैसे की ? क्या उनके पास रेकार्ड उनकी राय जानने के लिए भेजा गया था ?

श्री जयनारायण व्यास— उन्होंने अपील की थी इसलिए रेकार्ड भेजा गया था।

Page No.19

श्री कानसिंह— अपील क्या डाइरेक्ट पी. एस. सी. के पास की गई ?

श्री अध्यक्ष—This is a matter of procedure.

श्री जवानसिंह— क्या इनसे सीनियर अफसर इस डिपार्टमेन्ट में थे ?

श्री जयनारायण व्यास— पी. एस. सी. ने जो सीनियोरिटी बताई थी उसके अनुसार इनसे दूसरे सीनियर नहीं थे।

श्री जवान सिंह—क्या गवर्नमेंट को इनके अभी के कार्य से संतोष है ?

श्री जयनारायण व्यास—गवर्नमेंट सन्तुष्ट होगी तभी तक वह कार्य कर सकेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या पी० एस० सी० ने इनके प्रमोशन के लिये भी सिफारिश की थी ?

श्री जयनारायण व्यास—इनको सीनियर मोस्ट रखा इसलिये आप से आप ऊँचा हो जाता है।

श्री जवानसिंह—क्या नियुक्ति सरकार के हाथ में है या पी. एस. सी. के हाथ में ?

श्री जयनारायण व्यास—नियुक्ति सरकार के हाथ की बात है। इस बारे में दूसरी सरकारों से और केन्द्रीय सरकार से भी कभी-कभी राय लेनी पड़ती है।

श्री गुरुदयालसिंहसन्धु—क्या इनको सीनियर बनाने के लिये दूसरे किसी ने मुक़द्दमा किया था ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं नहीं कह सकता कि कोई मुक़द्दमा पी० एस० सी० के सामने हो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या सरकार पी. एस. सी. की सिफारिश नहीं मानती है ?

श्री जयनारायण व्यास—पी. एस. सी. की सिफारिश को आम तौर से सरकार स्वीकार करती है; और कोई विशेष कारण हो तो अस्वीकार भी कर देती है।

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—किस तरह के विशेष कारण होते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह तो किसी केस के मेरिट पर सोचा जा सकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या गवर्नमेंट ने इस मामले को विशेष कारणों से मान लिया ?

श्री जयनारायण व्यास—इसमें पी. एस. सी. की सिफारिश को मान लिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या "क्वालिफिकेशन" विशेष कारण में नहीं आती ?

श्री जयनारायण व्यास—क्वालिफाइड वे हैं और इस तरह की क्वालिफिकेशन के लोग कंजर्वेटर ऑफ फोरेट्स भी रहे हैं। यह चीज़ पी. एस. सी. ने भी अच्छी तरह से ध्यान में रखकर लिस्ट बनाई और उसे गवर्नमेंट ने माना।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—करप्शन का चार्ज "डिस्क्वालिफिकेशन" नहीं है?

श्री जयनारायण व्यास—इस आर्ग्युमेन्ट को पी. एस. सी. ने अच्छी तरह से देखकर सिफारिश की है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या अब तो करप्शन बन्द है?

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या १३६

बिलाड़ा से भोपालगढ़ तक, कापरड़ा से बिलाड़ा तक, जोधपुर से बिलाड़ा मेनरोड से चांडेलाव से भावी तक सड़कों के निर्माण।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार की निम्नलिखित गाँवों के रास्तों पर पक्की सड़कें बनवाने की कोई योजना है? अगर है तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

(अ) (बिलाड़ा से भोपालगढ़ तक) बिलाड़ा, पिचयाक, खेजड़ला, पीपाड़ सिटी, साथीण, बुरछां होती हुई भोपालगढ़ तक।

(ब) (कापरड़ा से बिलाड़ा तक) कापरड़ा, रावर, बाला, पड़ासला कलां, गुजरां वास, मालकोसनी, बीजासनी होती हुई बिलाड़ा तक।

(स) (जोधपुर से बिलाड़ा मेन रोड से चाँडलाव से भावी तक) मेन रोड से चांडेलाव रामसनी, रामपुरिया हुनगांव कलां, सलपुर कलां, बाली, लाम्बा होती हुई भावी तक।

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—राजस्थान सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और सब गाँव एक साथ सड़क से मिलाये नहीं जा सकते। समय आने पर तथा साधन होने पर यह कार्य भी हाथ में लिया जा सकेगा।

प्रश्न संख्या १३७

सन् १९५२-५३ तथा सन् १९५३-५४ में सिंदड़ी कारखाने से क्रय किये गये फर्टिलाइज़र्स की संख्या

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Agriculture be pleased to answer:-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(a) What was the quantity of fertilizer purchased by the State Government from the Sindri Factory during 1952—53 and 1953—54 respectively ?

(b) What is the quantity of fertilizer disposed off by the State Government during 1952—53 and 1953--54 ?

(c) What was the stock in hand when the last order for purchase of fresh stocks was sent ?

(d) Is it a fact that a major part of stock thus purchased last is still lying undisposed off with the Government ?

(e) Is it a fact that subsequent to the purchase of such large stocks by the state Government the Sindri Factoy has lowered its price ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— (अ) अमोनियम सल्फेट सन् ५२--५३ में सिंदरी फेक्टरी से नहीं खरीदा गया। सन् ५३—५४ में ६०,७०८ टन खरीदा गया।

(ब) सेल निम्न मात्रा में था :—
५२—५३ में ३०१८ टन और ५३--५४ में यानी जनवरी १९५४ तक २०११ टन।

(स) ७६८ टन।

(द) ७६८ टन अभी बचा है।

(ई) हां।

(फ) प्रश्न नहीं उठता ? सरकार के पास तो.........

श्री जसवन्त सिंह— (फ) भाग है ही नहीं ?

श्री अध्यक्ष—That may be supplementary.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But now it is an anticipated supplementry.

श्री अध्यक्ष—Sometimes a Member puts such questions which ought to have been supplementaries. The Office removes them because these questions need be asked on the floor of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास— तो यदि जितना स्टॉक खरीदा गया उसके बजाय जो खर्चा हुआ उतना ही स्टॉक खरीदा जाता तो सरकार को रकम देने से बचत नहीं होती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— इसकी रकम सरकार को नहीं देनी पड़ती।

Page No.22

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या फैक्ट्री मुफ्त सप्लाई करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं। शोर्ट टर्म लोन (short term loan) जो मिलता है उससे खरीदा जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार के पास लोन से जो रकम आती है क्या उसकी बचत नहीं हो जाती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— जी नहीं।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु— क्या ५२–५३ में यह मँहगा खरीदा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— जी हां, ५३–५४ की अपेक्षा मँहगा था।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या खरीदने का आर्डर देने से पहले संबंधित अधिकारियां से रिपोर्ट मांगी गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— जी हां। रिपोर्ट मांगी गई थी। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के अफसरों के साथ भी बात की गई थी और उनसे कहा गया था कि पिछले साल ३०६८ टन खर्च हुआ था इसलिए इतना ही लेना है। हम १० हजार टन खर्च नहीं कर सकते।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या यह सही नहीं है कि वह रिपोर्ट इतना ज्यादा स्टॉक खरीदने के विरुद्ध थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो रिपोर्ट मिली वह भारत सरकार के सामने रख दी गई।

प्रश्न संख्या १३८

कृषि विभाग में विशेषज्ञों की संख्या तथा उन पर व्यय

श्री हरिकृष्ण व्यास— Will the Minister for Agriculture be pleased to answer :--

(a) What is the total number of experts at present in employ of the Agriculture Department ?

(b) What is the total amount annually spent on their pay, allowances, etc. ?

(c) What is the total amount annually spent for actual research work ?

(d) Have any papers been published by any of them so far ?

(e) Are the results of their research periodically reported to the Indian Council of Agriculture Research ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(f) If so, with what result ?

(g) Do, they periodically submit their report of research work done to the Government ?

(h) If so, will the Government place these reports on the table of the House ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)-- (ए) कृषि विभाग में इस समय ३ विशेषज्ञ काम कर रहे हैं।

(बी) १६,४४० रु० सालाना खर्च होता है।

(सी) साल भर का कुल खर्चा १ लाख ३० हजार रुपया होता है जिसमें उपरोक्त तनख्वाह भत्ता वगैरह भी शामिल है।

(डी) हां।

(ई) हां, उनकी रिसर्च की स्कीम्स की रिपोर्टस इन्डियन कौन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को भेजी जाती हैं।

(एफ) स्कीम का आगे चलाना या नहीं चलाना आइ. सी. ए. आर. के रिजल्ट पर निर्भर करता है।

(जी) हां।

(एच) जो रिसर्च की स्कीम्स होती है उनको आई. सी. ए. आर. के रिजल्ट के बगैर प्रकाशित नहीं किया जाता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने रिसर्च की स्कीम्स के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा है। मेरा प्रश्न यह है कि यह विशेषज्ञ, जो रिसर्च वर्क करते हैं, अपने काम की रिपोर्ट आई. सी. ए. आर. को भेजते हैं कि नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने जवाब दिया है कि हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास— जो रिपोर्ट्स आइ. सी. ए. आर. को भेजी जाती है, उन्हें क्या सरकार सदन की मेज पर रखने को तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— जो रिपोर्टस भेजी जाती हैं, उनका जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकल जाता, तब तक वह सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकतीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— अब तक जितनी रिपोर्ट्स भेजी गई हैं, उनमें से क्या अभी तक एक का भी फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या.........

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर !

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन विशेषज्ञों की जो कि तादाद होनी चाहिये थी, उनमें से सिर्फ तीन ही एम्प्लॉय किये गये हैं; क्या बाकी जगहें खाली हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— हाँ।

प्रश्न संख्या १३६

१६५३-५४ में हरिजन उत्थानार्थ भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को सहायता।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को सन् १६५३-५४ में हरिजन उत्थानार्थ कितना रुपया मिला ?

(ब) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अस्पृश्यता निवारणार्थ जो रकम दी है उसके अन्तर्गत राजस्थान सरकार को कितना रुपया मिला ?

(स) अस्पृश्यता निवारणार्थ मिली हुई रकम खर्च करने के लिये जिन सार्वजनिक संस्थाओं को मान्यता दी गई है, वे कौन-कौन सी हैं ?

(ड) क्या उनमें राजस्थान के २० लाख हरिजनों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था राजस्थान दलित जातीय संघ भी शामिल है ? यदि नहीं है, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—(अ) (ब) भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को हरिजन उत्थानार्थ व अस्पृश्यता निवारणार्थ सन् १६५३-५४ के लिये १,११,०००, रु० स्वीकृत हुए हैं।

(स) अस्पृश्यता निवारणार्थ दी हुई रकम में से खर्च करने के लिये राजस्थान हरिजन सेवक संघ को मान्यता दे दी गई है। अन्य संस्थाओं का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री धर्मपाल पंवार—यह जो रकम बताई गई है वह हरिजन उत्थानार्थ, व अस्पृश्यता-निवारणार्थ अलग-अलग आई होगी; आपने इकट्ठी कैसे बताई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह अस्पृश्यता निवारण के लिये ही है।

श्री धर्मपाल पंवार—यह रकम कहाँ-कहाँ दी गई है ?

Page No.25

श्री भोगीलाल पंड्या—राजस्थान के सभी जिलों में।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—क्या गंगानगर जिले में भी दी गई है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या १४०

आबू-क्षेत्र को पुनः राजस्थान में मिलाने सम्बन्धी राज्य पुनर्निर्माण आयोग को राजस्थान सरकार द्वारा स्मार-पत्र।

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state :—

Is the Government officially submitting any memorandum to or appearing before the States' Reorganisation Commission with regard to the restoration of Abu area to its parent State of Rajasthan ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—The matter is under Government's consideration.

श्री शम्भूसिंह—कब तक इसका निर्णय गवर्नमेंट की तरफ से हो जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ, यह गवर्नमेंट पर ही छोड़ देना चाहिये।

श्री जवानसिंह—जो तारीख सीमा-निर्धारण के लिये तय की है उसके पहले मेमारेन्डम पेश हो जाना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास—गवर्नमेंट मेमोरेन्डम पेश करे; रिपोर्ट पेश करे, या डेपुटेशन भेजे यह काम गवर्नमेंट पर ही छोड़ देना सार्वजनिक हित के लिये अधिक अच्छा होगा।

प्रश्न संख्या १४१

राजस्थान सरकार द्वारा आबू को राजस्थान में पुनः मिलाने सम्बन्धी क़दम

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) What efforts have been made by the Rajasthan Government so far for the restoration of Abu area and of each effort with what result ?

(b) What steps the Government propose to take in future for the early restoration of Abu area to Rajasthan ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(अ), Ever Since the merger of Abu Road and Dilwara Tehsils of the Sirohi State in the State of Bombay, the question of their retransfer to the Rajasthan State has been engaging the serious attention of the Government. As early as September, 1951, a communication was sent to the Ministry of States, Government of India, by the Rajasthan Government with a request to examine the anomalous position created by the merger of the Abu area and the adjoining villages in the Bombay State. In May, 1952, a resolution passed by the Rajasthan Legislative Assembly was forwarded to the Government of India with the request that the President may be requested to move the Bombay Legislature under Art. 3 of the Constitution and thereafter a bill be placed before the Parliament with a view to return the Abu area to the Rajasthan State. Again a Conference was convened in September, 1952, by the Chief Minister to discuss various aspects of this question and selected scholars were appointed to collect necessary historical, administrative, cultural and other material in support of our case. This Committee has prepared a comprehensive report on the subject. This report is before the Government and, if necessary, it will be placed before the States' Reorganisation Commission at an appropriate time.

(b) Does not arise.

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की पब्लिसिटी करवाने की कोशिश की है ?

श्री जयनारायण व्यास—इस बारे में उत्तर नहीं देना सार्वजनिक हित में होगा ।

प्रश्न संख्या १४२

चीफ एकाउन्ट्स ऑफीसर की नियुक्ति, वेतन तथा उनके द्वारा किये गये कार्य

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Finance Department be pleased to state :—

(i) When was the Chief Accounts Officer appointed ?

(ii) What are his emoluments and what is the expenditure on his department ?

(iii) What has been done by him so far to improve the accounts system in Rajasthan ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—(i) The Chief Accounts Officer joined on 8 10, 1952.

(ii) His emoluments are 2,014/- p. m. The expenditure on his department (including his own emoluments) for the current year is estimated about Rs. 57,740/-.

(iii) The Chief Accounts Officer has

(a) arranged to hold an Examination for Accounts Clerks of the State;

(b) issued various instructions regarding accounting procedure;

(c) examined the requirments for accounts establishments in various departmental offices and made proposals for their strengthening where necessary;

(d) worked on Selection Board for Accountants;

(e) worked as a Member of the Embezzlement Enquiry Committee;

(f) arranged under his supervision for inspection of about 200 offices to examine how the Head of Offices had discharged their responsibility for the custody of cash and stores;

(g) been editing the accounts portion of the departmental manuals, Jagir's compensation manual, District Administrative manual, P. W. D. manual, Revision of Taccavi Loan Rules, and prescribing rules for the operation of P. D. Accounts of Court of Wards;

(h) examined locally the accounts of Rehabilitation Department as a member of the Committee connected with the winding up of the department;

(i) examined the Works Register at Jawai to solve some difficulties arising from the incompleteness of the old records;

(j) helped in prescribing the accounts to be maintained for Community Project area and attended the meetings of the Inter-departmental Officers for development and also the conference at Chattarpura (Kotah)

एक सदस्य—एकाउन्ट्स के लिए जो नये तरीके बनाये गये हैं वे क्या आम जनता की सुविधा के लिए बनाये गये हैं, और क्या इनसे पहले की बनिस्पत जनता को अधिक सुविधा होगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—वह तरीका है एकाउन्ट्स मेनटेन करने का, एकाउन्ट्स में जो दिक्कतें होती हैं वे होती ही हैं, उनको रफा करने का तरीका ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या यह सच है कि चीफ एकाउन्ट्स ऑफीसर का कार्यकाल (टाइम) फरवरी में एक्सपायर हो चुका है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या उनके टाइम में वृद्धि की जायगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अभी यह प्रश्न सरकार के विचारधीन है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या चीफ एकाउन्ट्स ऑफीसर को हिन्दी का भी ज्ञान है या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हिन्दी का ज्ञान उन्हें बहुत अधिक नहीं है, लेकिन काम चलाऊ ज्ञान तो है ही।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी— मैं समझता हूँ कि हिन्दी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ तहसीलों में सब काम हिन्दी में ही होता है।

श्री टीकाराम पालीवाल—एकाउन्ट्स क्लर्क के लिये हिन्दी का ज्ञान होना ज़रूरी है लेकिन चीफ एकाउन्ट्स ऑफीसर के लिये ज़रूरी नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जब वे हिन्दी नहीं जानते तो हिन्दी में जो काम होता है उसका इन्सपेक्शन कैसे कर सकते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उन्होंने इन्सपेक्शन का काम किया है।

प्रश्न संख्या १४३

वर्षा ऋतु के पश्चात् सन १९५३ में सिरोही जिले में कच्ची सड़क जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा व्यय

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for P. W. D. be pleased to state:—

(a) What amount has been spent in Sirohi District in the year 1953 after rainy season by way of Kaccha-road repairs ?

(b) Will the P. W. D. Minister be pleased to table the detailed expenditure before the House on each river and 'nalla' bridge of Kaccha-road in Sirohi District in the year 1953 after rains ?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के उत्तर देने के लिये कुछ विलम्ब से खड़े होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the question uncomfortable or the Minister is uncomfortable ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—My friend, the Hon'ble Member's intervention is uncomfortable.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—It is comfortable, you realize it.

(हँसी)

श्री टीकाराम पालीवाल— (a) An amount of Rs. 5,850/- has been spent in this connection.

(b) River-wise and Nalla-wise expenditure on Kachcha Road is not maintained separately as the work is done usully by departmental gangs.

प्रश्न संख्या १४४

पटवारियों का एकीकरण तथा उनके वेतन से असन्तोष

श्री जवानसिह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या पटवारियों का एकीकरण सम्पूर्ण हो गया है ?

(ख) अगर नहीं तो क्यों नहीं और कब तक हो जायगा ?

(ग) क्या पटवारियों की तनख्वाह की ग्रेड में सरकार बढ़ौतरी करने का विचार कर रही है ?

(घ) क्या तनख्वाह की कमी से फैलने वाले असन्तोष से सरकार वाकिफ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— (राजस्व मन्त्री) (क) नहीं।

(ख) जिलों में हल्का-बन्दी का काम पूरा हो चुका है और नयी हल्का-बन्दियों के अनुसार पटवारियों की संख्या भी तय करदी गई है कानूगो (लेन्ड रेवेन्यू इन्पेक्टर्स) और सदर कानूगो के एकीकरण होते ही (जिसके कि सम्बन्ध में नियम प्रकाशित हो चुके हैं) पटवारियों के एकीकरण का प्रश्न हाथ में ले लिया जायगा।

(ग) नयी वेतन दरें कायम करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(घ) नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गंगानगर में नहरी और माल दोनों का काम पटवारी करता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अब तक तो एक ही आदमी काम करता था, अब सरकार ने अलग-अलग कर दिये हैं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या इनका एकीकरण किया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किया जावेगा ।

एक सदस्य—इन्सपेक्टरों का एकीकरण कब तक हो जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अश्रव्य)

एक सदस्य—अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके लिये रूल्स तैयार नहीं हुए थे ।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—जो पटवारी नहर और माल का इकट्ठा काम करते हैं, उनके लिये सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उसका अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

प्रश्न संख्या १४५

लालगढ़, जिला गंगानगर, से ७.१२.५३ को भूदान तथा गंगानगर से भी भूदान।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) ७.१२.५३ को लालगढ़, जिला गंगानगर, से कितनी भूमि का दान हुआ ?

(ख) आज तक गंगानगर जिले से कितनी नहरी भूमि दान में प्राप्त हो चुकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) ७.१२.५३ तक लालगढ़, जिला गंगानगर, से ३४१ बीघा ५ बिस्वा भूमि दान दी गई ।

(ख) आज तक गंगानगर जिले से ५ बीघा नहरी ज़मीन का दान हुआ है ।

प्रश्न संख्या १४६

तहसीलदार लालसोट द्वारा इस वर्ष हरिजन-दिवस नहीं मनाया जाना

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार लालसोट ने इस वर्ष हरिजन दिवस मनाने का कोई आयोजन नहीं किया ?

Page No.31

[श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री]

(ख) क्या सरकार के पास वहाँ के लोगों की तरफ से कोई शिकायत इस प्रकार की आई थी ?

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त विषय में क्या कार्यवाही की और उसका क्या नतीजा रहा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या** (दलित वर्ग कल्याण मन्त्री)—(क) नहीं है।

(ख) हरिजन दिवस नहीं मनाने की शिकायत आई थी, परन्तु यह ठीक तौर से नहीं कहा जा सकता कि वह जनता की तरफ से आई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४७

ग्राम चिकारड़ा जिला चित्तौड़ में डाका तथा गोपीलाल सुनार की हत्या

श्री **जगतसिंह झाला**—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम चिकारडा, तहसील डूगला, जिला चित्तौड़ में जो डाका पड़ा वह घटना किस प्रकार हुई ?

(ख) क्या यह सच है कि इसमें गोपीलाल नामक सुनार मारा गया ?

(ग) इसमें कुल कितना माल गया ?

(घ) क्या यह सच है कि यह चित्तौड़ पुलिस अधिकारियों की लापरवाही का फल है ?

(ङ) क्या ऐसी घटनाओं के रोक-थाम के लिये सरकार ने इस जिले में योग्य पुलिस का प्रबन्ध कराया है ?

(च) क्या गोपीलाल सुनार के परिवार की आजीविका का साधन जुटाने में सरकार सहायता करेगी ? यदि हां, तो कब तक व कितनी सहायता करेगी ?

श्री **जयनारायण व्यास** (मुख्य मन्त्री)—(क) ता १.११.५३ को नौ डाकू, जो ब्रेनगन और ३०३ राईफल से लैस थे और जिन्होंने अपने को कस्टम के अफसर बताया, ग्राम चिरकाडा पहुँचे और वहां के पटवारी और ओ० पी० चिरकाडा के हैड कॉन्सटेबिल से कहा कि हम लोग यहां अफीम की तलाशी लेने आये हैं। वे डाकू, हैड कॉन्सटेबिल और एक कॉन्सटेबिल के साथ चिरकाडा बाजार

[श्री जयनारायण व्यास]

में पहुँचे और डाकुओं ने दोनों को शंकर सेवक की दुकान पर बाहर बैठ जाने को कहा। बाकी डाकुओं ने सात महाजनों और एक सुनार के मकानों को लूट लिया और सामान के साथ गायब हो गये।

(ख) हाँ।

(ग) ७६७२। ८। रु० का माल लूटा गया।

(घ) नहीं

(ङ) ऐसी घटनाओं की रोक-थाम के लिये सरकार ने पेट्रोलिंग के लिये पुलिस गार्ड तैनात कर दी है।

(च) जाँच होने पर यदि सहायता के काबिल मामला हुआ तो आवश्यक सहायता दी जाना संभव है।

प्रश्न संख्या १४८

राजकीय कर्मचारियों तथा अध्यापकों की लॉ कॉलेज में भर्ती।

श्री नारायण चतुर्वेदी—श्री मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करें :—

(१) क्या राजकीय कर्मचारियों को लॉ कॉलेज जोइन करने की इजाजत है ?

(२) यदि हां, तो क्या अध्यापकों की यह सुविधा है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(१) केवल सचिवालय के कर्मचारियों को लॉ कॉलेज जोइन करने की इजाजत नहीं है।

(२) अध्यापकों को भी यह सुविधा नहीं है; क्योंकि यह सुविधा देने से उनकी अपने पेशे सम्बन्धी योग्यता नहीं बढ़ती बल्कि शिक्षण कार्य में बाधा होती है।

प्रश्न संख्या १४९

जालोर जिले की अकोली नदी के आरपार मार्ग (क्रौसिंग) का सार्वजनिक निर्माण-विभाग द्वारा जीर्णोद्धार।

श्री मोहब्बतसिंह—Will the P. W. D. Minister be pleased to state :—

(a) Whether the Akoli river in Jalore District was made crossable by buses and taxis in the year 1953 after rains by the Public Works Department ?

(b) If so, what amount has been spent on the construction of this river-crossing ?

Page No.33

[श्री मोहब्बतसिंह]

(c) On what date was this work completed ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—The Akoli river was made crossable by putting bushes and khipras and some earth by departmental gang on 31st October, 1953.

(b) No separate account of the expenditure was kept as it was done by the departmental gangs. The work may have been worth about Rs. 300/-

(c) On the 31st October, 1953.

श्री मोहब्बतसिंह—इसका अलग हिसाब क्यों नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—बहुत से गेंग काम करते हैं इसलिये।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि यह डिपार्टमेंटल गेंग द्वारा ठीक नहीं हुआ था ? इसको मोटर चलाने वाले ठेकेदारों ने ठीक कराया और डिपार्टमेंटल गेंग का नाम गलत पी. डब्ल्यू. डी. में लिखा गया है।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं समझता हूँ कि मेरी जानकारी सही है और अगर आप कहते हैं कि आपकी जानकारी सही है तो मैं इसका पता लगा लूँगा।

प्रश्न संख्या १५०

सिरोही-अनादरा सड़क को पूर्ण करने की शासकीय योजना।

श्री मोहब्बतसिंह—Will the P. W. D. Minister be pleased to state:—

(a) By wht time the Government is contemplating to complete Sirohi-Anadra Road ?

(b) How far Sirohi-Anadra Road has been completed and what is the distance now remaining incomplete ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(a) It is expected to be completed by the end of the Plan period.

(b) Nine miles length of Sirohi-Anadra Road has been completed and 20 miles still remains to be completed.

प्रश्न संख्या १५१

विद्या प्रचारिणी सभा से जागीरदारों को जागीर के गाँवों को दिलाये गये कर्जे की वसूली।

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री जगतसिंह झाला]

(क) भूतपूर्व मेवाड़ सरकार व पहले की राजस्थान सरकार ने वसूली की जिम्मेदारी लेते हुये विद्या प्रचारिणी सभा उदयपुर से जो कर्जा जगीरदारों को जागीर के गाँवों की सिक्योरिटी पर दिलाया था क्या सरकार उसकी वसूली जागीरों को अपने हाथ में लेने से पहले करने को तैयार है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब व किस प्रकार और ना, तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—नये संविधान के प्रचलित होने से सरकार उसकी वसूली नहीं कर सकती है तावक्ते कि उच्च न्यायलयों से विद्या प्रचारिणी सभा अपने कर्जे की डिक्री प्राप्त न कर ले।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पर ही यह कर्जा दिया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सरकार की कोई सिक्योरिटी नहीं। यदि आप सारी पोजिशन को जानना चाहें तो मैं वह सारी पोजिशन आपको बता देना चाहता हूँ जो इस प्रकार है :—

"The former Mewar State used to sanction loans from the funds of the Vidya Pracharini Sabha which was an aided institution and His Highness the Maharana Sahib was the president of this institution. The Jagirdars could be made to pay by attachment of their Jagirs the outstandings from the Loans but now the whole position has changed on account of the promulgation of the Indian Constitution. The question has, therefore, to be examined by the legal advisors of the Government to see whether such loans could be recovered by the Public Demands Recovery Act of Rajasthan. The Government have been advised that no person can be deprived of his property without due process of law under the Constitution. The Government is not prepared to take any action unless the Institution obtains decrees from the civil courts against the Jagirdars. The executive responsibility of Government created by the former State must be considered in the present set up. The former Government did not stand surety for the defaulters The Government, however, have no objection to realise from the incomes of the Jagirs so long as they are enjoyed by the defaulting Jagirdars or from the amount of compensation when such jagirs are taken over. But in any case legal sanction is necessary for the realization of amounts due from the Jagirdars, by obtaining decrees in favour of the Institution in suits against them."

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या फॉर्मर राजस्थान के वक्त में भी ऐसा कर्जा दिया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाने की वजह से पहले की पोजिशन सारी चेन्ज हो जाती है। डिफिकल्टी यह एराइज हो जाती है कि अटेचमेंट कर्जे को रियलाइज करने के लिये नहीं किया जा सकता, क्योंकि पब्लिक रिकवरी एक्ट के अन्दर नहीं आता ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो इतना तो सरकार मानती है कि इस सभा से जागीरदारों को कर्जा दिलाया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मैंने अर्ज किया था कि कर्जा जागीरदारों को इस सभा से दिलाया गया था जिस वक्त महाराणा साहब इस सभा के प्रेसिडेन्ट थे। उनको उस समय राइटस थे कि वे अटेचमेंट करवा लेते।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जाय कि यह सभा उन जागीरदारों के मरने के बाद मुकदमा चलावे तो क्या सरकार गवाह के रूप में आने के लिए तैयार है ?

रावत श्री शंभूसिंह—क्या मेवाड़ गवर्नमेंट के वक्त की कोई असेस्मेन्ट और लायबिलिटीज़ नहीं थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेवाड़ स्टेट के वक्त की कोई लायबिलिटीज़ नहीं थीं।

रावत श्री शंभूसिंह—क्या क्षत्रिय प्रचारिणी सभा मेवाड़ गवर्नमेंट की एक विभाग नहीं रही ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

रवात श्री शंभूसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी इस बात का एश्योरेन्स दिलावेंगे कि क्षत्रिय प्रचारिणी सभा मेवाड़ गवर्नमेंट का विभाग रही या नहीं ? यदि विभाग रही तो पब्लिक रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत रिकवरी नहीं हो सकती है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं आपको पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि हम उनसे रिकवरी नहीं कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (केलवा)—राजस्थान सरकार बनने के बाद भी क्या रकम रियलाइज़ की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रियलाइजेशन के लिए कहा गया था। अगर देते हैं तो कोई इन्कार नहीं। अगर नहीं देते हैं तो अटेचमेंट नहीं किया गया।

श्री जगतसिंह झाला—कितनी रकम है, क्या आप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—निश्चित रकम की मुझे जानकारी नहीं है। इसके लिए मैं नोटिस चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष—The Question hour is over.

स्थगन प्रस्ताव

रामशाला भवन, शाहपुरा से शरणार्थियों को हटाने-सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक एडजोर्नमेंट मोशन रामशाला बिल्डिंग शाहपुरा से शरणार्थियों को हटाने के बारे में श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा आया है। मैं यह बतला दूँ कि यह बजट सेशन है। सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स आज आ रही हैं और कल बजट पेश होगा। उसमें कट मोशन्स द्वारा किसी भी सबजेक्ट पर जिसका डिस्कशन करना हो डिस्कशन्स रेज़ किए जा सकते हैं। इसलिए इस बजट सेशन में मैं कोई भी एडजोर्नमेंट मोशन अलाऊ नहीं करूँगा। इस एडजोर्नमेंट मोशन की कोई पब्लिक इम्पोर्टेन्स भी नहीं समझी जाती। इसलिए मैं इसको रूल आउट करता हूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, यह कायदे के माफिक नहीं है। आपने यह फरमाया कि मैं बजट सेशन में कोई एडजॉर्नमेंट मोशन अलाऊ नहीं करूँगा तो यह हमारे प्रिविलेज का सवाल है और हम इसको टोलेरेट नहीं करेंगे, यह भी मैं कह दूँ।

श्री अध्यक्ष—यह गलत समझा गया है। जब बजट सेशन चल रहा है तो सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स के वक्त कट मोशन्स द्वारा डिस्कशन्स रेज किये जा सकते हैं। ऐसे कई स्पीकर्स की रूलिंग्स हो चुकी हैं कि इस प्रकार के एडजॉर्नमेंट मोशन्स को ऐसे वक्त पर एन्टरटेन नहीं किया गया है।

श्री भैरोंसिंह—(दाँता रामगढ़)—जब कोई माननीय सदस्य बजट सेशन में स्पीच दे सकता है और उसके बाद भी......

श्री अध्यक्ष—That is a different matter.

जब अप्रोप्रियेशन बिल पेश हो तो उसके किसी मेटर पर डिस्कशन रेज़ किया जा सकता है, उसमें कोई सब्जेक्ट ही क्यों न हो। एप्रोप्रियेशन बिल पर डिस्कशन का स्कोप इतना अधिक होता है कि बजट सेशन में किसी भी प्वाइन्ट पर डिस्कशन रेज़ हो सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न यहाँ एक दो दिन में हल होने का नहीं है। इस प्रकार......

श्री अध्यक्ष—This House has no authority to issue any interim injunction. It can only raise discussions. Since this House is not authorized to issue interim injunctions any wrong which is being done cannot be checked by raising discussion. The Legal Courts are open for this and the aggrieved parties can go there.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It can not issue injunction. Today the position is that no item of Rehabilitation Department is in the supplementary Demands. Therefore the admisibility of this motion should be considered from that angle, Sir. The people are lying in rain and open, Sir, without shelter.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Once it has been ruled out be has no right to speak.

श्री अध्यक्ष (श्री एच. के. व्यास को संकेत करके)—You are not in possession of the floor of the House.

पुरः स्थापित विधेयक

राजस्थान कृषि भाटक नियन्त्रण विधेयक, १९५४।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg leave to introduce a Bill to provide for the fixation of maximum rents recoverable by land holders from their tenants in order that excessive rents may not be exacted from them.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. The question is that leave for introduction of the Bill to provide for the fixation of maximum rents recoverable by land holders from their tenants in order that excessive rents may not be exacted from them be granted.

(स्वीकृत)

The motion is adopted

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I introduce the Bill.

राजस्थान सामान्य विक्रय (सेल्स) कर विधेयक, १९५४।

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—I beg leave to introduce a Bill to provide for the levy of a general tax on the sale of goods in Rajasthan.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, I want to oppose this Bill. He has begged leave of the House and so I want to oppose it.

श्री अध्यक्ष—This is the first stage and ordinarily the leave to introduce should not be objected to at this stage.

श्रीहरिकृष्ण व्यास—Ordinarily, but this seems to me to be......

श्री अध्यक्ष—This is conventional for the House that when a Bill is introduced in the first stage, it is ordinarily allowed and when the stage of discussions on the principles come the Hon'ble Members of the House have full liberty to discuss them.

श्री हरिकृष्ण व्यास—When the Preventive Detention Act came before the House of the People in the introduction stage and when the leave was sought, it was objected to. Ordinarily nobody objects.

श्री अध्यक्ष--This is General Sales Tax Bill. If you have any constitutional objection in having the Bill introduced in the House and according to the Constitution of India it cannot be itroduced, I can allow, but if you want to object to it on ground of some principle, then that stage will come after the introduction of the Bill.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My submission is this, Sir, that the leave of the House has been sought to introduce a certain Bill. Of course it is a convention that such a Bill is not objected, but that is so ordinarily. If there is something extraordinary, there may be submission to the House opposing it and I submit, Sir, that on this ground it may be stated to the house whether to grant leave or not to grant leave.

श्री अध्यक्ष—You are setting up a bad precedent. I will request all the members of the House that at such a stage in any Parliament the introduction of the Bill is passed. So I now take the motion as moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But what about my objection, Sir ?

श्री अध्यक्ष—One thing I wanted to make clear. Has the Bill had the prior publication ?

श्री भोलानाथ—It has not been published.

श्री अध्यक्ष—Then it is a Bill seeking leave to introduce.

(विराम)

Motion moved. (विराम) The question is that leave be granted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before the question is put, Sir, do I take that the permission has been refused.

श्री अध्यक्ष—No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It was permitted. I can quote. Motion for leave to introduce was objected to by Shri Shyama Prasad Mukerjee in the House of the People when Preventive Detention Act was introduced and I can bring the ruling within five minutes. Still the permission is refused ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, I will be very grateful to you if you could let me know the meaning of Section 119 of our Rules which according to me would permit some sort of discussion. Under rule 119 if a motion for leave to introduce a bill is opposed the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may put the question without further debate. Under this I think atleast the Hon'ble Member should be asked to give the necessary explanation and the Member who opposes should also be allowed to speak.

श्री अध्यक्ष—This is a discretion given to the Chair. The proviso says, "When a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative compentence of the Assembly, the Speaker may permit a full discussion thereon" So I ask him if there is any constitutional objection.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—It is true. So far as the constitutional point is concerned you are right but as regards the discretionary power we do feel that discussion should be allowed. In the first instance the Assembly meets so little. During last year it met only for one month. If we are not given the opportunity to discuss in detail or given an opportunity to discuss these matters we only feel that these discussions are curtailed. So I would request you very respectfully that in such matters the discretion should be used with leniency and it will not only make the debates of the Assembly useful but also make members conversant with what is happenning all-round.

श्री श्रीमानसिंह—May I submit, Sir, that in the Madhya Bharat Assembly a Bill was being moved by the Government regarding the purchase of motor vehicles It was opposed on the introduction stage by the opposition on the ground of financial implications of the Bill and here the Opposition is right, because the Bill has not been published and the House does not know the financial implications-loss or gain-that will be reflected from the introduction of the Bill. Therefore, the arguments of the Opposition are right and the precedent held by the Madhya Bharat Assembly that the financial implications should be made known to the House, should be applied here as well.

श्री अध्यक्ष—I am not fully conversant with the ruling which has been referred to by one of the Hon'ble members. Every ruling is based on a particular facts and in a particular case before the House (together with the fact that we want to build healthy conventions). I wanted to emphasize on all the Members representing various parties in the House to build healthy conventions not only regarding the various other things, but also regarding the stages in which the legislation proceeds. I have not come across a single case when the motion for

[श्री अध्यक्ष]

leave to introduce a Bill is objected to in the first stage. Of course one can differ on the point of principle, one can differ when there is a constitutional difficulty, when it comes to the competence of the legislative powers of the Assembly itself in the initial stage; but when such matters are not there I don't think it is wise to have things other than the set-up conventions in the other Houses. I do'nt still think that it will be worthwhile to allow any Member at this stage. Any way if I allow at this time this will not be taken to be a precedent for future. (श्री व्यास को संकेत करके) I will give you only two minutes for a brief explanatory statement which is required under Rule 119.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Would the Hon'ble Minister first make the explanatory statement, instead of the opposition.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The thing must start from him.

श्री अध्यक्ष—You don't want to say.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to say.

श्री अध्यक्ष—Then don't waste time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I can start even without his starting.

श्री अध्यक्ष—Then start atonce. Time is advancing fast.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then I am starting.

(विराम)

माननीय अध्यक्ष, वैसे तो इस बिल का विरोध करने के लिए इससे बड़ा कारण और क्या होना चाहिये कि इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए मन्त्री महोदय की हिम्मत भी नहीं हो रही है और यह हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है कि उनको मालूम है कि इस बिल के जरिये वे राजस्थान के आम लोगों पर एक ऐसा बोझा लादना चाहते हैं कि जो शायद दूसरे-दूसरे प्रान्तों में भी अभी तक इस हद तक नहीं लादा गया है।

राजस्थान जनरल सेल्स टैक्स बिल, १६५४ जो यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, माननीय अध्यक्ष, उसमें के भारी टैक्स यहाँ लागू करने का सरकार का इरादा है।

भारत में चार या पाँच ही ऐसी स्टेटें हैं जहाँ अभी तक मल्टी पोइन्ट सेल्सटैक्स है। और शायद राजस्थान को भी बहुत ऊँचे प्रकार की स्टेट समझ कर यहाँ पर मल्टी पोइन्ट सेल्स टैक्स लगाने का हमारी इस सरकार ने इरादा किया है। एक यह भी कारण है जिसकी वजह से मैं इस बिल को पेश करने की इजाजत देने का विरोध करता हूँ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरा कारण यह है माननीय अध्यक्ष जी, कि बम्बई जैसे प्रान्त में भी, जो कि शायद माननीय मन्त्री जी भी यह स्वीकार करने से इन्कार नहीं करेंगे कि आर्थिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और जीवन-स्तर की दृष्टि से राजस्थान के मुकाबले में तो कम से कम बहुत आगे बढ़ा हुआ है, और बंगाल जैसे प्रान्त में भी, जहाँ ३० हजार, चालीस हजार और पचास हजार तक के टर्न ओवर पर सेल्स टैक्स की मिकदार रक्खी है, वहाँ राजस्थान में केवल साढ़े सात हजार की एन्युअल टर्न ओवर पर टैक्स की मिकदार रक्खी गई है। राजस्थान ने इस बात में अव्वल नम्बर पाया है हिन्दुस्तान भर में। मैं समझता हूँ शायद हिन्दुस्तान भर में कहीं ऐसा नहीं है कि साढ़े सात हजार की एन्युअल टर्न ओवर पर सेल्स टैक्स की मिकदार रक्खी गई हो। मैं नहीं समझ पाया, माननीय अध्यक्षजी, कि जिस राजस्थान के बारे में खुद सरकार ने और सरकार के इन माननीय मन्त्री महोदयों ने फाइनेन्स कमीशन के सामने, गाडगिल कमेटी के सामने और टैक्सेज़ एन्क्वायरी कमेटी के सामने आगे होकर इस बात को कुबूल किया कि अभी राजस्थान की जनता पर टैक्सों का जो बोझा है, वह बहुत भारी है तथा और अधिक बोझ यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती और कोई बोझा उस पर लादने की अब गुंजाइश नहीं; उसी सरकार के मन्त्री महोदय आज उसी जनता पर इस प्रकार के टैक्स बढ़ाने के बिल प्रस्तुत करें! इसका मतलब क्या है? मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह Hyprcritical (हाइप्रोक्रिटिकल) सरकार है। कहती और है और करती और है। दुनिया को कहते हैं राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, वह टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता और दूसरी तरफ आप खुद उस पर इस तरह के टैक्स लादने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया को कहती है यह सरकार कि हम जन-कल्याणकारी शासन करना चाहते हैं, हम आम जनता का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, पर करेंगे इससे उल्टा; यह कि आज के इस बेरोजगारी और बेकारी के जमाने में एक और टैक्सों का बोझा इस गरीब जनता पर लादेंगे। मैं साफ-साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार की नीति जन-विरोधी नीति है और इसलिए इस सरकार को ऐसी कोई इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

श्री **भोलानाथ**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने सिवाय मुखालफत के और जोर से बात कहने के कोई सब्स्टेन्शियल बात नहीं कही है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**-- तो क्या लड़ाई की जावे?

श्री **भोलानाथ**—यह ऐसा बिल है जो सभी रियासतों में लागू है और खास तौर से केन्द्र की तरफ से यह मन्जूर शुदा भी है। इस बिल को उसी हालत में ऑपोज किया जा सकता था जब कि यह कानून ठीक नहीं हो सकता था, किन्तु अब जबकि वह स्थिति भी नहीं रही तब अगर ऑपोज़ किया जाता है तो सिर्फ ऑपोज़ करने के खातिर ही वह ऑपोज़िशन हो सकता है।

इसके आगे यह कहा गया कि इस सेल्स टेक्स के लागू होने पर राजस्थान की जनता पर भारी टेक्स का बोझा पड़ जावेगा; यह बिलकुल गलत बात है। उल्टा कम टेक्स होगा जनता पर।

(विरोधी पक्ष की ओर से "हियर हियर" की आवाज)

Page No.42

[श्री भोलानाथ]

यह तो आप ज़रा सुनेंगे तो पता लग जावेगा। यह सेल्स टेक्स कस्टम को रिप्लेस करने के लिए है और जो कमीशन की रिपोर्टों की बात कही गई उसके लिए यह सही है कि राजस्थन सरकार ने साफ साफ सारा मामला रक्खा था। इस सेल्स टेक्स के अमल में आ जाने के बाद और कस्टम को रिप्लेस करने के बाद हिसाब लगाकर देखा गया है कि जितनी आमदनी कस्टम से होने वाली थी उतनी आमदनी इससे नहीं होने वाली है और इस तरह इससे करीब दो करोड़ का नुकसान राजस्थान सरकार को होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि राजस्थात की जनता पर हम ज्यादा टेक्स का बोझा डालना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। इसके विपरीत इसके लागू होने से जनता पर टेक्स का बोझा कम होने की बात है।

दूसरी बात जो इस मल्टिपर्पज़ सेल्स टेक्स के बारे में कही गई है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि हम ३ पाई के हिसाब से लगाना चाहते हैं और बाकी हिस्से पर सिंगल टेक्स है जो ६ पाई के हिसाब से लगाना चाहते हैं। इससे कोई खास फरक नहीं आने वाला है कि जिसके लिए कहा जा सके कि यह कोई नया टेक्स इन्ट्रोडयूस होने जा रहा है। यह हैदराबाद स्टेट के मोडल पर है, जो अपनी ही तरह से 'बी' स्टेट है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि इसकी कोई मुखालफत करने का कोई कारण हो सकता है।

कई मित्रों के इस सेशन में और पिछले सेशन्स में भी प्रस्ताव आये थे कि कस्टम को हटाया जाना चाहिये। मैं यह साफ कहना चाहता हूँ कि अगर उनका सीरियस अपोज़ीशन है इस कस्टम से तो इस सेल्स टेक्स बिल को उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिये और इसकी मुखालफत करने की कोशिश न करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! ऑर्डर!!

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Motion moved The question is that leave be granted to introduce a Bill to provide for the levy of a general tax on the sale of goods in Rajasthan.

(मतदान के पश्चात्)

Ayes have it.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह— Noes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—You want division or you want the presence of all the Members in the House ?

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष—The question is that leave to introduce a Bill to provide for the levy of a general tax on the sale of goods in Rajasthan, be granted.

(मतदान के पश्चात्)

Ayes have it.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष— I allow division.

(विभाजन सूची के लिये परिशिष्ट ३ देखिये)

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री अध्यक्ष—The Ayes have 64; Noes have 38. The Ayes win. The motion is adopted

श्री भोलानाथ—Sir, I introduce a Bill to provide for the levy of a general tax on the sale of goods in Rajasthan.

(ग) राजस्थान बाट तथा माप विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—Next.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Sir, I introduce a Bill to provide for regulating the use of Weights and Measures in the State of Rajasthan and for other ancillary matters.

(घ) राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—Sir, I introduce a Bill further to amend the Rajasthan excise Act, 1950.

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन

(क) राजस्थान सिंचाई तथा जल-निस्सारण विधेयक, १९५३

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to regulate Irrigation & Drainage in Rajasthan.

(ख) राजस्थान धार्मिक भवन तथा स्थान विधेयक, १९५३

श्री भोगीलाल पंड्या (देवस्थान मन्त्री)—Sir, I present the Report of the Select Commttee on the Bill to regulate the construction of public religious buildings and to restrict the use of public places for religious purposes.

(ग) राजस्थान भूदान-यज्ञ विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Biil to facilitate donation of land and distribution thereof in connection with the Bhoodan Yagna Movement initiated by Shri Acharya Vinoba Bhave.

(घ) राजस्थान कृषि भूमि उपयोग विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the utilisation of uncultivated Agricultural lands in the State of Rajasthan and for regulating the cultivation of specified crops therein.

(ङ) राजस्थान खेती-बाड़ी संघनन तथा खण्ड-निरोध विधेयक, १९५३

श्री लालसिंह शक्तावत—Sir, I present the Report of the Select Commitee on the Bill to provide for the compulsory consolidation of agricultural holdings and for preventing the fragmentation of agricultural holdings in the State of Rajasthan.

राजस्थान कृषि-भूधारण विधेयक, १९५३

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I beg leave to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to consolidate and amend the law relating to agricultural tenancies in the State of Rajasthan and other matters connected therewith be extended upto 12 th April, 1954.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

Page No.45

[श्री अध्यक्ष]

The Question is :

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to Consolidate and amend the Law relating to Agricultural tenancies in the state of Rajastan & other matters connected there with be extended upto 12th April, 1954.

(स्वीकृत)

The motion is accepted. Next.

सन् १९५०-५१ की अधिक माँगों का ब्यौरा

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—Sir, I beg to present a statement showing Excess Demands for grants for expenditure of the State Government for the year ending 1950-51.

सन् १९५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों हेतु ब्यौरा

Sir, I beg to present the statement for grants for expenditure of the State Government for the year 1953-54.

श्री हरिकृष्ण व्यास—How the supplementary grants at this stage, Sir ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, १९५०-५१ में कुछ खर्चा कुछ मदों में ज्यादा हो जायगा; इसका मतलब यह नहीं है कि टोटल खर्चा कुल बजटेड ग्रान्ट से ज्यादा हो गया है। लेकिन कुछ ग्रान्ट्स के हिस्से में सेविंग्ज़ हुई और कुछ ग्रान्ट्स में ज्यादा खर्च हुआ। वे उस वक्त रेगुलेराइज़ नहीं हुए। कुल मिलाकर सेविंग हुआ। जिन मदों में ज्यादा खर्च हुआ उसे रेगुलेराइज़ करने के लिये इसे पेश किया गया है। इसमें ज्यादा खर्चे का सवाल नहीं है। Expenditure has already been incurred. This was covered by the sum total of the Budget Grants. It is only a matter of regularization.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I understand that he is introducing the supplementary grants.

श्री अध्यक्ष—Excess grants and supplementary grants both. Now, we take them one by one.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—There will be no general discussion on it ?

श्री अध्यक्ष—It is only supplementary. On the Budget we will have discussions tomorrow. It is not conventional.

Page No.46

श्री जयनारायण व्यास—We will have a lot of discussions.

श्री अध्यक्ष—From tomorrow.

सन् १९५०-५१ की अधिक माँगों पर मतदान
(क) अधिक माँग संख्या ९८ सामान्य प्रशासन

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Sir, I beg to move that an excess sum not exceeding Rs. 2,24,562/- be granted to H H. the Rajpramukh to defray the charges which came in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1951, in respect of Grant No. 98—Major Head 25—General Administration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved and for future if the Hon'ble Members of the House agree we can take all the Demands as moved and where there are cut-motions we can discuss.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I would like to know as to how these excesses have incurred ? I have not been able to follow. I do want the explanation from the Chief Minister.

श्री अध्यक्ष—These are the same excess Grants.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I would like to know why the Government has been sleeping for the last so many years ? Year before last it also met. Now you bring before the House the excess spent in 1950-51.

श्री अध्यक्ष—You want reasons for the delay ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Why they were sleeping so long ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—I would request that the Demands be moved all at a time and I will explain the Excess Demands. There should be no objection for their being moved, and I will explain reasons for their delay.

श्री हरिकृष्ण व्यास—In the Notice it is stated that some Demands will be moved by Shri Jainarain Vyas and some by Shri Tikaram Paliwal.

श्री अध्यक्ष—The procedure I would state is that the Hon'ble Members would like explanation of each and every Demand separately (श्री कानसिंह बोलने को खड़े हुए) There is no sense in opposing it at this stage.

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—Grants for expenditure during 1950-51 out of the Consolidated Fund of the State were authorized under the Rajasthan

Page No.47

[श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)

Appropriation Act No. XVI of 1950 and Act No. IX of 1951. The final accounts of the State Government embodied in the Appropriation Accounts for 1950-51 and Audit Report thereon for the year 1952 which has since been examined by the Public Accounts Committee of the Rajasthan Legislative Assembly disclosed Excess of Expenditure over the Grants authorized by His Highness the Rajpramukh in the Grants. The total excess amounts to Rs. 5,60,80,490/-. The statement of excess expenditure involved, which is required to be regularized by the vote of the Rajasthan Legislative Assembly under Article 205 (1) read with Article 238 of the Constitution of India has accordingly been placed below. After the excess Demands have been voted by the State Assembly the Appropriation Bill will be moved in the State Legislature. The draft is also placed below. Both the statement and the Appropriation Bill have the required approval of the Cabinet.

It will be seen that the sums which were expended in excess of the Grants under certain Heads came under examination of the State Accounts Committee and during that examination it was found necessary that the sums have to be regularized under a separate Appropriation Act. Therefore, these grants have been placed.

कुँ. श्री जसवन्त सिंह—अभी माननीय वित्त मन्त्रीजी साहब ने इसके डिले के रीजन्स बतलायें, लेकिन अगर वे इस समय इसे सदन से पास करवाना चाहते हैं तो वह बात दूसरी है, परन्तु जो कारण उन्होंने बताये हैं वे संतोषजनक नहीं हैं।

इस साल की पी. ए. सी. की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं। पी. ए. सी. इस साल नहीं बल्कि पिछली साल भी इस सदन से नियुक्त की गई थी। इस साल उसकी रिपोर्ट सदन के सामने आ जानी चाहिए थी। जो रिपोर्ट आई है उससे साफ साबित है कि सरकार ने किस तरह का सहयोग किया जिससे कि किसी काम की रिपोर्ट सदन के सामने पेश नहीं हो सकी। पहली बात तो यह है कि हम यह भी नहीं जानते कि पी. ए. सी. ने क्या रिपोर्ट की है, कैसी की है और दूसरी बात यह है कि ३ साल के बाद यह (एक्सेस डिमान्ड) सदन के सामने क्यों लाई गई हैं जब कि तीन साल से यह असेम्बली काम कर रही है। ऐसी सूरत में जो रीजन्स दिये गये हैं वे संतोष जनक नहीं हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— माननीय अध्यक्ष, मैं एक छोटा सा पॉइन्ट पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष— You are conversant with all the affair.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is why I am able to put my finger on the trouble spots, Sir.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अभी यह कहा गया है कि खर्चा ज्यादा इसलिए हो गया कि जितनी उम्मीद थी सेविंग की उतनी नहीं हुई........

श्री टीकाराम पालीवाल— आप गलत समझे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— आपने लिखकर दिया है। आपने साइक्लोस्टाइल निकलवा (छपवा) कर जो हमको दिया है उसमें लिखा है।

श्री टीकाराम पालीवाल—As a whole the expenditure was within the amount sanctioned.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am dealing with 25- General Administration. It is a subject matter of cut-motion. It is on page 54 of the Audit Report. आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिज़र्व फॉर सेविंग ७ लाख ४५ हजार और कुछ रुपयों का अन्दाजा सरकार ने रखा है। मुमकिन हो इतनी रकम नहीं होगी लेकिन ३१ मार्च, १९५१, को जिस दिन साल खतम हो रहा था उस दिन ४४,५०२ रुपया सरकार ने सरेन्डर किया था तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि ३१ मार्च को सरकार को यह कैसे पता नहीं लगा कि रिज़र्व में जो रखा है वह नाकाफी होगा और उन्होंने सरेन्डर क्यों किया?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, हिसाब सम्बन्धी इर्रेगुलेरिटी रेगुलराइज़ करने के लिये यह एप्रोप्रिएशन सदन के सामने रखा गया है। जिस गवर्नमेंट के ज़माने के ये आंकड़े हैं वह सरकार किसी सदन के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं समझती थी। इसलिये जो कहीं पर कमी रह गई है उसकी आलोचना यहां नहीं करनी चाहिये।

मैं नहीं जानता कि किन कारणों से कमी रही है। मगर जो कुछ भी कमी रह गई उस पर बहुत बड़ी बहस करके, मैं समझता हूँ कि सदन का समय क्यों जाया किया जाए और जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार पर नहीं रखी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—I think the explanation is there.

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—Why it was not placed before the House?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह बात जून १९५४ में सरकार के ध्यान में एकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा लाई गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या हम आपके कहने का आशय यह समझें कि सरकार गैर ज़िम्मेदार थी?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सरकार इस सदन के प्रति जिम्मेवार नहीं थी क्योंकि उस समय सदन नहीं था।

श्री कानसिंह—इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए एकाउन्ट्स कमेटी मुकर्रर हुई थी और उसने इस वजह से कोई काम नहीं किया जिसकी वजह यह रही कि सरकार से कई दफा हिसाब के मुताल्लिक कागज़ात मांगे मगर कोई जवाब नहीं दिया गया और न कागज़ात ही भेजे गये। इसके बाद पब्लिक एकाउन्टस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि हम काम नहीं कर सकते। इस विषय में ऑफिसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, जिन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया?

श्री अध्यक्ष—This is not a Question hour.

श्री जयनारायण व्यास—इसमें कई मिस एप्रोप्रिएशन हुए हैं। मगर उस समय राजप्रमुख को एसेम्बली की पॉवर्स थीं और जो कुछ हुआ वह एसेम्बली के पावर्स से हुआ। लेकिन जून १६५३ में जब एकाउन्ट्स सरकार के सामने रखे गये और यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई तो सरकार को मालूम हुआ और अब चूंकि यह ध्यान में लाया गया है, इसीलिये अब इसको रेगुलराइज़ करना चाहिये, इसीलिये अब रेगुलराइज़ करने के लिये यह आपके सामने रखा गया है। इसमें ऑफिसरों ने गलती की है या मिनिस्टरों ने गलती की है यह सवाल अब उठ नहीं सकता है। यह रेगुलराइजेशन के लिये सदन के सामने पेश है।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ी रकम ५० लाख की कस्टम की दिखाई है अगर इसको पढ़ा जावे तो साफ जाहिर होगा कि—

"The provision for this was made under I.—Customs. The expenditure, however, was debited to this head until it was transferred to I-Customs

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप कहाँ से पढ़ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—He is reading from the Supplementary Demands which will come up tomorrow.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Excess Demands?

श्री भोलानाथ—मैं यह बता रहा था कि कुछ हैड्स में गलत इन्दराज़ हो गए हैं और इसी वजह से आपको यह मंजूर कर लेना चाहिए।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं समझता हूँ कि यह मामला बिल्कुल साफ हो गया है। १६५०-५१ की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, १६५३ में आई और इससे पहले यह मालूम नहीं हो सका और जब रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ...

श्री अध्यक्ष—If that would have been disclosed earlier...

श्री श्री दास गोयल—In June, 1953, it came to the notice of the Government.

श्री अध्यक्ष—So the Government is not responsible for this.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Let us not proceed with it.

कु. श्री जसवन्त सिंह—Sir, we never say the Government is responsible.

श्री अध्यक्ष—So, the question is that the motion be passed.

(स्वीकृत)

The motion is passed.

श्री जयनारायण व्यास—All the excess Demand smay be taken as a whole. All the arguments have been replied. The same arguments may not be repeated.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is not possible for the simple reason.

(ख) अधिक मांग सं० ९९ पुलिस

श्री अध्यक्ष— Demand No. 99. We take the motion moved. There are cut-motions in regard to this Demand.

श्री भैरू सिंह (डि० १६)—माननीय अध्यक्ष, मेरा कट मोशन इस प्रकार है :—

"That the Demand for Excess Grant in respect of 99. Police be reduced by Rs. 100/— (to discuss the failure of the Government in putting the accounts after a long period)."

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रियासतों के एकीकरण के पश्चात् जब सारी पूंजी भारत सरकार के अन्तर्गत चली गई उस वक्त राजस्थान सरकार के ऊपर विशेष बोझ आया और वह था, राजस्थान की सुरक्षा। राजस्थान सरकार ने, जितनी भी रियासतें राजस्थान में शामिल हुई थीं, उनकी स्पेशल आर्म्ड फोर्सेज़ जो थीं उनका एकीकरण करके राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी नाम रख दिया। जब से यह आर्म्ड कौंस्टेबुलरी बनी तब से इसका कुछ खर्चा भारत सरकार पर होना चाहिए था; इसके लिए राजस्थान सरकार ने कारण बताए थे। जो कारण राजस्थान सरकार ने बताए, वे यह थे कि उसकी सीमा कई सौ मीलों तक पाकिस्तान से लगी हुई है, इसलिए उसका भार राजस्थान सरकार पर न हो, अपितु भारत सरकार पर होना चाहिए। यह मांग आज से नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार १९५१ से आज तक भारत सरकार से करती चली आ रही है।

इसके बाद फाइनेन्स कमीशन आया और भारत सरकार की तरफ से फाइनेन्सेज की जाँच करने के लिए स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया गया। उसके बाद टैक्स इन्क्वायरी कमीशन आया। उस समय भी जाँच करवाई गई और यह तय हुआ कि यह आर्थिक संकट राजस्थान सरकार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार ने आज तक १९५१ से लेकर. १९५४ तक जितने रिप्रेजेन्टेशन किये वे सारे के सारे भारत सरकार को इस बात के लिए कन्विन्स नहीं कर सके कि उसका भुगतान शीघ्र हो।

[श्री भैरूँसिंह]

सन् १९५१ का खर्चा आज सदन से पास कराया जाता है। सन् १९५१ के बाद, जैसा कि माननीय अर्थ मन्त्री महोदय ने बताया, कुछ ऐसी मदों में जिनमें बजट पर कोई विशेष असर नहीं होगा यह मद आ सकती है। पर मंजूर शुदा यह बजट से ज्यादा खर्च किया गया था। पुलिस विभाग में जो मद रखी गई थी उससे ज्यादा खर्चा किया गया था। कई मदों में एक डिपार्टमेंट से निकाल कर दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट जरूर किया गया है। परन्तु इस मद में भारत सरकार से पैसा मिलने की उम्मीद में ज्यादा खर्चा कर दिया गया। राजस्थान सरकार को यह उम्मीद थी कि भारत सरकार इतना रुपया दे देगी। अतः उन्होंने सारा का सारा खर्च कर दिया, किंतु उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। सन १९५१ में १ लाख ८४ हजार रुपया खर्च किया गया। राजस्थान सरकार का ध्यान तीन वर्ष के बाद इस ओर गया। उसके पश्चात् उसकी सफाई में यह कह दिया जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट से तीन साल बाद राजस्थान सरकार को इत्तला मिली।

श्री जयनारायण व्यास—Centeral Audit Report.

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—सेन्टर की समझ लीजिए।

तो तीन साल तक राजस्थान सरकार के अर्थ मंत्री महोदय चुपचाप बैठे रहे। उनको मालूम ही नहीं कि १ लाख ८४ हजार का खर्चा हो चुका है। हालांकि यह माना जा सकता है कि सन् १९५१ में राजस्थान सरकार असेम्बली के प्रति जिम्मेदार नहीं थी किंतु सन् ५२-५३ में तो वे इसको सदन में रख सकते थे। मैं, माननीय अध्यक्ष, यही कहूंगा कि उस वक्त के अर्थ मंत्री की यह अयोग्यता का प्रमाण है कि १ लाख और ८४ हजार का खर्चा उनको मालूम ही नहीं हुआ। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह खर्चा मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह रकम जो मांगी जा रही है इसका मुख्य कारण इधर से उधर कोई एडजस्टमेंट हो ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान सरकार समय पर भारत सरकार के सामने हिसाब पेश नहीं कर सकी और इसकी वजह से जो रुपया भारत सरकार द्वारा हमें मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। मैं आपका ध्यान ऑडिट रिपोर्ट के पृष्ठ ५८ पैराग्राफ दो की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें यह साफ लिखा है कि:—

* The non-realization of this subvention from the Government of India accounts for the net excess, which is the cause for the net excess, of Rs. 1,84,838, over the net grant. This could not be realised of the Government of India required a certified statement of account relating to the Armed Constabulary before the actual payment was made. The requisite statement could not be finalised and furnished by the departmental authorities before the accounts for 1950-51 were closed.

---

* Not the actual words, as appearing in the Report.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसका तात्पर्य यह है कि जिस विभाग द्वारा स्पेश्यल आर्म्ड कॉन्स्टेब्युलरी के लिए खर्चा किया गया यदि समय पर हिसाब प्रस्तुत कर देते तो भारत सरकार से तो हमें लाखों रुपया कन्वेन्शन का मिल जाता, किन्तु हिसाब प्रस्तुत न करने की वजह से न मिला और आज इसीलिए यह एक्सेस डिमान्ड हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। मैं यह चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष, कि इधर उधर की बचत करके गवर्नमेंट ने, जो खर्चा हुआ है उसको पूरा कर लिया है लेकिन सदन कम से कम आज पार्टी का क्वेश्चन सामने न रखते हुए इस बात की ओर रिवोल्ट करें कि इस टोकन कट को मंजूर करके इतने बड़े विभाग, जिसमें करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है, लाखों रुपयों के जीप्स और अन्य सामान खरीद होते हैं, अगर वह हिसाब समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो कोई अधिकार नहीं है दो साल के बाद यह कहने का कि हमें पैसा दो।

दूसरा एतराज मेरा, माननीम अध्यक्ष, यह है कि अभी अभी भूतपूर्व माननीय मुख्य मन्त्री और वर्तमान अर्थ मन्त्री, अथवा वर्तमान मुख्य मंत्री और भूतपूर्व अर्थ मन्त्री, दोनों साहब नेबयान किया कि यह जानकारी हमको जून सन् १९५३ में हुई। मैं कोई सिक्रेट डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। जो छपी छपाई रिपोर्ट हैं उससे कहता हूँ, मेरे दिमाग से नहीं। अतः ऑडिट रिपोर्ट में जो रिमार्क्स दिये हुए हैं अगर उनको आप देखने की तकलीफ फरमावेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो यह रिपोर्ट अकाउन्टेन्ट जनरल राजस्थान द्वारा कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल को भेजी गई है उसके महीनों पहले ड्राफ्ट पेराग्राफ्स राजस्थान सरकार को भेजे गये थे। जब ये ड्राफ्ट पेराग्राफ महीनों पहले राजस्थान सरकार के पास आ गये थे, जब फाइनल ऑडिट ओब्जेक्शन्स महीनों पहले आ गये थे तो फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि जून १९५३ में ही मालूम हुआ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

I am quoting from a public document.

श्री अध्यक्ष—May quote. But the time limit is there.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I thought the Objection was for the document. तो मैं यह कह रहा था कि आप अब यह नहीं कह सकते कि यह रिपोर्ट हमारे बाद में ध्यान में आई। यह तो हो सकता है कि बाद में समझ में आई हो अगर बाद में समझ में आई है तो सदन को मौका मिलना चाहिए कि वह इस कमजोरी को दिखावे और अपनी राय प्रकट करे।

तीसरा कारण मैं, माननीय अध्यक्ष, ब्रीफली (संक्षेप में) कहूँगा जिसके आधार पर कि मैं विरोध करता हूँ। वह यह है कि इसमें असलियत को छिपाया गया है। इसलिए छिपाया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से रुपया मिलेगा और इसी आधार पर लाखों रुपयों का सामान राजस्थान सरकार ने खरीदा, जल्दी-जल्दी में खरीदा। यदि उस जल्दी-जल्दी सामान की खरीद के सिलसिले के कागजात माननीय मन्त्रीजी मुलाहिजा फरमावेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि मार्च के अन्त तक खरीद होनी थी, दस-पन्द्रह दिनों में अगर सारा सामान नहीं खरीदा तो रकम लेप्स हो जायगी और इस प्रकार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की खरीद करते वक्त टेन्डर का खयाल नहीं रखा गया और दूसरी चीजों का खयाल भी नहीं रखा गया और यह भी था कि राजस्थान सरकार को भारत सरकार से रुपया मिलेगा और सामान उस वजह से जल्दी जल्दी खरीदा। उस वक्त तो उनको तेजी थी। इसमें घोटाला भी हुआ है, ऐसा सुनते हैं। और आज पैसा लेने की बात आई तो १।। साल तक हिसाब पेश नहीं किया, इसका कुछ नहीं। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए इस मद की मन्जूरी नहीं दी जानी चाहिये। जो कट मोशन रखा गया है, उसको पास करके सरकार को बता देना चाहिये कि हम कम से कम प्रोटेस्ट तो रेकॉर्ड करते है।

श्री टीकाराम पालीवाल—(वित्त मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सही बात को ध्यान से ओझल किया जा रहा है। मैंने निवेदन किया कि सदन के सम्मुख जो कुछ डिमान्ड प्रस्तुत हुई है वह ज्यादा नहीं है, कम ही हुई है। वह कोई सन् १९५०-५१ की बात है जब दूसरी गवर्नमेंट थी और दूसरी गवर्नमेंट ने किया है। वर्तमान गवर्नमेन्ट उस गवर्नमेन्ट की इस गलती की उत्तरदायी नहीं है। It holds no responsibility for that Government, absolutely. We are not responsible for that. We are simply putting that.

श्री गोपीलाल यादव—On a point of Order, Sir, मैं श्रीमान् से जानना चाहूँगा। कोई भी गवर्नमेंट कह सकती है कि पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा किया। मैं मानता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट ने किया। तो जो कुछ किया गया क्या उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं कि हम उसको रेगुलराइज़ करें?

(एक सदस्य के बोलने के लिए खड़े होने पर घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order ! one member at a time.

श्री गोपीलाल यादव—अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो आप उन पर मुकद्दमा चलायें और कार्यवाही करें, किन्तु क्या जो इर्रेगुलेरिटी हो चुकी है उसको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता था? यदि आप इर्रेगुलेरिटी करेंगे और आगे की गवर्नमेंट कहेगी कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं तो...

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, जरा माननीय सदस्य सब्र रखते और मुझे सुन लेते तो उनको संतोष हो जाता। मैं यह कह रहा था कि अकाउन्ट्स इर्रेगुलराइज़ हो गये थे उसके लिए मैंने कहा था कि वर्तमान गवर्नमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है......

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, has the mover of this motion delegated his right of reply to somebody else ?

श्री अध्यक्ष—There is no point of order. Any member may speak.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—The mover would reply, don't bother. The accounts are being explained by the Finance Minister.

[redacted]

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)--(अपना भाषण जारी रखते हुए) इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि उस समय यदि कोई गलती रह गई तो उससे यह समझा जाय कि कोई एम्बेज़लमेंट जैसी कोई चीज़ हो गई हो, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी चीज़ होती, यदि आपके कहने में कुछ जस्टिफिकेशन होता तो वर्तमान गवर्नमेंट क्यों नहीं मुकद्दमा चलाती ? यह कहना आपका वाजिब था, किन्तु ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन जो कुछ काम किया गया, जो कुछ खर्चा किया गया ईमानदारी के साथ, नेक-नीयती के साथ, पब्लिक के हित में किया गया। उन्होंने उस समय उसको रेगुलेराइज नहीं किया सिर्फ यह खामी रह गई थी। उसी खामी को पूरा करने के लिए सदन के सामने यह माँग रखी गयी है। अगर उसी समय इस खामी को पूरा कर दिया जाता तो आपके सामने इस माँग को रखने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस समय राजप्रमुख को विधान सभा के अधिकार प्राप्त थे, वे उस समय करा सकते थे। सन् ५२ से पहले उसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकती थी। जितने जोश-खरोश के साथ जो यह बात कही जाती है उससे माननीय सदस्य व्यर्थ ही अपनी शक्ति का क्षय कर रहे हैं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं इसके साथ दो शब्द जोड़ देना चाहता हूँ, दर असल जो असलियत है उस असलियत को जोर की आवाज के नीचे दबाने की मेरे मित्र कोशिश कर रहे हैं। श्री भैरू सिंह ने कहा कि घाटा हो गया, नुकसान हो गया और हम हिसाब नहीं पेश कर सके। यह जो बातें कही गईं वे बिल्कुल गलत हैं। बात यह है कि सन् ५०-५१ का बजट उस समय सरकार ने बना लिया था और उसके बाद केन्द्रीय सरकार की तरफ से हमको यह आदेश मिला। मैं उस समय की सरकार की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता हूँ। राजस्थान सरकार को आदेश मिला कि वे अपनी आर्म्ड कोन्स्टेबुलरी ओरगेनाइज़ कर लें इसलिए उसको उस बजट में डालना तो संभव नहीं था। उसके बाद में उस पीरियड के अन्दर सर्टिफाइड अकाउन्ट्स नहीं भेजे जा सकते, सर्टिफाइड अकाउन्ट्स भेजने के लिए अकाउन्टेन्ट जनरल को भेजना पड़ता। वे कई प्रकार के सवालात व ऐतराजात उठाते, इसलिए जो इयर अन्डर रिव्यू होता है उसका हिसाब-किताब नहीं आ सकता है, उसमें रुपया भी वसूल नहीं हो सकता था। आपको राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहिये कि उसने रुपया सब वसूल कर लिया है। हमारा जितना रुपया वसूल करने का ताल्लुक था हमने वसूल कर लिया है, उसके लिये आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सर्टिफाइड अकाउन्ट्स पेश न होने की वजह से उस समय अकाउन्ट्स नहीं भेजे जा सकते थे इस प्रकार टेक्निकल गलती हो गई। उस टेक्निकल इर्रेगुलेरिटी को दुरुस्त किया जाता है, इसलिए यह माँग आपके सामने रखी गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास ने कहा है कि अलग-अलग डिपार्टमेन्ट्स को ड्राफ्ट भेज दिये गये थे। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जब कोई चीज गर्भाधान में होती है तो उसकी सही हालत का पता नहीं चलता। जिस समय रिपोर्ट मुकम्मिल होती है तभी पता चलता है, तभी वस्तुस्थिति का ज्ञान होता है। जिस प्रकार गर्भ में लड़का है या लड़की इस बात का पता पहले नहीं चलता उसी प्रकार पूरी रिपोर्ट के आने पर ही पता चलता है कि रुपया कितना कितना खर्च हुआ......

श्री अध्यक्ष—He has no experience of that.

(हँसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—एक्सरे द्वारा तो पता लग सकता है कि लड़का है या लड़की।

(हँसी)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(अपना भाषण जारी रखते हुये) जहाँ तक रिपोर्ट का ताल्लुक है मैं माननीय सदस्य का ध्यान ऑडिट रिपोर्ट जो कि ए. जी. द्वारा सर्टिफाइड है और जिस पर १२ जून की तारीख लगी हुई है, आकर्षित करता हूँ। पोज़िशन यह है कि रुपया वसूल हो गया है, राजस्थान सरकार ने रुपया वसूल कर लिया है; रुपये के लिये फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। उन दिनों अकाउन्ट नहीं दिया गया उसका कारण यह था कि एक तो बजट बनने के बाद आदेश मिला, सर्टिफाइड कॉपी टाइम पर नहीं जा सकी। जब तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं जाती तब तक अकाउन्ट रेगुलराइज नहीं हो सकता। उस समय की सरकार चाहती तो राजप्रमुख के सामने रेगुलराइजेशन के लिए रख देती। अब सिर्फ आपके सामने इसको रेगुलराइज करने के लिए रखा जाता है, न कि गर्म होने की आवश्यकता है। रुपया वसूल कर लिया गया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—हमारा तो यह कहना है कि इतना जल्दी जल्दी क्यों खर्च किया गया?

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य मन्त्री) इन पोइन्ट्स का जवाब दे चुका हूँ, कितना कितना रुपया किस-किस काम पर खर्च किया गया, उसकी स्क्रुटीनी करना इस सदन के लिए और मेरे लिए उचित नहीं।

श्री अध्यक्ष—You want to withdraw this?

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, I would reply. The right of reply is wish of the mover.

श्री अध्यक्ष—No, No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Absolute mis-statements have been made. I have a right of reply.

श्री अध्यक्ष—Cannot you waive your right?

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir.

श्री अध्यक्ष—I do not think he has a right.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Under Rule 105, sub-rule (2).

श्री अध्यक्ष—These are excesses. No purpose will be served. Money has already been spent.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My cut is a token cut.

Page No.56

श्री अध्यक्ष—I have to apply the guillotine at 12.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will only take two minutes. Two mis-statements have been made.

श्री अध्यक्ष—I do not know whether from this side or that side ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will only quote from papers published from the Government.

श्री विश्वंभरनाथ जोशी—You will speak from the District Bill.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No interruption, please.

(विराम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी यह कहा गया कि बायोलोजी का ज्ञान कुछ लोगों को कम है, परन्तु कम से कम मेरा ख्याल है कि सरकार के मन्त्री लोगों को बायोलोजी के ज्ञान के अलावा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने-लिखने का भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिये। उन्होंने ए. जी. की १२ तारीख की छाप तो मुझे बतायी है किन्तु उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट के प्रीफेटरी रिमार्क्स में पैरा २ पेज (iii) को देखने की कोशिश नहीं की है।

"Every effort is made to obtain an agreement on the statements of facts from the departments to whom draft paragraphs are sent for the purpose."

इसलिये जो गर्भादान आदि की बात कही गई वह ऐसी बात नहीं थी जिसका कि पता नहीं चले। वह सरकार को भेजी जाती है, यह पूछने के लिए कि आप इसे मन्जूर करते हैं या नहीं। उन दिनों में तो मन्जूर करली और अब मन्जूर नहीं करते हैं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—आप पेज एक और तीन जोड़ कर पेज ३३ को भी देख लीजिये।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—He took one minute.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I could finish if there were no interruptions.

श्री अध्यक्ष—Then you would be deemed to have finished.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Another mis-statement was made, Sir, वह यह था कि......

श्री अध्यक्ष—Mis-statement may be made. May not be misconception.

(हँसी)

Page No.57

कु० श्री जसवन्तसिंह—Government have the experience.

(हँसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अपना भाषण जारी करते हुए) मुझे एक और बात कहनी है। यह कहा गया कि तसल्ली रखी जानी चाहिये, कोई घोटाला नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ यह तसल्ली कैसे रखी जाय क्योंकि वह उसी समय अकाउन्टेन्ट जनरल को सबमिट क्यों नहीं की गई ? उसकी जाँच हो जाती तो हम तसल्ली कर सकते थे। जितनी जल्दी आपने रुपये खर्च करने की कोशिश की, माल दौड़-दौड़ कर खरीदा गया उतना जल्दी हिसाब देने में तेजी क्यों नहीं बतायी गई ? सर्टिफाइड कॉपी क्यों नहीं पेश की गई ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष— It is only repitition. (श्री मुख्य मन्त्री को संकेत करके) Do you want to reply ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)— There seems no need, Sir.

एक सदस्य (विरोधी दल)—You cannot.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Cut Motions moved by Shri Bhairon Singh and Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut motions are rejected.

(विराम)

The question is that the Demand be granted.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(ग) अधिक माँग संख्या १०७ विद्युत योजनाओं पर केपिटल आउटले

Now we come to Demand No. 107. It is a nonvotable demand.

श्री जयनारायण व्यास— Charged.

श्री जसवन्तसिंह—What has become to Demand No. 100

श्री अध्यक्ष—Just wait.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—(contd.) Demand No. 107 on Capital Outlay on Electricity Schemes. The motion is, "That an excess sum not exceeding Rs. 9,10,304/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which came in course

[श्री अध्यक्ष]

of payment during the year ending on the 31st day of March, 1951, in respect of Grant No. 107, Major Head 81—A-Capital Outlay on Electricity Schemes."

Motion moved. (विराम) The question is that Demand No. 107 be granted.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

Next is a non-votable.

(घ) अधिक माँग संख्या १०८—राज्य सरकार द्वारा लोन्स एण्ड एडवान्सेज़

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—108.

श्री अध्यक्ष—Yes, Demand No. 108. The motion is, "That an excess sum not exceeding Rs. 81, 37, 308/-be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which came in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1951 in respect of Grant No. 108-Major Head R-Loans and advances by State Government."

Cut Motion by Shri Bhairon Singh. (वि० सं० १६)

श्री भैरूं सिंह—I do not want to move, Sir."

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Sir, there is one point. These Demands which are non-votable, have they been passed ?

श्री अध्यक्ष—They have been proposed and put to vote. It is necessary that every demand should be put to vote. Every excess demand has been explained and if the House wants to discuss at each and every time, it can do so.

श्री जसवन्त सिंह—That is not the point. There are one or two demands which.......—

श्री अध्यक्ष—We can discuss.

The question is Demand No. 108—Major Head Loans and Advances by State Government be accepted.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

(श्री जसवन्तसिंह को संकेत करके) You let me know which particular demand you want to discuss.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Demand No. 100 has been caused due to adjustment.

श्री अध्यक्ष—It will come at once. We pass on to Demand No, 96. The motion is, "That an excess sum not exceeding Rs. 50,94,387/-be granted to H. H. the Rajpramukh to defray charges which came in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1951 in respect of Grant No. 96, Major Head 13-Other Taxes and Duties........"

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, Demand No. 108 has not yet been taken.

श्री अध्यक्ष—This is charged.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But a taken cut can be moved all the same, Sir.

श्री अध्यक्ष—That is not votable. A non-votable demand under the Constitution...

श्री हरिकृष्ण व्यास—But for the purposes of discussion, a token cut may be moved and discussion can take place.

श्री अध्यक्ष—I think I had put it and you were not responsive at that time.

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—It could not have been put to the House since it is not votable. It was under discussion, but it was never put. It could not have been put to vote.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Why are you afraid of the question being discussed ?

श्री अध्यक्ष—It is matter of principle.

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्तमन्त्री)—No question of my being afraid. The Demand is there and there could have been a discussion on it. Since no discussion was raised, it was passed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, The demand may have been discussed after being proposed. A motion to that effect should have been moved. Now it is a simple procedure. The whole thing may be taken as moved. Therefore discussion should commence when it comes up.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

Hon'ble Speaker, Demand No. 108 was not taken. The next demand was immediately taken. I think a statement of such discussion should commence.

श्री टीकाराम पालीवाल--Perhaps the Hon'ble Member does not remember that the Chair did mention that this demand is non-votable. It is charged. Nobody spoke and nobody desired discussion. It was, therefore, passed over.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That was not so. That was, if I am permitted to say, an informal consultation was going on near the Chair. It was not......

श्री टीकाराम पालीवाल--No consultations. When the previous demand was passed, the Speaker said Demand No. 108 is a non-votable demand. It is charged. Nobody desired discussion. It was passed over.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do not concede the procedural point. If the Hon'ble Member is afraid of discussion, he would not escape. He will have it.

श्री टीकाराम पालीवाल—No question of being afraid. I have nothing to say.

(ङ) अधिक माँग संख्या ६६ अदर टेक्सेज़ एण्ड ड्यूटीज़

श्री अध्यक्ष--The motion is, "That an excess sum not exceeding Rs. 50, 94, 387/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which came in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1951, in respect of Grant No. 96-Major Head 13—Other Taxes and Duties."

(विराम)

The question is that the Demand be granted.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(च) माँग संख्या १०१ विद्युत योजनाओं से रसीदें इत्यादि

Demand No 54A-Territorial and Political Pensions. This is a nonvotable demand. Then we pass on to 101, Receipts from Electricity schemes, Deduct-working expenses Motion moved. (विराम) "The question is that an excess sum not exceeding Rs. 78, 52, 554/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which came in course of payment during the year ending on

[श्री अध्यक्ष]

the 31st day of March, 1951, in respect of Grant No. 101-Major Head XLI-Receipts from Electricity Schemes. Deduct working expenses.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(छ) अधिक माँग संख्या १०३ लेखन सामग्री तथा मुद्रण इत्यादि

Motion moved.

(विराम)

The question is, "That an excess sum not exceeding Rs. 5,81,791/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which came in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1951, in respect of Grant No. 103 Major Head 56-Stationery and Printing - II - Printing-Government Presses"

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(ज) माँग संख्या १०४

Demand No 104. Motion moved.

(विराम)

The question is, "That an excess sum not exceeding Rs. 7,41,729/- be granted.........

श्री हरिकृष्ण व्यास--There are cut motions to this demand No. 104.

श्री अध्यक्ष--I see. You want to move your cut motion ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं ऐसा समझ लूँ कि the Cut motion is moved, मैं उन कारणों को बतादूँ जिन कारणों से मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है। जो "डिमान्ड नं० १०४,५७, Miscellaneous and unforeseen charges" प्रस्तुत की गई है उसके लिए एक सेन्टेन्स लिखा है कि "The excess is due to payment of unforeseen arrear charges arising in respect of pre-April, 1950 liabilities." मेरे यह कटमोशन रखने का जो इरादा है वह इसीलिए है कि हमारे भूतपूर्व वित्त मन्त्रीजी और वर्तमान मुख्य मन्त्रीजी साहित्य में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो यह pre-April, 1950 की लाइबिलिटीज़ भी करीब-करीब एक साहित्य सी बन चुकी हैं और इसका द्रोपदी के चीर की भांति कोई अन्त नहीं होगा।

श्री जयनारायण व्यास—प्राचीन साहित्य ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है यह तो अन्दाज पड़ता है, लेकिन इसका अन्त कब होगा यह तो कम से कम किसी को सूझता नहीं, क्योंकि सन् ५० के बाद से जितने बजट आये हैं उनमें हर बार जैसा Pre-April, 1950 crop up हुआ है वैसे और अब कितने बाकी हैं ? इसके बारे में प्रश्न करें तो ऐसा पता नहीं कि कब और निकल आयेगा जमीन में से। यह अन्तहीन माँगें राजस्थान के ऊपर हैं। मेरा खयाल है कि यह उसूलन गलत चीज़ हैं। जब कभी एकाउन्ट्स क्लोज़ किये जाते हैं तो टोटल एसेट्स और लाएबिलटीज़ का पता लगा कर उनको डिटरमिन (determine) करने की कोशिश की जाती है। अब यदि यह चलता रहा ५-१० साल तक कि जो सन् ५० के समय के देने बाकी हैं और कभी भी मांग प्रस्तुत करने की गुंजाइश रहे तो यह बहुत भयंकर इर्रेग्युलेरिटी (irregularity) है, यह मैं कहूँगा, और इस ओर सदन का ध्यान दिलाने के लिए और सदन की यह राय कम से कम इस कट मोशन के ज़रिये साफ हो जाय कि यह प्री अप्रेल १६५० के जो खर्चे हैं वह एक बार अब फाइनल्ली determine कर दिये जांय। देना हो उतना दे दीजिये, लेकिन उसका अन्त किया जांय, द्रोपदी के चीर की तरह लगातार न चलते रहें। इस इरादे से यह मांग प्रस्तुत की गई कट मोशन की। मुझे उम्मीद है कि सरकार को इसे मान लेना चाहिए क्योंकि यह उनके ही हित की बात है कि उन्हें कम रुपया देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १०६)—मैं बोलना नहीं चाहता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, पहले ही यह साफ कहा जा चुका है कि सन् ५०-५१ को लेकर ही यह तमाम कार्यवाही की जा रही है और मेरे मित्र श्री एच. के. व्यास उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। उस कार्यवाई के लिए जो कि ५०-५१ की है वह बार-बार दुहाई देते हैं कि सरकार को विज़िलेन्ट रहना चाहिए था, इस तरह की गड़-बड़ नहीं करना चाहिए। ५०-५१ की ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है उस वक्त यह कट मोशन हो रहा था। उसके सिलसिले में आज फिर इस प्रकार की बातें क्यों वह बार-बार सामने ला रहे हैं।......

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप चेयर को एड्रेस कीजिये।

श्री श्रीदास गोयल—मैं चेयर को ही एड्रेस कर रहा हूँ। मेरे खयाल से यह उनकी आदत पड़ गई है।

मैं माननीय अध्यक्ष से यह निवेदन करूंगा कि जैसा कि बसेज़ के परचेज़ के सिलसिले में बहुत बड़ा एकाउन्ट खर्च हो गया और जिसके लिए पहले बजट के वक्त में कोई आइटम नहीं था, कोई गुंजाइश नहीं थी तो इस इस तरह से एक्सेस में आ गई; (एच.) एन्ड (ई) के अन्दर वह २ लाख रुपये की थी और जिसको एक्सेस में लेना पड़ा। जैसा

[श्री श्रीदास गोयल]

कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब फर्मा चुके हैं कि जो कुछ भी एक्सेस या कमी है उसकी इर्रेग्यूलरिटी (irregularity) को दूर किया जा रहा है। रुपया नहीं लिया जा रहा है। उस साल जो कुछ रुपया था उसका तमाम एक्सपेन्डीचर हो चुका है। एक टेक्निकल डिफेक्ट रह गया था उसको दूर करने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है। इसलिए अच्छा होता कि माननीय मित्र इस हाउस का वक्त वेस्ट नहीं करके इस पर ईल्ड (yield) हो जांय। यही मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इसको वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष--(ट्रेजरी बेन्चेज़ को संकेत करके) इसका उत्तर देंगे।

श्री जयनारायण व्यास—इसके उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--(श्री हरिकृष्ण व्यास को संकेत करके) You want to press the motion ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do, if there is no reply.

श्री अध्यक्ष—The question is that the cut motion of Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut motion fails.

(विराम)

The question is that the Demand be granted.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(झ) माँग संख्या १०५ जन-स्वास्थ्य सुधार पर केपिटल आउटले

Motion moved.

(विराम)

The question is that an excess sum not exceeding Rs. 2,81,085/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which came in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1951, in the respect of Grant No. 105-Major Head 70-Capital on outlay Improvment of Public Health.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(ञ) माँग संख्या ६५ मोटर वेहिकल्स अधिनियम के अधीन चार्जेज़

Motion moved.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

The question is that an excess sum not exceeding Rs. 1,318/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which came in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1951, in respect of Grant No. 95-Major Head 12- Charges on account of Moter Vehicles Act.-

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(ट) माँग संख्या ९७ सिंचाई इत्यादि के कंस्ट्रक्शन

Motion moved.

(विराम)

The question is that an excess sum not exceeding Rs. 26,013/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which came in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1951, in respect of Grant No. 97, Major Head 19 - Consruction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(विराम)

Motion moved.

(विराम)

No. 22. This is non-votable and no cut motion. We come to Demand No. 100

(ठ) अधिक माँग संख्या १०० एवियेशन

Motion moved. Cut motion by shri H, K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I take the cut motion as moved.

मेरा खयाल है कि सरकार कम से कम इस कटमोशन पर निरुत्तर न हो जाय, इसलिए मैं फिर उस ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देना पसन्द करूंगा जो माननीय अध्यक्ष, एक अधिकृत डोक्युमेंट है। पेज २१ पर पेराग्राफ २२ "एक्स्पेन्डीचर इन दी डिपार्टमेंट" के सब पैरा २ में दर्ज यह है कि विभिन्न रियासतों के हवाई जहाज राजस्थान को मिले, उनमें से कुछ काम आये और कुछ काम नहीं आये। लेकिन साल भर में जो खर्च हुआ एस्टोब्लिशमेंट पर ८००००) रु० और बाकी सब मिलाकर ३,१०,००९) रु०; जिसका हिसाब यह ऑडिट रिपोर्ट लगाकर इस नतीजे पर पहुँची है कि यह ५००) रु० पर per Hour of flight हुआ। एक घन्टा हवाई जहाज से दौड़ने का ५००) रु० खर्च हुआ। माननीय

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अध्यक्ष, उसके आगे आप अगर २ लाइनें और बढ़कर गौर फरमावें तो पता लगेगा कि "Trips were mainly from Jaipur to Delhi." यह सेन्टन्स काफी इम्पॉर्टेन्ट है कि जयपुर से दिल्ली मेनली ट्रिप्स की गई हैं; हवाई जहाज से की गई हैं। राजस्थान सरकार ने हवाई जहाज इसलिए रखे कि मन्त्री लोग जा सकें जयपुर से दिल्ली तक और खर्चा हुआ ५००) रु० per hour of flight. वैसे तो मेरा खयाल है कि मन्त्री लोग हवाई जहाज से काफी आते-जाते रहे होंगे जो सर्विस प्लेन हैं उनसे। दिल्ली का रन करीब २-१ घन्टे का है, उसका खर्चा मेरे खयाल से ३०) रु० के लगभग पड़ता है और मैंने जानकारी करने की कोशिश की तो मालूम हुआ, माननीय अध्यक्ष, कि स्पेशल प्लेन अगर चार्टर कराया जाय यहाँ से तो उसका खर्चा २००) रु० से ३००) रु० तक पड़ता है, ज्यादा नहीं। अर्थात् राजस्थान सरकार के मन्त्रियों द्वारा चार्टर्ड प्लेन से भी ज्यादा खर्चा पर ऑवर ऑफ फ्लाइट के लिए किया गया है। इतना ज्यादा खर्चा हुआ कि पहले जो रखा गया था उससे पूरा नहीं हुआ तो मांग कर दी कि हमारा खर्चा ज्यादा पड़ा, वह दे दो। तो माननीय अध्यक्ष, यह जो कटमोशन मैंने प्रस्तुत किया वह कोई टेक्नीकल-वेकनीकल प्रश्न नहीं है, जैसा कि हमारे कई मित्र सोचने लगे हैं। यदि उस समय की सरकार किसी के प्रति जिम्मेवार नहीं थी, कम से कम विधान सभा के प्रति तो जिम्मेवार नहीं थी, तो उसके लिए यह कहें कि मेरा खयाल है कि अपनी पार्टी के प्रति तो उसे थोड़ी बहुत वफादारी रखनी चाहिये और चाहे वह किसी के प्रति जिम्मेवार नहीं थी लेकिन काँग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के प्रति तो जिम्मेवार थी। और उसी कांग्रेस के माननीय सदस्य कहते हैं कि हम कैसे जवाब दें। अपनी पार्टी के लिए इस तरह से हाथ छिटकाना अच्छा नहीं है। और कम से कम मुख्य मन्त्री तो उस समय के और आज के भी एक ही है।

श्री जयनारायण व्यास--(मुख्य मन्त्री) No-no, मैं यह इत्तला करना चाहता हूँ कि अप्रेल, ५१ से पहले की तो मैं बात नहीं कहता लेकिन उसके बाद तो किसी मन्त्री ने हवाई जहाज काम में नहीं लिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यदि इस वजह से आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो कम से कम अपनी संस्था का लिहाज़ रखते हुए तो आप पर जिम्मेदारी है ही; इसलिये जवाब दें कि इतनी फिज़ूल खर्ची क्यों की गई ?

श्री अध्यक्ष--Shri Bhairon Singh has also got one Cut-motion.

श्री भैंरूसिंह--माननीय श्री व्यासजी ने जो बातें बताई उनको लेकर मुझे कुछ इस ऑडिट रिपोर्ट में से दो लाइनें आगे पढ़ कर सुनानी पड़ेंगी जिससे स्पष्ट हो जायगा कि जो खर्चा हुआ है वह ठीक हुआ है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--आप अपनी स्पीच ही दे दीजिये, You borrow your speech from that !

श्री भैंरूसिंह—मैं दो लाइनें पढ़कर सुना दूं ताकि सब कुछ साफ हो जावे और शंका की गुंजायश ही नहीं रहे :

"It appears from the facts given above that the aircraft taken over by the Raja sthan Government and maintained by it were not utilised to a reasonably full extent. The cost of maintaining this facility for Ministers and Advisors also appeared to be high."

यदि राजस्थान गवर्नमेंट उस समय नहीं होती तो राजस्थान गवर्नमेन्ट का इस रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं किया जाता और यदि राजस्थान बनने के पूर्व खर्चा हो चुका था तो इसमें जिक्र ही क्यों आता ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—ऐसी बात नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल —राजस्थान बन गया था और उस समय की गवर्नमेन्ट में इस गवर्नमेन्ट के कोई मन्त्री उसमें नहीं थे।

श्री भैंरूसिंह—इसको आगे और बढ़ा दिया गया है।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं थोड़ा बतादूँ तो साफ हो जायगा। राजस्थान बना था ७ अप्रेल, सन् १६४६ को पहली गवर्नमेन्ट बनी थी और वह गवर्नमेन्ट ४ जनवरी, १६५१ तक रही। दूसरी गवर्नमेन्ट ५ जनवरी, सन् १६५१ को बनी और २५ या २६ अप्रेल तक वह रही। फिर २६ या २७ अप्रेल को तीसरी गवर्नमेन्ट बनी और उसमें अभी की गवर्नमेन्ट के भी कुछ सदस्य थे लेकिन उस समय सदन नहीं था।

श्री भैंरूसिंह—इस सवाल को दूर रखकर कि राजस्थान सरकार कब बनी थी और कौन मन्त्री कब काम कर रहा था, पर किसी भी सरकार ने राजस्थान बनने के बाद यदि जनता का पैसा फिजूल खर्च किया है तो आज की सरकार भी उसके लिये थोड़ी बहुत जिम्मेदार है। वह इसलिये कि इस खर्च को फिजूल खर्च समझने के बाद उन लोगों से चार्ज करे, जिन्होंने यह फिजूल खर्चा किया है या जिनके लिये ऑडिट रिपोर्ट में रिमार्क्स लिखे गये हैं। राजस्थान बनने के बाद मिनिस्टर या एडवाइज़र्स ने फिजूल खर्चा किया है तो सरकार को चाहिये कि इस खर्चे को बजट में न लाकर उन मंत्रियों या एडवाइज़रों के पास बिल बनाकर भेजे कि यह रकम राजस्थान सरकार बर्दाश्त करनेवाली नहीं है इसलिये तुमको यह रकम देनी होगी।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, मुझे इस पर कुछ बोलना तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ क्लेरिफिकेशन फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से करवाना है। वह यह है कि "Excess is due to adjustment of unforseen charges." यह अनफोरसीन चार्जेज़ कैसे हुए ? क्या किसी खास प्लेन की मरम्मत के लिये जरूरत पड़ी या राजस्थान सरकार या राजप्रमुख का प्लेन खराब हो गया था या क्या वजह हुई जिससे यह अनफोरसीन हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल—वे आइटम्स बहुत सारे हो सकते हैं। मशीनरी की रिपेअर्स आदि ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जिन पर ऐन टाइम खर्च करना लाज़मी हो जाय।

श्री जसवन्तसिंह—आपको मालूम नहीं है कि अनफोरसीन में रिपेअर्स हैं या क्या हैं? मैं डिटेल्स में जाना चाहता हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल—डिटेल्स इस समय तो मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन आॅवर में आपको दिये जा सकते हैं।

मैं हाउस से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय जितना समय इसमें लगाया जायगा वह व्यर्थ जायगा। उस समय की गवर्नमेंट लीगली कॉस्टीट्यूटेड गवर्ननेट थी। उस गवर्नमेंट ने जो खर्च किया है उसको कवर अप करने के अलावा There is no way out. That expenditure has to be regularised.

श्री भैरू सिंह—यह समय इस काम के लिये मुकर्रर है इस वास्ते किसी बात के लिये गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन लेना समय फिजूल बरबाद करना नहीं कहा जा सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Govrnment is a corporate body with perpetual succession.

इसलिये जो गवर्नमेंट राजस्थान में थी उसके मुत्ताल्लिक कमियें बातने का मतलब यह है कि आप भी कहीं ऐसी फिजूल खर्ची न करें।

श्री अध्यक्ष—You want to give a reply to it ?

श्री जयनारायण व्यास(मुख्य मन्त्री)— वैसे तो इस आपत्ति का उत्तर दिया जा चुका है लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। हवाई जहाज अचानक, जो उस समय राजस्थान सरकार थी उसके मत्थे मंड दिये गये थे और वे कैसी हालत में थे उसका पता नहीं था। सिर्फ ८० हजार रुपये तो एस्टाब्लिशमेंट के ही पड़ गये और मरम्मत और न जाने किन किन में कितना ही खर्चा हुआ जो २ लाख से ऊपर चला गया। जिस समय एविएशन डिपार्टमेंट सरकार ने लिया था उस समय जो खर्चा हो सकता था उसका अनुमान सरकार को नहीं था और अनुभव भी नहीं हो सकता था। कोई चीज विरासत में आजाती है और वही विरासत की चीज़ बहुत ही हानिकारक और नुकसानदे (हानिप्रद) हो जाती है।

कभी कभी पता भी नहीं लगता है कि कौनसी चीज क्षति पहुँचानेवाली है आर्थिक दृष्टि से। इस चीज़ को हरिकृष्णजी ने बताया कि ३१ मार्च को हमारी सरकार थी पर ३१ मार्च, सन् ५१ को हमारी सरकार नहीं थी एडवाइज़र्स की सरकार थी। दिल्ली जाने-आने में बहुत खर्चा हुआ: अचानक जाना पड़ा होगा। उसके लिये एक्सप्लेन करने का कारण नहीं है। उस समय के एडवाइज़र्स और मिनिस्टर्स भी हमारे साथ हैं नहीं, जो साफ साफ़ कह सकें कि खर्चा कैसा हुआ। खर्चा हो सकता है। उसके डिटेल्स चाहते हैं तो प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं। खर्चा उचित हुआ या ज्यादा

[श्री जयनारायण व्यास]

हुआ यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि दूसरा पक्ष हमारे सामने है नहीं। अब यह कहना कि खर्चा नहीं दिया जाय यह उचित नहीं जँचता। भैरूंसिहजी कहते हैं कि खर्चा उन्हीं से लिया जाय। इसी तरह से पहले और भी सरकारें थीं, राजाओं की सरकारें भी थीं। यदि कोई सदस्य यह कहदे कि उनसे भी खर्चा वसूल किया जाय तो यह कोई उचित बात नहीं है। उस समय की सरकार लीगल्ली कांस्टीच्युटेड थी और खर्चा करने के लिये कॉम्पीटेण्ट थी। उस समय कोई सदन भी नहीं था। अब हम सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। यदि सदन की आज्ञा से कोई खर्चा करें और वह गलत हो जाय तो हमें पूछा जा सकता है परन्तु पहले जो खर्चा हो चुका है वह तो हो ही चुका है। उसे रेगुलेराइज़ करना ही होगा।

और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। उस समय सदन की आज्ञा नहीं ली जाती थी; उस वक्त और प्रोसीज़र था, इस वक्त और प्रोसीज़र है। उस वक्त के प्रोसीज़र में और आज के प्रोसिज़र में बहुत अन्तर है। उसका अब पोस्ट मॉर्टम करना तो एक गलत चीज़ है। अभी तो राजनीति में साइड्स चलती हैं, कोई कोम्युनिस्ट है, वह कॉंग्रेस मैन हो जाता है। कोई वक्त आता है कि एक कांग्रेस मेन है वह कोम्युनिस्ट शाये में चला जाता है। इसलिये उनकी जिम्मेवारियों और डिवीजन में घुसना गलत चीज़ होगी। खर्चा तो हो गया, अब उस खर्च को मन्जूर नहीं करना एक इर्रेग्युलेरिटी को बनाये रखना होगा जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। अगर एक्सेस भी खर्च हो गया है तो इसके लिये मुकदमे करने के लिये इस खर्च की मंजूरी आवश्यक है। अगर हम पुराने गढ़े मुर्दे उखाड़ने लगें तो न जाने किन किन सरकारों पर, क्योंकि हमें विरासत में कई सरकारें मिली हैं। बीकानेर सरकार मिली है तो फिर हम बीकानेर सरकार पर, बीकानेर दरबार पर और कुँवर श्री जसवन्तसिंहजी पर मुकदमा चलायें तो यह कोई ठीक बात नहीं होगी।

राजस्थान की पिछली सरकार में कुँवर श्री जसवन्तसिंहजी साहब फाइनेन्स मिनिस्टर थे, मैं था। उस सरकार पर भी मुकदमा चलायें तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी।

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—We shall have a good company.

श्री जयनारायण व्यास—(जारी) तो इस तरह पुरानी बातों में जाना कि शाहपुरा में क्या हुआ, डूँगरपुर में क्या हुआ; कोई उचित बात नहीं होगी। खर्चा होना था वह तो हो चुका। चाहे गलत शादी हो गई हो; कभी ऐसा भी हो जाता है तो वह हिन्दू मेरेज लॉ के माफिक पवित्र हो जाती है; उसको मानना पड़ता है। इसी तरह जो खर्चा हुआ है उसे हुआ जैसा मानना पड़ेगा। उसमें अब गैरवाजिब-वाजिब का सवाल ठीक नहीं।

श्री कानसिंह—Do you believe the culprits are immune from handcuffs ?

श्री अध्यक्ष—The question is that the cut motions moved by Shri H. K. Vyas and Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

The cut motions fail.

(विराम)

The question is the Demand regarding Aviation be accepted.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

सन् १९५०-५१ की अधिक माँग संख्या १०२-दुर्भिक्ष

Motion moved. (विराम) The question is, "That an excess sum not exceeding Rs. 27,835/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which came in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1951 in respect of Grant No. 102 Major Head 54: Famine."

(स्वीकृत)

अधिक माँग संख्या १०६-कृषि विकास एवं अन्वेषण की योजनाओं पर केपिटल आउटले

Motion moved. (विराम) The question is, "That an excess sum not exceeding Rs. 61,902/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the chages which came in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1951, in respect of Grant No., 106 Major Head 71: Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९५४

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मंत्री)—Sir, I beg leave to introduce a Bill to authorise appropriation of certain further sums from out of the Consolidated Fund of the State for the services of the year ending on the 31st March, 1951.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The question is that leave be granted to introduce the Bill.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, I introduce the Bill

(विराम)

Sir, I move that the Bill to authorise appropriation of certain further sums from and out of the consolidated fund of the State for the services of the year ending the 31st March, 1951 be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The question is that the Bill to authorise appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the year ending on the 31st March, 1951 be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The Motion is adopted.

श्री टीकाराम पालीवाल-Sir, since the grants have already been granted, I move that Bill be passed

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

(विराम)

Now we come to the supplementary demands.

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, shall we proceed one by one or...

अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगें

(क) माँग संख्या ५५ सामान्य प्रशासन डि. इत्यादि

श्री अध्यक्ष—There are cut motions regarding some of them. I think they have been circulated amongst members. We take the grants as having been moved and take up the grants one by one.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, in that case we do not know where we stand. The motion is moved and we have to reply. So, the procedure is reversed. The ministers can waive the right of reply.

श्री अध्यक्ष—The statement has been supplied to Hon'ble Members.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is a very cryptic statement. It does not say anything. Rather it does not say what it should.

श्री अध्यक्ष—You should be satisfied with the statement.

Yes. We come to Demand No. LV. We take it as moved. The motion is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,66,000/- be granted to H. H the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. LV, Major Head 25--General Administration D--Secretariat and Headquarters Establishment.

You want to make a statement on this?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—No Sir.

श्री अध्यक्ष—There are cut motions by Shri Bhairon Singh, Shri H. K. Vyas and Shri Jawan Singh.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I take the cut motion as moved and come to the reason for that.

श्री हरिकृष्ण व्यास—पिछले साल जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था उस बजट में हमको यह कहा गया था कि सेक्रेटेरियेट का पूर्ण संगठन किया जा रहा है, या किया गया है और शायद खर्चा कुछ कम हो जाय, इस दृष्टि से वे आँकड़े प्रस्तुत किये गये। अब हमको यह कहा जा रहा है कि वे जो आँकड़े प्रस्तुत किये गये थे उनके माफिक खर्चा पूरा नहीं हुआ है।

१,६६,०००) रुपये और चाहिये। यह रुपया नए ऑफिसर मुकर्रर करने के लिये और १० हजार रुपया टेलीफोन्स एवं ट्रंककॉल में ज्यादा खर्चा हुआ इसलिये चाहिये; इस प्रकार कह कर मंजूरी ली जा रही है। मेरा यह ख्याल है कि यह मन्जूरी नहीं दी जावे और वह इसलिये नहीं दी जानी चाहिये कि जो खर्चा ज्यादा किया जा रहा है और अब नया पैसा लिया जा रहा है उसमें एक बहुत ही अनैतिक और अन्यायपूर्ण तरीका झलकता है। यह सदन को मालूम ही है और मेरा ख्याल है कि राजस्थान के कई लोग इस बात को जानते हैं कि सेक्रेटेरियेट के पुनर्गठन के लिये भारत सरकार द्वारा स्वामीनाथन यहां भेजे गये थे। यदि आप इनके सम्बन्ध में सुनेंगे तो आपको कुछ हँसी भी आवेगी और कुछ गुस्सा भी आवेगा कि उन सज्जन की रिपोर्ट के बारे में सरकार ने कैसा विचित्र रुख बताया?

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति पदासीन)

स्वामीनाथन ने यह सुझाव दिया कि ऑफिसर, सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी, क्लर्क, चपरासियों आदि सब की तादाद कुछ कम कर दी जावे। उनके सुझाव के अनुसार ऊपर से शुरू

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करने के बजाय (मोटी मोटी तनख्वाह पानेवालों से शुरू करने के बजाय) सरकार ने शुरू किया चपरासियों से। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर मंजूर की गई है तो केवल चपरासियों के लिये। इन विचारे ३०), ४०) रुपये पानेवालों को नौकरी से निकाला गया और कहा गया कि अपने अपने घर जाओ। उनकी तनख्वाह बढ़ाना तो दूर रहा उनको जीने लायक तनख्वाह देना तो दूर रहा, उनको उल्टा बेकार बना दिया। मैं बेकारी की समस्या को हल करने के लिए लम्बे-लम्बे भाषण देने वाले चीफ मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि लेबर इन्क्वायरी बोर्ड इस बात को पास करता है कि कोई भी अपने मुलाजिम को बेकार न बनावे, लेकिन हम देखते हैं कि दिये तले अन्धेरा। सेक्रेटेरियट में ४०) रु. पाने वाले कई चपरासियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके अलावा ऊपर वालों के लिए जब प्रश्न उठता है तो वहाँ रिकमन्डेशन और रिआयत से काम किया जाता है। स्वामीनाथन यह कहते हैं कि सेक्रेट्री, एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री आदि की संख्या ४६ से घटाकर २६ रखी जावे। जब यह सेक्रेट्री तक नौबत पहुँचती है तो कहा जाता है कि १४ सेक्रेट्री की जगह १० सेक्रेट्री रख दिए जावें। मगर दूसरों का नाम बदलकर उनको O. S. D. रख दिया।

अब और जो मंजूरी ली जा रही है वह ऑफिसरों के लिए है और मैं समझता हूँ कि या तो उनकी नियुक्ति इन एन्टीसिपेशन (in anticipation) कर दी गई है या अब कर दी जावेगी। मेरा विरोध इसलिए है कि जिसका खर्चा कम करने की नियत हो वह हजार रुपया पानेवालों की तरफ तो अपनी आँखें मूंद ले और चुपके-चुपके चले जाते हैं और मामूली हैसियत के चपरासियों को निकाले! क्या इसको खर्चा कम करना कह सकते हैं? मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारी तरफ से तो यह माँग मंजूर नहीं होगी।

दूसरा कारण सुनिए, माननीय अध्यक्ष, टेलिफोन और ट्रंक कॉल के लिए १० हजार रुपयों की मंजूरी ली जा रही है। मैं यह कहूँगा कि यह भी काम एक जगलरी का है। इस जगलरी को मौजूदा वित्त मंत्री जी किस प्रकार जानते हैं, पता लगेगा; परन्तु भूतपूर्व वित्त मंत्री जी जैसे सम्पादक, पत्रकार और जिनका डाकुओं से मेल जोल रहता है, जगलरी के तरीके भी जानते हैं। इसलिए जब पिछले साल जब बजट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था उस समय यह दिखाया गया था कि ट्रंक कॉल का बजट १६५२-५३ में, बजट एस्टीमेट, ४० हजार का रखा गया था। उसके बाद रिविजन में ५० हजार हो गया। हमको यह झाँसा देने के लिए यह रखा कि इस बारे में हम बराबर खयाल करेंगे इसीलिए प्रोविजन इस साल सिर्फ ३० हजार रखा जाता है, लेकिन जब साल खतम होने को आया तो १० हजार रुपयों की माँग का प्रश्न पैदा कर दिया। यह क्या जगलरी नहीं थी कि ३० हजार की मन्जूरी में फिर १० हजार की अब मन्जूरी और ली जा रही है। ३३ प्रतिशत ज्यादा; इससे साफ जाहिर होता है कि पहले जानबूझ कर इस बात को छिपाया गया और यह समझा गया कि बाद में गड़बड़ी में, जल्दी-जल्दी में यह कह कर कि वक्त तंग है इसलिये इसे मन्जूर कर दिया जावे; मन्जूर करा लेंगे। क्या सरकार ने कभी इस बात की तरफ सोचा है कि यह ज्यादा क्यों खर्च हो रहा है? कल मेरे एक मित्र को चीफ मिनिस्टर साहब बड़े जोरों से तस्सली दिला रहे थे कि अगर कोई बताएगा कि अनुचित रुपया खर्च किया गया है तो वे उसकी जाँच करेंगे। आज मैं चीफ मिनिस्टर को बताऊंगा, और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बताना चाहता हूँ कि आप जांच कीजिये कि वास्तव में मन्त्रियों के यहां और दूसरी जगह दुरुपयोग हुआ है या नहीं ? मुझे ज्ञात हुआ है कि राजस्थान सरकार के एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने, डिविजन के कमिश्नर ने इस विषय को लेकर चीफ सेक्रेट्री को लिख कर शिकायत की। उस समय के मन्त्रियों के एक चपरासी ने उनके यहाँ ट्रंक कॉल किया, उसका क्या हुआ ? मामूली घर पर बात करने के लिये उसने ट्रंक किया, वह स्टेट पर कैसे चार्ज हुआ ? मैंने यह भी सुना है कि कई कई महीनों में टेलिफोन का खर्चा हजार रुपया और १२०० रुपया तक पहुँच गया है। इसका पता चलाया जावे कि किन-किन को फोन किया गया। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, और लाडनू। मैं नम्बर बतलाने के लिए तैयार हूँ, आप जाँच करें। अगर आप जाँच करने के लिये तैयार हैं तो मैं चैलेंज देता हूँ कि जिन-जिन नम्बरों से कॉल हुआ है वे किनके टेलिफोन हैं और मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह कॉंग्रेस टिकट मिलने के बारे में दौड़-धूप के समय हुए थे। आप पता लगावें, और भी कई बातें होंगी। हजार-हजार और १२००) रुपये खर्च होते हैं और उसके बाद सदन में १० हजार रुपयों के लिये पूरक माँग प्रस्तुत होती है। अगर हमारी चलती हो तो जो रुपया खर्च किया गया है वह मंत्री की जेब से वापिस वसूल करते।

("हिअर-हिअर" की ध्वनि)

कल चीफ मिनिस्टर साहब ने जोर से कहा था कि दुरुपयोग हुआ होगा तो उसकी जाँच की जावेगी। आज क्या कहेंगे ? मैं नहीं कह सकता कि आज चीफ मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे ? आज तो इसका सम्बन्ध उनके साथ के एक व्यक्ति से पड़ा है। मैं तो कम से कम सदन से यही निवेदन करूंगा कि इसको कभी मंजूर न किया जावे। (घंटी)

अन्त में मैं यही कहूँगा कि यह जो मंजूरी हमसे ली जा रही है, यह मंजूरी सिर्फ इस बात की द्योतक है कि जहां खर्च कम करना चाहिये था नहीं किया जा रहा है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः इसकी मंजूरी नहीं दी जावे।

श्री जसवन्त सिंह—माननीय चेयरमेन, इस विषय पर मुझे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है और न मेरा विचार ही है। मैं जो कुछ श्री एच. के. व्यास ने कहा है और जो कुछ बातें व्यक्त की हैं, वे इतनी जबर्दस्त हैं कि सरकार की तरफ से उनको सिद्ध करने के लिये कठिनाई होगी। ऐसी हालत में मैं उनके इस कथन का समर्थन करता हूँ और यही अर्ज करता हूँ कि यह माँग मंजूर नहीं की जावे। इसके लिये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिवाय......

Provision for adjustment of unified pay scales	Rs. 37,000/--
Appointment of Additional officers and staff	Rs. 1,56,000/--
Telephones and Trunk Calls	Rs. 10,000/--
Adjustment of Old bills of stationery Department for supply of stationery.	Rs. 60,000/--
Total	2,63,000/--

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

जो रुपये हैं क्या हाउस उन्हीं के कहने पर पास कर दे ? जो स्टेटमेंट सप्लाई किया गया है उसको जस्टीफाई करने के लिए माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। यदि हाउस इसको इसी तरह से ही पास कर देगा तो मैं ख्याल करूंगा कि हमारे जो कर्त्तव्य हैं हम उससे गिर रहे हैं, यह हाउस अपने कर्तव्य से गिर रहा है और इस स्टेटमेंट को हमको पास नहीं करना चाहिए। और वजुहात कितने ही एतराज़ लायक हैं जिनके लिए ज्यादा समय न लेकर, श्री हरिकृष्ण व्यास ने जो कहा है उसकी मैं ताईद करता हूँ।

श्री चेयरमेन (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—श्री भैंरूँसिंह ।

श्री भैंरूँसिंह (दाँता रामगढ़)—माननीय चेयरमेन महोदय, मैंने इस मांग के विषय में जो अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मुख्य कारण एक विषय जो है वह है, Appointment of Additionial officers and staff."

राजस्थान प्रान्त के निर्माण के पश्चात् चाहे मन्त्रीमण्डल चुना हुआ था या नहीं, एक परिपाटी राजस्थान में चली आ रही थी और वह परिपाटी यह है कि आपस के द्वन्द्व के कारण जिस वक्त कोई मन्त्री सेक्रेटेरियेट से विदाई लेकर चला जाता है और पीछे जो मन्त्री महोदय पहुँचते हैं उन मन्त्रियों की विदाई के साथ ही इस बात की कोशिश करते है कि उनके जितने प्राइवेट सेक्रेट्री, पी. ए. चपरासी होते हैं, लोअर डिविज़न क्लर्क्स और अपर डिविज़न क्लर्क्स हैं, उनको भी विदा दे दी जाय। अगर उनको विदा नहीं किया जाता है तो यह समझा जाता है कि बहुत मुमकिन है कि ये लोग सेक्रेटेरियेट के इन्स एन्ड आॅउटस (ins and outs) उन मन्त्रियों के पास पहुँचा दें जो आपस के द्वन्द्व के कारण सेक्रेटेरियेट को छोड़ कर चले गये। यही परिपाटी जिस वक्त मन्त्रीमण्डल चुनावों के बाद से बना उस वक्त से अब तक चली आ रही है और गई साल भी इसी परिपाटी का अनुसरण किया गया था। गत साल जितने ट्रान्स्फर्स हुए यदि आप लिस्ट देखेंगे तो मालूम होगा कि फलां मन्त्री फलां को पी. ए. रखना चाहता है, फलां मन्त्री की फलां सेक्रेट्री से नहीं पटती, फलां डिप्टी सेक्रेट्री से नहीं पटती और इसीलिए उनका ट्रान्स्फर किया जाता है। ट्रान्स्फर इसलिए नहीं किया जाता है कि वह सेक्रेट्री काम नहीं कर सकता, वह डिप्टी सेक्रेट्री काम नहीं कर सकता हो; काम करने की तो बात नहीं होती। अगर काम नहीं करने की बात होती तो उनको कोई पनिशमेंट मिलता, उनके पी. ए. के लिए कोई शिकायत होती तो उसको सजा मिलती; किन्तु सजा के स्थान पर उनको तब्दील किया जाता है और उनके स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को अपोइन्ट किया जाता है और ऐसे व्यक्तियों को अपोइन्ट किया जाता है जिनका पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल नहीं हुआ। दूसरे ऐसे कई विभाग हैं जिनमें भी इसी प्रकार की गड़बड़ियाँ होती हैं, जहाँ एक-एक, दो-दो साल से नौकर रखे गये हैं उनका आज तक पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल नहीं हुआ है। सेक्रेटेरियेट में भी ऐसा हुआ है और यह जानते हुए भी कि अमुक आदमी सेक्रेटेरियेट में इतने अर्से से काम कर रहा है और उसका अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्रूवल नहीं हुआ है अतः इसके सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता है कि माननीय

[श्री भैंरूँ सिंह]

मुख्य मंत्री महोदय के दिमाग में उनको रखने का पक्षपातपूर्ण रवैया है । मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी के विषय में अर्ज कर देना चाहता हूँ । उन्होंने उनको अपना सेक्रेट्री नियुक्त किया है जिनके बारे में राजस्थान के कस्टोडियन डिपार्टमेंट में कई दिनों से मुकद्दमा चल रहा था । उनके बारे में इस सदन में भी प्रश्न किया गया था कि उनको अब तक मोअत्तिल क्यों नहीं किया गया ? उसका आज के वर्तमान अर्थमन्त्री ने यह जवाब दिया कि उनको सस्पेन्ड नहीं किया गया और इसलिए नहीं किया गया था कि उन्होंने अपील कर दी थी और जब तक उस अपील का फैसला न हो उस वक्त तक तो उनको हटाया नहीं जा सका परन्तु बाद में उनको हटा दिया गया । उस अपील का कुछ भी फैसला हुआ हो, पक्ष में या विपक्ष में, किन्तु फिर उनको वापिस रख लिया गया । महज इसलिए रख लिया गया, यह एक विशेष वर्ग को खुश करने का था । उनके स्थान पर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था, उस योग्यता का दूसरा आदमी नहीं था । उनको एम्प्लोय करने के पहले दूसरे आदमियों को मौका नहीं देते क्योंकि उनसे हमारी पटी हुई है, ऐसे सरकल में हमारे इन्स एन्ड आॅउट्स (ins and out) रह सकते हैं; हमारा विश्वास है इसलिये हम रख सकते हैं, इसलिए रखेंगे । यदि आप सीमित दायरे में विश्वास रखते हैं तो मन्त्रियों के लिए, सरकार के लिए और कर्मचारियों के लिए शोभाजनक चीज़ नहीं हो सकती । दूसरे आदमियों को, जो दूसरे पर्सनल सेक्रेट्री हैं, पर्सनल असिस्टेन्ट हैं उनकी योग्यता होते हुए भी उनको नहीं रखा जाता क्योंकि उन पर विश्वास नहीं और उनके वापिस हटा दिये जाने पर भी, कस्टोडियन डिपार्टमेंट में मुकद्दमा होने पर भी और उनके करेक्टर पर डिपार्टमेंट द्वारा शुबहा होने पर भी उनको हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जिम्मेदारी की पोस्ट पर नियुक्त करते हैं; तो क्या इसको पक्षपात पूर्ण तरीके से अपोइन्टमेंट करना नहीं कहा जा सकता ?

श्री हरिकृष्ण व्यास ने बताया कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को दूसरे ढंग से शुरू किया गया । ४०) रुपयों की तनख्वाह पाने वाले चपरासियों की कमी की गई और उनके स्थान पर दूसरों को रखा गया । अगर उन लोगों को निकाल कर बचत की जाती तो फिर सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती । उनको (चपरासियों को) भी निकाल दिया गया और फिर भी बचत नहीं रही और उल्टा सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स माँगी जा रही है; तो इसका यह प्रमाण है कि सेक्रेटेरियेट में सिवाय फिजूल खर्ची के कुछ नहीं ।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वह है प्रोविजन आॅफ युनिफाइड पे स्केल । इसके लिये मुझे आपत्ति है। सेक्रेटेरियेट के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया कि उनको परमानेन्ट स्केल दी जा चुकी है । किन्तु कई व्यक्तियों को न तो दी गई है व न उनकी तनख्वाहों में ही कोई फर्क हुआ है । ऐसे कर्मचारी दुखी हैं जो कि परमानेन्ट स्केल पर नही आये हैं । ज्यादा पूर्ति करने के लिए आॅफिस अलाउन्स दे दिया जाता है, एक्स्ट्रा अलाउन्स दे दिया जाता है । जिन कर्मचारियों की सेक्रेटेरियेट में युनिफाइड पे स्केल्स नहीं हुई हैं, वे तरस रहे हैं, सेक्रेटेरियेट में रहते हुए उनके पीछे रात-दिन पड़े हुए हैं । चार-चार साल होने आये, किन्तु न तो उनका फिक्सेशन हुआ और न उनको कोई फायदा ही । इसके अलावा भी जिसको चाहे उसको स्पेशल अलाउन्स मन्जूर कर दिया जाता है ।

[श्री भैरूँसिंह]

किसी मिनिस्टर साहब के पास थोड़ासा काम करने वाले को भी अलाउन्स मन्जूर कर दिया जाता है। डाक देखने वाले को दस रुपया मन्जूर, डाक भेजने वाले डिस्पेच रजिस्टर में दर्ज करने वाले को २०) रु० मन्जूर और इसके बाद सेक्रेटरियट में जो रजिस्टरियें आती हैं, उनको देखने के लिये २०) रु० मन्जूर। इस तरह से यह तो जनता के पैसे का दुरुपयोग है। अतः मैं सदन से निवेदन करूँगा कि इस मांग को मन्जूर नहीं करें और मेरे कटौती-प्रस्ताव को मन्जूर करें।

श्री जवानसिंह--माननीय चेयरमेन साहब, मैं अपने कटौती प्रस्ताव को मूव हुआ मानकर चलता हूँ। इस सप्लीमेन्टरी हैड नं० ४ में जो डिमान्ड रखी है, उसके सिलसिले में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इस डिमान्ड से ताल्लुक रखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कई साल के स्टेशनरी के सामान की देखभाल के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि गवर्नमेन्ट के दफतरों में जो सामान दिया जाता है यानी जो स्टेशनरी दी जाती है, वह किस प्रकार की होती है। इस सम्बन्ध में आपका (सरकारी) जो रवैया है कि आपके राजस्थान में जितने प्रेसेज़ हैं, जो स्टेशनरी सरकारी दफतरों को मिलती है, वह इन्हीं प्रेसों से मिलती है। हर डिपार्टमेण्ट के आदमी को स्टेशनरी लेने के लिए प्रेसों में जाना पड़ता है। वह वहाँ जाकर अपने डिपार्टमेन्ट के लिए जितना सामान चाहिये उसको लेकर आता है। उदाहरण के तौर पर आपसे निवेदन करता हूँ: एक बहुत छोटा-सा उदाहरण लीजिये—एक हैडक्वार्टर सिरोही है वह एक तरह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के के लेवल पर है। फिर भी वहां से स्टेशनरी लाने के लिए एक आदमी जोधपुर जाता है। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्डेन्ट लेकर वहाँ से चीजें लेकर, जिसमें चार या छः महीने का सामान होता है, अपने हैडक्वार्टर में आता है। उसमें भी उसको पूरा सामान वहां से नहीं मिलता। इसी प्रकार चार-छः महीने के बाद फिर उसको स्टेशनरी के लिए वहाँ आना पड़ता है। इस तरह से रेलवे का खर्चा, उसका दैनिक भत्ता आदि जो खर्च होता है सो तो देना पड़ता ही है, उसके अलावा मजा यह कि जितना सामान उसको चाहिये उसका एक बटा तीन हिस्सा भी वहाँ नहीं मिलता। इस तरह $\frac{1}{3}$ हिस्से का सामान लेकर वह अपने हैडक्वार्टर पहुँचता है। इस तरह से काफी रुपया आने-जाने और रोजमर्रा के भत्ते में खराब हो जाता है और जब इस तरह से ज्यादा खर्च हो जाता है तो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के लिए सदन से स्वीकृति ली जाती है। इसलिये मैंने यह जो टोकन कट मोशन रखा है, वह केवल यह बताने के लिए कि सदन इस तरह से जो फिजूल खर्चा होता है उसकी मन्जूरी न दे। अगर सदन ने इस माँग को मन्जूर नहीं किया तो भविष्य के लिए उस डिपार्टमेन्ट को एक प्रकार का lesson मिलेगा और वह इस प्रकार से आयन्दा खर्च नहीं करेगा।

माननीय चेयरमेन साहब, मैं एक-दो बातें और सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ। किस तरह से ठेके प्रेस की तरफ से सामान लाने के लिए दिये जाते हैं? इस सिलसिले में मैं माननीय श्री सन्तोषसिंह जी के उस प्रश्न का हवाला दूंगा जो कि उन्होंने गत सेशन में पूछा था; उस प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उन्होंने एक प्रश्न यह किया था कि कागजों को लाने के लिए जोधपुर प्रेस में, एक दुकान से गवर्नमेन्ट प्रेस तक लाने के लिए कितना

[श्री जवानसिंह]

ठेका दिया गया ? इस सिलसिले में उन्होंने यह बताया था कि जिस दुकान से गवर्नमेन्ट प्रेस में कागज लाने थे वह दुकान और प्रेस के बीच केवल एक सड़क का हो फासला था; उस दुकान से सामान लाने के लिए सैकड़ों रुपये का ठेका दिया गया। केवल इसलिये कि वहां के अधिकारी वर्ग शायद उस आदमी को फायदा पहुँचाना चाहते थे; क्योंकि वह उनका कृपा-पात्र था। अपने कृपा-पात्रों को फायदा पहुँचाने के लिए १० या २० फुट की बीच में जो कि सड़क है, सामान लाने के लिए सैकड़ों रुपयों का ठेका दिया गया। इस तरह से हमारा सैकड़ों रुपया बरबाद किया जा रहा है। इसलिये मैं सदन से अपील करूंगा कि इस प्रकार रुपये की जो बरबादी हो रही हो, उसको रोकने के लिए इसे स्वीकृत नहीं करना चाहिये।

(१२ बजने पर साइरन की ध्वनि पर)

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन साहब भोंपू बोल रहा है।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—चेयरमेन साहब भोंपू नहीं।

श्री जवानसिंह—भोंपू तो सरकार का है। माननीय चेयरमेन साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किस तरह से टेन्डर मांगे जाते हैं, किस तरह का माल सप्लाई किया जाता है; उसमें काफी गड़बड़ होती है। मैं यह कह सकता हूँ कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा आदि जहां भी प्रेसेज़ हैं, वहां पर सब से बड़ी शिकायत यह महसूस की गई है कि जिस सामान के लिए टेन्डर मांगा जाता है जो चीज नमूने के तौर पर टेन्डर के साथ सप्लाई की जाती है, वह तो अच्छी किस्म की होती है किन्तु जब माल सप्लाई किया जाता है तो उस माल में जो टेन्डर के वक्त दिखाया गया था; रात-दिन का अन्तर होता है। उसका कारण यह है कि जो अधिकारी उन प्रेसेज के होते हैं जिनकी देखरेख उन पर होती है, ऐसा मालूम देता है, कि जिन व्यक्तियों का टेन्डर मन्जूर किया जाता है, उनसे कुछ न कुछ अनुचित फायदा उठाया जाता है, इसलिये टेन्डर में तो किसी विशेष प्रकार की चीज़ पास हो जाती है और सप्लाई में दूसरी ही चीज जाती है, जो उसके मुकाबले बहुत कम कीमत की होती है। इस तरह की चीजें जब प्रेस में आती हैं तो इससे सरकार का नहीं हित होता है, बल्कि सरकार को ज्यादा पैसों में खराब चीज मिलती है। इसी प्रकार की एक हलचल हमारे जयपुर के प्रेस में कुछ दिनों पहले हुई थी। वह यह थी कि जब सरकार ने किसी मशीन के लिए टेन्डर्स माँगे, उन टेन्डर्स के साथ जो पंच मशीनें दी गई थी, वे करीब ३॥ रुपये की बाजार भाव की थीं। जब टेन्डर मन्जूर हो गया और इसके बाद में जो स्टॉक सप्लाई किया गया ऐसा मालूम होता था कि जो चीज सप्लाई की गई थी उसकी कीमत ३॥ रुपया नहीं थी बल्कि डेढ़ रुपये से ज्यादा कीमत की वह चीज नहीं थी। इससे कितना भारी नुकसान राजस्थान सरकार को हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ठीक तरह से देख-भाल होना आवश्यक है। यह हमारे प्रबन्ध की ढिलाई है। जब इस तरह से ज्यादा खर्च हो जाता है तो सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट माँगी जाती है और फिर सदन से उसे पास करने की अपील की जाती है। इस तरह से सरकार को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को सहन करने के लिए, जो कि देखरेख की कमी से हुई है; यह सदन कभी मन्जूर करने वाला नहीं है।

[श्री जवानसिंह]

इसीलिये मैंने यह टोकन कट रखा है और केवल इसलिये रखा है कि भविष्य में सरकार अपने अधिकारियों के सामने इस प्रकार का नमूना रखे कि भविष्य में इस प्रकार की गलती होने की संभावना न रहे और इस तरह लोगों की गाढ़ी कमाई का अपव्यय न हो और राजस्थान की जनता की कमाई बरबाद न हो।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमेन्टरी डिमान्ड के मुत्तल्लिक बहुत सारी बातें इस तरह से पेश की गई हैं, जिससे यह मालूम पड़े कि बहुत सारा फिजूल खर्च कर दिया गया है या इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। स्थिति यह नहीं, बल्कि सच बात तो यह है कि हमेशा कम खर्च करने के लिए कभी-कभी ज्यादा खर्च भी करना पड़ जाता है। "To spend to save" की नीति से काम लिया गया है। जैसा कि श्री एच. के. व्यास, श्री भैरूसिंह व श्री जवानसिंहजी ने कहा कि बेपरवाही से काम लिया गया है; ऐसी बात नहीं है। मैं पहले इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊँगा जैसा कि लोगों की भावनाओं को उभाड़ने के लिए यह कहा गया कि बड़े-बड़े अफसरों को तो रखा जाता है, उन पर ज्यादा खर्च किया जाता है किन्तु बेचारे गरीब चपरासियों को निकाला जाता है। मेरा इसके लिए इतना ही कहना है कि यह बिल्कुल वेग है, (Vague) इसमें कोई तथ्य नहीं। इसकी ओर मैं ज्यादा ध्यान तो दिलाना नहीं चाहता किन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि क्लास फोर्थ सरवेन्ट्स में हमारे यहाँ वृद्धि हुई है, अगर किसी महकमे से किसी चपरासी को कम भी किया होगा तो उसको दूसरी जगह दिलाने की कोशिश की होगी; उनको दूसरी जगह लगा भी दिया गया होगा। इसके लिए हमने कई नये-नये काम भी खोले हैं, नये स्कूल खोले हैं, कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट खोले हैं, अपेक्स बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आदि के काम भी चालू किये गये। इन कार्यों में भी इनको एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। यह भी हो सकता है कि कुछ को हम एडजस्ट नहीं भी कर पाये हों और उन्होंने जाकर कॉम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में जाकर शिकायत करदी हो। केवल उनके ऑफिस में शिकायत आ गई, इसका यह मतलब नहीं कि इसके खिलाफ आपको किसी प्रकार की भावना पैदा करनी चाहिये। यदि ऐसे भी कोई व्यक्ति होंगे जिनको जगह नहीं मिली है तो जगह होने पर उनको भी लेने की कोशिश की जायगी।

एक आइटम यह भी है कि अफसर बढ़ा दिये गये, और खास तौर पर चीफ सेक्रेटरी, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी के विषय। इसकी चर्चा में भी हमको शायद १६ हजार से ज्यादा खर्च करना पड़ा। वह इसलिए कि हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी के अलावा एक एडीशनल चीफ सेक्रेटरी भी था और काफी अरसे से था और इसलिए भी था कि हिसाब-किताब इतनी स्टेटों का इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया था कि उस हिसाब-किताब और फाइनेन्स के मामलों को देखने के लिए एक अच्छे अधिकारी की जरूरत होती है। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि अब एडीशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं रखना चाहिये और एक फाइनेन्स सेक्रेटरी से ही काम चल जावेगा। उसी से काम चलावेंगे, जिसको स्टेट ने खास तौर पर फाइनेन्स का काम सीखने के लिए अलग-अलग रियासतों में भेजा था। इससे पैसे में भी फरक पड़ता है। एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को तीन हजार तो तनखा देते हैं और उसकी

[श्री जयनारायण व्यास]

दूसरी लाइबेलिटीज़ भी थीं, जब कि फाइनेंस सेक्रेटरी को हमने सिर्फ १२ सौ रुपये तनख्वाह ही दी और इसके अलावा हमारी कोई लाइबेलिटीज़ नहीं थीं। लोकल स्थितियों से भी वह वाकिफ थे। फाइनेंस सेक्रेट्री जो पी. डब्लू. डी. का काम करते थे उन्हें फाइनेन्स सेक्रेटरी का काम सौंपा और कुछ अरसे तक के लिए उनको भी रखना पड़ा और इसके लिए कुछ रुपया ज्यादा खर्च हुआ। पर इसका नतीजा यह हुआ कि आगे हमेशा के लिए तीन हजार के बदले १२ सौ रुपया का ही खर्चा हमने कर लिया। तो हमें और थोड़े दिनों दोनों तरह के आदमियों के काम-काज की व्यवस्था करने से अगर थोड़ा रुपया खर्च करके ज्यादा रुपये का खर्च बचा लिया और इसके नहीं होने से बाद में गड़बड़ी हो जाती है तो यह कोई गलत बात नहीं है यह कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो, कम खर्च करने के लिहाज से शुरू में थोड़ा ज्यादा खर्च किया गया अस्थायी तौर पर, तो उसे बर्दाश्त करना चाहिये।

हमें जोइन्ट लीगल रिमेम्बरेन्सर भी रखना पड़ गया है। कहा जा सकता है कि तबियत हो गई हम लोगों की और हमने रख लिया। पर तबियत होने की बात नहीं है। अलग-अलग और ज्यादा-ज्यादा काम जब हमारी समझ में आता है तो उसे पूरा करने के लिए हमें उस ओर तवज्जोह देनी पड़ती है। सिविल सप्लाइज़ के कई केसेज़ हैं। सरकार पर बहुत से लोगों ने केसेज़ कर दिये हैं। अब वे किस वजह से, क्या और क्यों किये, इस पर कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी? जितनी रिट एप्लीकेशन्स आज हो रही हैं और हुई हैं वे पहले नहीं थीं। इस नये कॉन्स्टीट्यूशन की वजह से कानून का इन्टरप्रिटेशन करना, यह भी एक नई चीज़ है। तो, यह सारा काम का भार आज लॉ सेक्रेटरी पर पड़ रहा है। लेजिस्लेटिव असेम्बली का काम जो है वह भी लॉ सेक्रेटरी पर पड़ा है और इस बारे में भी उसे सोचनी पड़ती हैं बहुत सी बातें। इन सब बातों को देखते हुए एक लीगल रिमेम्ब्रेन्सर भी रक्खा जावे तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फिजूलखर्चा की गई है, बल्कि आवश्यक खर्चा किया गया है।

और इसी सिलसले में कई स्पेशल अफसर भी अगर रक्खे जावें और आप शिकायत करने लग जाएं तो यह कोई उचित चीज नहीं है।

एक स्माल सेविंग्स ऑफिसर भी रक्खा गया है और इसलिए भी कि चम्बल रिवर प्रोजेक्ट की योजना के सिलसिले में हमें रुपये की जरूरत है और इससे नेशनल सेविंग्ज़ स्कीम से अगर कुछ पैसा इकट्ठा हुआ तो हमें इस चम्बल प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार की स्टेट मिनिस्ट्री का भी आग्रह था और इस सिलसिले में आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि इसका फायदा भी हमें हुआ है। कई लाख रुपये, ३५ लाख रुपये के करीब तो इस समय तक जमा भी हो चुके हैं। तो इस तरह इस रुपये को जमा करने के लिए अगर हमें कुछ खर्चा भी करना पड़े तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है और नाराज होने की भी जरूरत नहीं है।

[श्री जयनारायण व्यास]

ट्रान्सलेटर्स भी हमें रखने पड़ते हैं क्योंकि अब हिन्दी का काम बढ़ रहा है और मुमकिन है हमें और भी ज्यादा लोग इस जगह के लिए रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें हिन्दी में काम बढ़ाना है। तो एक तरफ तो आप यह भी कहते जावें कि राष्ट्रभाषा को अपनाओ और इसके लिए जब कुछ खर्च करना पड़ता है तो दूसरी तरफ उस खर्चे की आप मुखालफत भी करेंगे और यह भी कहते जावें कि खर्च ज्यादा हो रहा है, अधिक अफसर रक्खे जा रहे हैं, तो यह ठीक बात नहीं है। हमें आगे चलकर हिन्दी के कुछ टाइप राइटरों की भी खरीद करनी पड़ेगी। ज्यों-ज्यों हमें जरूरत होगी हिन्दी के स्टेनो भी रखने पड़ेंगे और इन सब के लिए थोड़ा खर्च ज्यादा करना पड़ेगा और उस ज्यादा खर्च के लिए हमें तैयार रहना होगा। कई चीजें हमारे ध्यान में आज आती हैं और कई चीजें ऐसी हैं जो हमें बाद में समझ में आ सकती हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए कभी-कभी कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा। फिर यह खर्चा भी हम न सिर्फ १ लाख ६६ हजार का करने वाले थे बल्कि २ लाख ६३ हजार का कुल खर्च का हमारा अन्दाज था, पर उसमें से कुछ इधर-उधर करके इतनी रकम में ही एडजस्ट किया है। तो इसलिए अब इसको यहाँ यह कह देना कि यह फिजूल खर्च किया गया है, यह बड़ी गलत बात है।

मैं बता दूं टेलीफोन के बिलों के बारे में बहुत-सी बातें कही गई। मेरी समझ में नहीं आता यह सब। ("हीयर हीयर" की आवाज विरोधी पक्ष की ओर से) मैं तो कई बार यह भी देखता हूँ कि कितनी बेबुनियाद बातें कही जाती हैं। रामकरण जोशी ने दो बंगले बना लिये हैं, अपनी बीबी के नाम पर बम्बई में और ६ हजार एकड़ बीघा ज़मीन लेली है अपने नाम पर; और इस तरह से कई बातें बिना ठोस कारणों के कह देते हैं। उन सब का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता।

कुँ० श्री **जसवन्तसिंह**—आप चेलेन्ज एक्सेप्ट करते हैं ?

श्री **जयनारायण व्यास**—टेलीफोन्स में एक हजार से दो हजार भी खर्च हो सकते हैं। बिना डिटेल के जो बातें कही जाएँ उन बिलकुल वेग (Vague) बातों के बारे में जवाब देने की डिटेल में मैं नहीं जा सकता।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अगर डिटेल्स दी जावें तो क्या आप एन्क्वायरी करने को तैयार हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—डिटेल सच्चाई हो तो डिटेल की एन्क्वायरी जरूर करेंगे।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—बस यही पूछना था।

श्री **जयनारायण व्यास**—भैरूँसिंहजी, ऐसा मालूम पड़ता है, कभी तो एक मुसलमान है प्रेस का उस पर महरबानी कर जाते हैं......

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—कभी मैंने उनके लिए नहीं कहा है। यह कैसे आपको याद रह गया है ?

श्री **जयनारायण व्यास**—मैं पुरानी बात कहता हूँ। शायद आपको याद न रही हो। मैं डिबेट को कभी लाऊँगा।

श्री भैरूँसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो मेरे लिए वर्ड्स कहे हैं कि मुसलमान होने के नाते मैंने कोई बात कही, यह मेरी तोहीन की है। इसलिए वे अपने शब्दों को वापिस लें तो अच्छा होगा।

श्री **जयनारायण व्यास**—जिस संगठन के साथ आपका सम्बन्ध है उसके पेपर रेकॉर्ड्स और भाषण आदि बहुत-सी बातें में रख सकता हूँ; पर उस चर्चा में मैं नहीं जाता। अगर नहीं कहीं हैं, ऐसा आप कहते हैं तो इससे मुझे सन्तोष है और अगर कही हैं तो......

कुँ० श्री **जसवन्तसिंह**—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, वह संस्था जिसको कि ये (श्री भैरूँसिंह) बिलांग करते हैं उसका सवाल नहीं है। उनके नाम से कहा गया है और यह वाकई में ऑब्जेक्शनेबल है।

श्री जयनारायण व्यास—मेरा इम्प्रेशन ऐसा हो सकता है और वह इम्प्रेशन किसी न किसी स्पीच से हो सकता है। किसी और की स्पीच से भी हो सकता है। इसलिये जहां तक इस इम्प्रेशन का सवाल है 'I stand correct' वह मंशा है, इसमें कोई शक नहीं। आपने सुपरिन्टेन्डेन्ट के बारे में नहीं कहा, यह हो सकता है। इस बारे में अगर वह कहते हैं तो मुझे अफसोस है कि आपका नाम आ गया।

कुँ० श्री **जसवन्तसिंह**—पर, इसमें मुसलमान का सवाल कैसे पैदा हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास—वह मुसलमान हैं।

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—तो इससे क्या हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास— मिस्टर खैरी के बारे में कई बातें कही गई। वे बिलकुल नॉन कन्सीव्ड (Non Concieved) हैं। कस्टोडियन के सामने उनके दो एक मुकद्दमे थे। जो रिमार्क्स इस बारे में दिये गये है और जो डॉकुमेन्ट्स इस बारे में हैं अगर उन को समझा जाता तो मालूम होता कि कितना गलत तौर पर कस्टोडियन के सामने वह मुकद्दमा चला। कई लोग ऐसे मामले में इन्टरेस्टेड होते हैं, तो अगर कोई मुकद्दमा चले किसी के खिलाफ अथवा किसी ने कोई बात कह दी किसी के खिलाफ और उसको इसी पर एक दम एक्यूज्ड और कन्विक्ट समझ लेना, मैं समझता हूँ कि यह कोई कानूनन भी सही बात नहीं है और कोई वाजिब बात भी नहीं है।

दूसरी बात आती है कॉन्फीडेन्स की। कहा जाता है सभी में कॉन्फीडेन्स रखना चाहिये। मैं कहना चाहता हूँ कि कॉन्फीडेन्स कोई बाजार की चीज़ नहीं है। कॉन्फीडेन्स जिसका जिसमें है उसमें ही वह रख सकता है। यह डिस्क्रीशन है मन्त्री का। उसके अधिकार की बात है कि वह अपने कॉन्फीडेन्स के आदमी रक्खे। जिस तरह कि आपको भी अधिकार है कि आप अपने डाक्युमेन्ट्स, अपने सीक्रेट्स ऐसे आदमी को दें जो आपके कॉन्फीडेन्स के हैं। तो कॉन्फीडेन्स के आदमी के बारे में

[श्री जयनारायण व्यास]

आपकी सलाह मानने में मैं असमर्थ हूँ और इसमें फिर खर्चा भी ज्यादा नहीं है । तो इस चीज को तो यहाँ लाना भी गलत बात थी। खर्चा ज्यादा बढ़ा हो, इससे ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती।

अब प्रेस के मुताल्लिक यह बताया गया कि ३॥ रुपया की चीज १॥ रुपये में आ गई।......

श्री जवानसिंह—यह बिल्कुल गलत है। ३॥ रु० के बजाय १॥ रु० में ली गई, नहीं कहा। मैंने यह निवेदन किया था कि प्रेस में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से सामान लेने जाते हैं तो उसके किराया और रोजमर्रा के भत्ते को मिलाकर ८),६) रुपये खर्च हो जाते हैं और अगर सामान वह लेता है तो २),३) रुपये का।

श्री जयनारायण व्यास—टेन्डर का कुछ जिक्र आपने किया था।

श्री जवानसिंह—जी हाँ। उसमें डेढ़ रुपये की चीज़ साढ़े तीन रुपये में ली गई, कहा था।

श्री जयनारायण व्यास—मैं उसी बात को दोहरा रहा था। कई बार प्रेस के मुत्तल्लिक, अध्यक्ष महोदय, शिकायतें आ जाती हैं कि डेढ़ रुपये की चीज का टेन्डर साढ़े तीन रुपये में पास किया गया; दूसरे आदमी ३) रु० में ही देने को तैयार थे लेकिन उन्होंने ४) रु० में लिये। ऐसी कई चीजें सुनने में आती हैं तो उसकी जांच हो जाती है। दूसरे, यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत वर्ष में व्यापारियों और सप्लायर्स में प्रतिस्पर्धा भी है और गड़बड़ करने की भी उनकी आदत है। तो इस प्रतिस्पर्धा की वजह से कई झूठी बातें सही हो जाती हैं और कभी ऐसा भी हो सकता है कि टेन्डर्स का कई लोगों को पता नहीं चलता और चुपचाप कोई भी चीज़ का कोई टेन्डर दे देता है; और चूंकि टेन्डर की यह परिपाटी है चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आपको उसे मन्जूर करना पड़ता है। टेन्डर एक्सेप्ट होने से पहले अगर वह नोटिस में आ जाय, तो हम टेन्डर्स को रोक देते हैं और कई दफे रोके हैं तो कई रिट की भी धमकी दे देते हैं; तो उनके लिए हमें कानूनदांओं की राय लेनी पड़ती है, इससे अधिक कानूनदां रखने की भी जरूरत पेश आ जाती है। ट्रन्क टेलीफोन के १० हजार रुपये हैं, वह टेक्नीकल गलती से हुआ है। बात यह है कि इस हेड के अन्दर पहले एक टेलीप्रिन्टर का खर्चा चलता था और वह कुछ गलती से टेलीप्रिन्टर का खर्चा इस हेड में नहीं रखा था और दूसरे हेड में रखने से भी रह गया है। उस टेलीप्रिन्टर का खर्चा जो है वह इधर लगाने का है। वह अर्से से चला आ रहा है। कोई एक्सेस खर्चा कर दिया हो, ऐसी बात नहीं है।

मैं बिल्स आफ स्टेशनरी के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूँ। वह यह है कि हमें अभी भी पुरानी स्टेटों के हिसाब-किताब साफ करने पड़ रहे हैं। कई जगह यह हेडस सस्पेन्स, अकाउन्ट्स के

[श्री जयनारायण व्यास]

अन्दर यह बिल्स थे। वहाँ ऐसा होता था कि चीजें खरीद ली जाती थीं और वह इसलिए खरीद ली जाती थीं कि उसकी वापसी बिक्री हो जायगी तो पैसा मिल जायगा, तो वे सस्पेन्स में रख देते थे। कई स्टेट्स में ऐसा नहीं था लेकिन राजस्थान के एकाउन्टेन्ट जनरल के कहने के बाद इसका एक अलग मद मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन, फिर भी सस्पेन्स एकाउन्ट बाकी रह गये, उनको साफ करना पड़ेगा। श्री हरिकृष्ण जी का मत है कि एक ऑर्डर दे दो कि पुराना हिसाब-किताब नहीं करेंगे। यह कैसे हो सकेगा? हम एक स्टेट हैं और हमारा एक संगठन है। कोई भी चीज पहले के अनुसार की जाय। रुपया देना है तो कायदे से देना चाहिए। यह कहना कि एक दफा में पुराना देना है वह एक-सा कर देना चाहिए। यह ईमानदार सरकार का काम नहीं है। पुराने एडजस्टमेंट बाकी हैं, वह नहीं करना चाहिए। आज के बाद जो एडजस्टमेंट बाकी हैं वह नहीं देंगे; इस तरह का एलान कर देना, उसको राइट ऑफ कर देना, यह कोई ईमानदारी की बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि ईमानदार होने की बात कहने वाले श्री हरिकृष्ण व्यास ईमानदारी से कहेंगे, न कि बेईमानी से। जिन बेचारों का लेना है तो आपकी बात के अनुसार नहीं दें तो यह चीज गलत हो जायगी। वह द्रोपदी का चीर हो सकता है। यह स्टेट का संगठन है, उसमें बहुत सारी बातें द्रोपदी का चीर है। न्यायालय में भी बहुत सारी बातें द्रोपदी के चीर की तरह चलती हैं। उसमें बहुत पुराने फैसले आज होंगे, बहुत पुराने लेनदेन आज साफ होंगे। स्टेटों में भी मांगते हैं और स्टेटें भी मांगती हैं कई लोगों में। वे हिसाब-किताब चलेंगे। पुराने हिसाब-किताब का देना-लेना चलता रहेगा। इसमें यह कहने से क्या फायदा कि द्रोपदी का चीर हो गया, भानुमती का पिटारा हो गया। मैं चाहता हूँ कि जो एक्स्पेन्डीचर हो गया है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ आइटम्स इधर-उधर हो गए हैं, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, कुछ पुराने एडजस्टमेंट हो गये हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सभापति......

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—फिर आप खड़े हो गये?

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसका मैं रिप्लाई दूँगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा।

श्री सभापति—दो मिनट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे यह नहीं मालूम था कि एक बात माननीय वित्तमन्त्री जी और जानते हैं और वह है चकमा देना!

श्री **जयनारायण व्यास**—और कौन सी बात मिल गई? उसका भी उत्तर देने को तैयार हूँ।

श्री कँवरलाल जेलिया—साम्यवाद ने यही सिखाया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप भी सीखने की कोशिश कीजिये, डिप्टी मिनिस्टर बन जायँगे? मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमें यह बताया गया है कि एडीशनल चीफ सेक्रेटरी के लिए भी खर्चा करना पड़ा।

श्री जयनारायण व्यास—कुछ थोड़े-से अरसे के लिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जी हाँ। मैं आ रहा हूँ। फाइनेन्स सेक्रेटरी के लिए भी करना पड़ा। जरा आप बजट को मुलाहिजा कीजिए तो मालूम होगा कि एडीशनल चीफ सेक्रेटरी के लिए पूरे साल का प्रोवीजन आपने उसमें रखा है और १ अप्रेल से वह श्रीमानजी यहाँ से पधार गये, अर्थात् यह जो २६,८०० रु० का जो प्रोवीजन रखा गया है वह बचना चाहिए था। इसमें सप्लीमेंट्री डिमान्ड आने के बजाय कुछ सेविंग होनी चाहिए थी और आपने यह जो बजट की रकम है उसको गड़बड़-घोटाले में खर्च कर दिया और अन्य सप्लीमेंट्री डिमान्ड रख दी। तो एक ऐडीशनल चीफ सेक्रेटरी रखा और एक फाइनेन्स सेक्रेटरी रखा। हद हो गई, इस पर और क्या कहें। इस बात को कुछ जिम्मेवरी की दलील ही नहीं मानते हैं कि २६,८००) रु० का जो प्रोवीजन है यह तो बच गया और उसको अन्य खर्चे के शामिल कर लिया। बजट में गौर फरमावें, माननीय सभापति, तो पता लगेगा; पेज ५१ बजट ५३-५४ के टोप (top) पर है।

दूसरी एक और बात फरमाई माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कि हमें एक नेशनल सेविंग्ज़ ऑफिसर मुकर्रर करना पड़ा और मेरा खयाल है कि उनका ध्यान इस ओर है जो कि मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल सेविंग्ज़ ऑफिसर इसलिए मुकर्रर करना पड़ा "To spend to save"। कुछ खर्चा किया जाय जिससे आगे चलकर बचत हो जाय और उन्होंने ३५-४० लाख रुपये जमा कर लिए। नेशनल सेविंग्ज़ ऑफिसर तो मुकर्रर अभी-अभी आपने किया जब कि और जगह उसके लिए कानूनी अड़ंगे आने लगे। और आज टू सेव वाला, टू स्पेन्ड वाला या इतना बड़ा सिद्धान्त आने लगा...

श्री जयनारायण व्यास—अभी थोड़े अरसे पहले ही से आने लगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बात यह है कि उसके पी. ए. बनने में कुछ कानूनी अड़चनें आई तो उसके लिए यह जगह बना दी। लेकिन २ महीने में ही उसके पास ३५-४० लाख रुपया जमा हो गया क्या? अगर यह आप देखेंगे कि इस नेशनल सेविंग्ज़ ऑफिसर के मुकर्रर होने के बाद यह पैसा जमा हुआ है क्या, तो पता चलेगा कि यह पहले से ही हो गया है।

श्री जयनारायण व्यास—नहीं कुछ लाख हुए थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—३५-४० लाख का जो टोटल हुआ है वह पहले से था। मगर आपने गलत बताने की कोशिश की। नेशनल सेविंग्ज़ आफिसर तो मुकर्रर किया गया है अभी कुछ महीने पहले। प्रयत्न ऐसा किया गया कि इस अफसर को हम अवश्य ३००) या ४००) रुपये दे रहे हैं, लेकिन बेचारे ने ४०-४५ लाख रुपये जमा कर लिये। तो इस तरह की कई बातें कहना झूटी चीज है। न सिर्फ आज के बजट की बात हुई कि आप ऐसा चकमा देते हैं और इस तरह से पास करा लेना चाहते हैं, बल्कि हर बार यही होता है। इस तरह इसके सम्बन्ध में अपनी राय नहीं दें, यही आप लोग चाहते हैं।

Page No.85

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरी बात यह कही गई है कि इल्जाम जो लगाये जाते हैं, अगर डिटेल्स आयें तो आप जाँच करा सकते हैं। तो मैं डिटेल्स प्रस्तुत करता हूँ। वह डिटेल्स हैं माननीय श्री मथुरादास जी के निस्बत। वह महीना नवम्बर, १९५१ का है। वह खर्चा करीब-करीब १२०० रुपये का है। फिर डिटेल्स आप चाहते हैं तो वह टेलीफोन किया है श्रीमान् मथुरादासजी के चपरासी ने जोधपुर कमिश्नर के दफ्तर में। कमिशनर जोधपुर ने शिकायत की है चीफ सेक्रेटरी से, उस समय के जो श्री शिवेश्वरकर चीफ सेक्रेटरी थे उनसे और आप पूछना चाहते हैं अगर डिटेल्स तो बहुत से डिटेल्स हैं। जाँच करवाने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन यह कहकर कि हवाई बातें की जा रही हैं जाँच उनकी क्या की जाय? यह कहकर हमें बातों में भुलाया नहीं जाय। मैं यह नहीं समझा कि इस मामले में परदा डालने की कोशिश क्यों की जा रही है और इसलिए भी यह आवश्यक है कि यह सवाल रखा जाय। यह सोचकर ही मैंने अर्ज किया है। खैर, मुझे और ज्यादा सुनाना नहीं है, इसलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

(श्री मुख्य मन्त्री के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब राइट ऑफ रिप्लाई नहीं हो सकता है।

श्री जयनारायण व्यास—कई नई बातें इन्ट्रोड्यूस की गई हैं, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा।........

मैं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहूँगा। आपने एडीशनल चीफ सेक्रेटरी के लिये तीन हजार रुपये का हिसाब बताया उस हिसाब से ३६ हजार रुपये साल के हो जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे तो बीच में ही १ अप्रेल को चले गये थे।

श्री जयनारायण व्यास—१ अप्रैल को साल खत्म हो जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—५३-५४ में तो आप उसको एक पैसा भी नहीं देते हैं।

श्री जयनारायण व्यास—कंट्रीब्युशन बाद में मिलता है, यह हमारे भाई को पता नहीं है।

श्री सभापति—आप अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं या प्रेस करना चाहते हैं?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मुँह काला करवाना है तो वापिस लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कटौती प्रस्ताव पर वोट लिये जायं।

श्री सभापति—श्री हरिकृष्ण व्यास का इस माँग पर जो कटौती प्रस्ताव है क्या सदन को यह स्वीकार है?

(अस्वीकृत)

Page No.86

[श्री सभापति]

श्री हरिकृष्ण व्यास का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री भैरूसिंह के कटौती प्रस्ताव पर सदन का क्या मत है ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अब श्री जवानसिंह के कटौती प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट किया जावे।

(अस्वीकृत)

श्री जवानसिंह का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

Now the question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,66,000/-be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1954, in respect of Grant No. LV, Major Head 25—General Administration D-Secretariat and Headquarters Establishment.

(विराम)

The demand is granted.

We now adjourn for tomorrow at 8. 30. A. M.

(सदन की कार्यवाही १२-४० (मध्यान्ह) पर दिनाँक १२ मार्च के ८-३० प्रातः तक के लिये स्थगित हुई।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक—११ मार्च, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा

परिशिष्ट १

(प्रश्न संख्या १२० का उत्तर देखिये)

भाग (क) का उत्तर

क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	किस्म व मिकदार	उपज
१	२	३	४
किशनगढ़ वास (अलवर)	२६०	बाजरा १०० एकड़ में बोया गया अन्न तथा सरसों १६० एकड़ में बोई गई।	६०० मन आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
वाराँ	३०२	तिल १२० एकड़ में बोया गया	५४० मन
		जुवार ५५ एकड़ में बोई गई	१५० मन
		१२७ एकड़ में वर्षा की कमी के कारण कुछ नहीं बोया गया	
डूँगरपुर	१६२५	अनाज उत्पन्न किया गया	६००० मन
राजसमंद	१८०	उपज के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	
सुमेरपुर	४८६५	गेहूँ, जौ बोए गये उपज के आँकड़े रबी की फसल के बाद उपलब्ध होंगे।	
हिन्डोन रायसिंहनगर		प्रोग्राम नहीं था	

भाग (ख) का उत्तर

उदयपुर सर्किल

क्रम संख्या	नाम तालाब व नहर	नाम जगह	विशेष
१	गट वाटेश्वर	डूँगरपुर	७०% मिट्टी का कार्य समाप्त हो गया है।
२	देवलपाल	,,	७५% ,,
३	खेरी	,,	८०% ,,
४	गोकुलपुरा	,,	६५% ,,
५	शालदाई	,,	६७% ,,

Page No.88

क्रम संख्या	नाम तालाब व नहर	नाम जगह	विशेष
६	चांदोली	,,	६०% ,,
७	वाकला	,,	७५% ,,
८	सुन्दरपुरा	,,	काम अभी चालू हुआ है।
६	चपरी	राजसमन्द	काम अभी चालू है।
१०	खंडाल	,,	,,
११	भावल के ताल	सुमेरपुर	३५% कार्य समाप्त हो चुका है।
१२	सिवारी तालाब	,,	कार्य अब शुरू किया जावेगा।
१३	बटवाड़ा	बारान	,,
१४	गोविन्दपुरा	,,	,,
१५	दो बन्ध बाण गंगा नदी पर	,,	टैन्डर मांगे गये हैं।
१६	कलमन्डा	,,	अन्वेषण किया जा रहा है।
१७	मुन्डल	,,	,,
१८	एक (१) एल-सी से ६ एल-सी तक।	रायसिंह नगर	

उपरोक्त कामों में से केवल रायसिंह नगर की नहर का काम पूरा हुआ है और उससे ४६२५ एकड़ भूमि में सिंचाई होना शुरू हो गया है।

भाग (ग) व (घ) का उत्तर

राष्ट्रीय सप्ताह व राष्ट्रीय पक्ष के अवसर पर जिला उदयपुर में जो काम शुरू किये गये थे उनकी सूची

नम्बर	तहसील	काम का नाम	विशेष विवरण
१	उदयपुर	टांटील तालाब का कार्य	पूरा नहीं हुआ
२	,,	बागोल सड़क का कार्य	,,
३	,,	कड़िया लोसिंग ताल्लुक का कार्य	,,
४	वल्लभनगर	नवानिया बाँध व तालाब	,,
५	,,	बान्सड़ा बाँध व तालाब	,,
६	,,	वल्लभनगर स्टेशन से वल्लभनगर सड़क का कार्य	,,

नम्बर	तहसील	काम का नाम	विशेष विवरण
७	बल्लभ नगर	ऊंडी तलाई का कार्य	पूरा नहीं हुआ
८	,,	भिन्डर सड़क	,,
९	,,	टाकेत सड़क	,,
१०	,,	कानोड़ स्कूल बिल्डिग	,,
११	,,	खेड़ा स्कूल बिल्डिग	,,
१२	,,	मोडी स्कूल बिल्डिग	,,
१३	लसाड़िया	लसाड़िया सेधरियाकर सड़क	,,
१४	,,	लसाडिया से कनोड़ (इन होकर) सड़क	,,
१५	,,	लसाड़िया से कानोड़ (काली भींत होकर) सड़क	,,
१६	,,	लसाडिया से अमर तक सड़क	,,
१७	,,	देवला तालाब	,,
१८	,,	६७-६८ खाद के खड्डे लसाडिया व धरियावर में खोदे गये	,,
१९	खेरवाड़ा	गोड़ी से खेरवाड़ा तक सड़क का कार्य	पूरा नहीं हुआ
२०	राजसमन्द	केलवा आमेर सड़क	काम जारी है
२१	,,	केलवा स्कूल बिल्डिग	,,
२२	,,	मोही कॉकरेली सड़क	,,
२३	,,	पीपली अहीराम में स्कूल बिल्डिग	,,
२४	,,	खांडेल और रेल मगरा फेयर वेदर रोड पर प्रलिया।	,,
२५	राजसमन्द	१५६८ वृक्ष लगाने के व ७०० खाद के गड्डे खोदने का कार्य भी किया गया।	
२६	रेलमगरा	रेलमगरा मिडिल स्कूल का कार्य जो राष्ट्रीय सप्ताह में शुरू किया गया।	
२७	,,	मवेशियों के पानी पीने के लिये ५ नाडिये, २६३ खाद के गड्डे खोदे गये व १३०० वृक्ष लगाने के खड्डे।	
२८	कुम्भलगढ़	केलवाड़ा के तालाब की नहर की मरम्मत की गई और ४५६ खाद के २५७३ खड्डे वृक्ष लगाने के लिये खोदे गये।	
२९	कोल्डा	कुछ वृक्ष लगाने के लिये खड्डे खोदे गये।	
३०	सावरा	तहसील हेडक्वाटर पर १०० फीट लम्बा व १० फीट चौड़ा एक खुर्रा	

नम्बर	तहसील	काम का नाम	विशेष विवरण
३१	,,	पदराड़ा के गांव वालों ने पदराड़ा के तालाब की मरम्मत कराई ।	
३२	,,	मौजा समराल की सड़क पर ५० खड्डे हटा कर मरम्मत की ।	
३३	,,	मौजा मगोवड़ के तालाब की पाल तैयार की गई और पानी पीने के लिये कुए तक का रस्ता साफ किया गया ।	
३४	सावरा	मौजा रावा के तालाब की पाल की मरम्मत की गयी ।	
३५	,,	मोखल में खाद के खड्डे खोदे गये	
३६	,,	आंवरा में खाद के खड्डे खोदे गये और आंवरा से आटी बावड़ी तक की सड़क बनाई गयी	
३७	,,	मंजरा गनेशजी की गुड़ा में एक प्याऊ साफ की गई ।	
३८	सखुम्बर	कुछ खाद के व कुछ वृक्ष लगाने के खड्डे खोदे गये ।	

परिशिष्ट २

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्न-काल में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१५२ (३६/आर. एम.) श्री भैरूसिंह बरकाना डिविजन नम्बर १२—कृपया कृषि मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि:—

(अ) गाँव सेवाड़ी तहसील बोली की गोचर भूमि का रकबा कितना है ? इसमें से कितनी भूमि पर लगान लिया जाता है और कितनी पर नहीं ?

(आ) चरागाह की भूमि पर राजस्थान में कहाँ-कहाँ लगान लिया जाता है ?

(इ) क्या जनहित का ध्यान रखते हुए जनसाधारण द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली इस गोचर भूमि पर से लगान हटाने का सरकार इरादा रखती है ?

(ई) क्या सरकार गाँव सेवाड़ी तहसील बाली की गोचर भूमि के प्रश्न की पूर्ण जांच करके इस लगान के उचित-अनुचित पर ध्यान देगी ?

उत्तर

(अ) इस बारे में अभी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है । प्राप्त होने पर सदन के समक्ष प्रस्तुत करदी जायगी ।

(आ) जो भूमि चरागाह के रूप में छोड़ी गई है उसके ऊपर राजस्थान में कहीं भी लगान नहीं लिया जाता ।

(इ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(ई) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इसका निर्णय जनहितों को ध्यान में रखते हुये ही किया जायगा ।

प्रश्न

१५३. (८५/सी. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम., एल. ए. डिविजन नम्बर ८७—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में कितने पुलिस कर्मचारियों पर ५३-५४ में मुकदमें चलाये गये और उनमें से कितने अपराधी साबित हुए ?

उत्तर

सन् १६५३-५४ के अन्तर्गत १७७ पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध मुकद्दमें चलाये गये जिनमें से ५७ सजायाब हुए और ५६ रिहा व डिस्चार्ज किये गये। शेष ६४ अभी जैर फैसला अदालत है।

प्रश्न

154 (37. C. M.) Shri Mohabbat Singh, M. L. A.,– (Div. No 100): Will the Chief Minister be pleased to state:—

Is the Government contemplating to complete the Darbar Boarding House Building of Sirohi.

उत्तर

The building of Durbar Boarding house (Sarneshwarji's Board ng House) at Sirohi has not so far been transferred to the Public Works Department. It is understood to be with the Devasthan Department from whom further details may be collected. The matter is being investigated and full facts will be intimated later.

प्रश्न

१५५. (५७/एफ. एम.) श्री जवानसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ६७—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या राजस्थान का सर्वे सिंचाई के दृष्टिकोण से किया गया है ? अगर नहीं, तो मौजूदा सिंचाई योजनाओं के प्रारम्भ करने का आधार क्या है ?

(ख) क्या इस कार्य हेतु सरकार अलग से कर्मचारी नियुक्त करने का इरादा रखती है ?

(ग) जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(क) राजस्थान की अधिकतर नदियों नालों की जांच की गई है और जहां सिंचाई योजना सम्भव पाई गई वहां पर बनाई गई है; बाकी हिस्सों की भी जांच करने का इरादा है।

(ख) हाँ।

(ग) जहां वर्षा उतनी कम होती है कि पानी जमा करने के बांध नहीं बांध सकते वहां अगर संभव हो सकता है तो दूर की नदियों से नहरों द्वारा पानी लाने का प्रयत्न किया जाता है।

प्रश्न

१५६. (४२/आर. एम) श्री रावत शम्भूसिंह एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३६—क्या मन्त्री राजस्व विभाग उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) तहसील सहाड़ा और रायपुर में किसानों को तकावी देने के वास्ते इस वर्ष कितनी रकम स्वीकार की गई है? उसमें से कितनी रकम अब तक जा चुकी है और कितने किसानों के आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुए है?

(ख) उपरोक्त तहसीलों के किसानों को किस किस प्रकार का कितना बीज और खाद दिया गया?

उत्तर

(क) तहसील सहाड़ा...... २५०० रुपया.

तहसील रायपुर...... २५००,,

इनमें तहसील सहाड़ा में ३४ आदमियों की स्वीकृत रकम तकावी के रूप में दी जा चुकी है। तहसील रायपुर में २४५० रुपया २४ आदमियों को तकावी के रूप में दिये गये हैं। ग्रोमोर फूड के लिए भी इन दोनों तहसीलों में २५०,२५० रुपये की रकम देना स्वीकृत हुई है। तहसील सहाड़ा में इस रकम के मद्दे कुछ भी नहीं बांटा गया। तहसील रायपुर में १८० रुपये ४ आदमियों को दिये गये हैं।

अब तकावी लेने के लिए कोई आवेदन पत्र शेष नहीं है।

(ख) किसानों को बीज के रूप में कोई तकावी नहीं दी गई। सन् १९५३ मई में तहसील सहाड़ा में ३ टन व तहसील रायपुर में १ टन और १२ हंडरवेट अमोनियम सल्फेट की खाद दी गई।

प्रश्न

१५७. (८७/सी. एम.) श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—डिविजन नम्बर ५६—क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान सरकार ने गत २ वर्षों में अर्थात् अप्रेल १९५२ से सितम्बर १९५३ तक शिड्यूल्ड कास्ट में से भी गजेटेड ऑफीसर बनाए?

(ख) यदि बनाए तो कितने, कहाँ कहाँ पर और किस किस पोस्ट पर?

(ग) यदि नहीं बनाये, तो क्यों नहीं?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

प्रश्न

१५८. (६७/एम. एम) श्री शम्भूसिंह एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १३६—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या भीलवाड़ा से गंगापुर व गंगापुर से कुवारिया तक कोई सड़क बनाई जा रही है ?

(ख) यह कार्य किस साल से प्रारम्भ हुआ और किस मील से किस मील तक कार्य हो रहा है ?

(ग) इस सड़क के ठेके कब कब और किस किस को दिये गये और कार्य समाप्त करने की क्या अवधि रखी गई ?

(घ) क्या अवधि के अन्दर कार्य समाप्त हुआ ? यदि नहीं हुआ, तो क्या कदम उठाया गया ?

(ङ) क्या सरकार को यह विदित है कि गंगापुर के लिये यही एक सड़क है और इसके शीघ्र पूरा न होने से वहाँ की जनता को कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है ?

(च) सरकार अब इस सड़क को कब तक पूर्ण कर देगी ?

उत्तर

(क) भीलवाड़ा से गंगापुर ३१ माईल व गंगापुर से कुंवारिया स्टेशन १८ माईल है।

(ख) हां। भीलवाड़ा से गंगापुर तक सड़क का काम चार टुकड़ों में माइल २८ से ३२, ३३ से ३६, ५० से ५३, व ५४ से ५६ में हो रहा है। यह काम दिनांक १४-४-५३ से चालू है।

गंगापुर से कुंवारिया स्टेशन तक की सड़क का कार्य माईल २३, २४, २५।४ से २६।४ जो कि भीलवाड़ा डिविजन में सड़क का हिस्सा आता है, दिनांक ६-३-५३ से चालू है।

(ग) इस सड़क के कार्य के ठेके निम्नलिखित ठेकेदारों को दिनाँक जो कि हरएक कार्य के आगे लिखे हुऐ हैं दिये गये हैं इन कार्यों की अवधि भी हरएक के सामने लिख दी गई है।.

क्रम संख्या	काम नाम	ठेकेदार का नाम	तारीख कार्य शुरू करने की	तारीख काम खत्म करने की
(१)	गंगापुर से कुंवारिया स्टेशन तक जो कि भीलवाड़ा डिविजन में आता है सेक्शनः—२	श्री श्रीराम विजयवर्गीय	६–३–५३	८–१०–५३
(२)	भीलवाड़ा गंगापुर सड़क माइल २८ से ३२ सेक्शनः—३	श्री जयसिंह ब्रदर्स	१०–३–५३	२५–१–५४
(३)	उपरोक्त सड़क माइल ३३ से ३६ सेक्शनः—४	मेसर्स अर्जुन देव ब्रदर्स	१४–४–५३	१४–१–५४
(४)	उपरोक्त सड़क माइल ५० से ५३ सेक्शनः—५	मेसर्स अर्जुन देव ब्रदर्स	१४–४–५३	१४–१२–५३
(५)	उपरोक्त सड़क माइल ५४ से ५६ सेक्शनः—६	मेसर्स ओमकार्यालय	२३–२–५३	१०–६–५३

(घ) अवधि के अन्दर ठेकेदार कार्य समाप्त नहीं कर सके। ठेकेदारों को ठेके रद करने के बारे में शर्तनामों की शर्तों के अनुसार नोटिस दिये गये। दुबारा नये टेंडर दो दफा मांगे गये परंतु कोई भी ठेकेदार कार्य लेने के लिये तैयार नहीं हुआ। अतएव इन्हीं ठेकेदारों से कार्य पूरा काराने के लिये मजबूरन हुक्म देना पड़ा।

(ङ) सरकार को यह विदित है कि गंगापुर के लिये यही एक सड़क है और इसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है।

(च) इस सड़क का कार्य दिनांक ३०–६-५४ तक पूर्णतया समाप्त करने की आशा की जाती है।

प्रश्न

१५६. (७१/एफ. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ४६—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) गंगानगर के नहरी क्षेत्र में सरकार ने आज तक कितनी पुलियाँ बनाई हैं और कितनी अभी बाकी हैं?

(ख) बाकी पुलियाँ सरकार कब तक बनाने का विचार रखती है?

(ग) यदि नहीं बनाना चाहती है तो इस जमीन से वसूल शुदा रकम को सरकार कब तक वापिस लौटा देगी ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) गंगानगर के नहरी क्षेत्र में सरकार ने आज तक १,४४२ पुलियां बनाई हैं और अभी २,६६६ पुलियाँ बनाना बाकी है। इनके बनाये जाने का विषय सरकार के विचाराधीन है।

जो रकम इन पुलियों के बनाने के लिये इस जमीन से वसूल हुई थी वह लगभग सारी खर्च हो चुकी है अतः लौटाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न

१६०. (७४/एफ. एम.) श्री चाँदमल मेहता, डिविजन नम्बर ८७—क्या निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) किशनगढ़ पॉवर हाउस की अव्यवस्था की वजह से लोगों को बिजली ठीक समय पर नहीं मिलती है ?

(ख) यदि हाँ, तो इसके सुधार के लिये सरकार क्या कर रही है ?

उत्तर

जिस समय किशनगढ़ पॉवर हाउस की व्यवस्था सरकार ने अपने अधिकार में ली थी उस समय पॉवर हाउस के एंजिनों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी। उसकी दशा सुधारने का शीघ्रातिशीघ्र पूर्णरूपेण यत्न किया गया, एंजिनों की मरम्मत की गई व उनका सुधार किया गया। कुछ समय पूर्व जब एंजिन की ओवरहॉलिंग हो रही थी उस समय कनेक्शन बन्द कर दिये गये थे। किन्तु अब वहाँ की स्थिति सन्तोषजनक है और जनता को बिजली ठीक रूप से मिल रही है।

प्रश्न

१६१. (४६/आर.एम.) श्री चाँदमल मेहता डिविजन नम्बर ८७—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) डांग (तहसील अराई) की बीड़ में से कुछ जमीन को काश्त करने के लिये पानड़ियाँ दे दी गई है जिससे चरागाह की कमी पड़ गई है ?

(ख) यदि हाँ, तो यह बतलाने की कृपा करें कि पानड़ियाँ कब दी गई और पानड़ियाँ के माफिक काश्त करने का अमल कब से हो गया है ?

(ग) क्या यह सही है कि पानड़ी प्राप्त करने वाले किसान ने उक्त जमीन को दूसरे को बेच भी दी है ?

उत्तर

ग्राम डांग तहसील अराई में 'डांग बीड' के नाम से कोई जमीन नहीं है। कुछ बंजर व पड़त कदीम के पर्चे उनके काबिज मालिकों के नाम दिये गये हैं। इसके अलावा भी २२२१ बीघा जमीन के पर्चे किसी को नही दिये गये हैं और यह रकबा चरागाह के लिए काफी है।

इस इलाके का काम बन्दोबस्त अभी हाल ही में पूरा हुआ है और पर्चे बांट दिये गये हैं। जमीनों के बेचान के बारे में सरकार के पास अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न

१६२. (८८/सी. एम.) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, डिविजन नम्बर ५६—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार ने ता० ६ अक्टूबर, ५१ की एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल कर प्याउओं पर नाली लगाने वालों के प्रति कड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी थी?

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कितने प्राइवेट और सरकारी प्याउओं पर प्रतिबन्ध लगाया?

(ग) कितनों का चालान किया गया, अथवा उनके पानी के कनेक्शन काटे गये?

(घ) इस दिशा में अब तक क्या ठोस कदम उठाया गया है?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

नहीं।

(क) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

१६३. (७२/एफ. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ४६—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) साल १६५२-५३ में गंगानगर में कितने दिन बंदी से हुई सिचाई कितने प्रतिशत हुई? यह सिचाई पहले सालों से अधिक हुई या कम?

(ख) यदि कम हुई तो क्यों? क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है अगर कर रही है तो क्या?

उत्तर

(क) साल ५२-५३ में गंगानगर में ३६ दिन बंधी हुई सिचाई ६५ प्रतिशत हुई। यह सिचाई पहले सालों से अधिक हुई।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न

१६४. (७३/ एफ. एम.) श्री जगतसिंह भाला, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ६४:-क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सूनेल भवानी मन्डी सड़क बनाने की जो स्वीकृति हुई है उसमें से राजस्थान का हिस्सा कब से बनाना शुरू होगा ?

उत्तर

आगामी वर्ष में कार्य शुरू कर दिया जावेगा।

प्रश्न

१६५. (४७/ आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए. डिविजन नं० ८६:-क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

क्या किशनगढ़ सब-डिविजन में काश्त के काम के लिए किसान अपनी जमीन में से भी बिना सरकारी आज्ञा के लकड़ी नहीं काट सकता ?

उत्तर

'राजस्थान रिमूवल ऑफ ट्रीज़ ऑर्डिनेन्स' १९४९ के अनुसार किसानों को अपनी जमीन में से घरेलू या काश्त के काम के लिए लकड़ी काटने का अधिकार है। अतः आज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न

१६६. (७७/ एफ. एम.) श्री नारायण चतुर्वेदी, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १०९:—क्या सिंचाई विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर तथा चाकसू तहसील के किन-किन गांवों के लोगों की तालाब या बांध बनाने की कितनी दरख्वास्तें सम्बन्धित विभाग में पहुँची हैं ?

(२) उन दरख्वास्तों में से कितनी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जयपुर तथा चाकसू तहसील के गाँवों के जमीनदारों की कोई दरख्वास्त इस साल में नहीं आई।

(२) यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

प्रश्न

१६७. (८०/एफ. एम.) श्री धर्मचन्द, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ३६:—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार सपोटरा से मलारना तक सड़क बनाने का भविष्य में इरादा रखती है ?

उत्तर

अभी कोई इरादा नहीं है, भविष्य में परिस्थिति-अनुसार इस बारे में विचार किया जावेगा।

प्रश्न

१६८. (८१/एफ. एम.) श्री धर्मचन्द, डिविजन नम्बर ३६:—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) करोली शहर में वाटर वर्क्स कब चालू होगा ?

(आ) अब तक की देरी का क्या कारण है ?

उत्तर

(अ) जहाँ तक इस कार्यालय का सम्बन्ध है वाटर वर्क्स को पूर्ण रूपेण तैयार करके स्थानीय म्युनिसीपैल्टी को १९५१-५२ में सम्भला दिया था। उनके ड्राइवरों से मशीन टूट जाने के कारण यह वाटर वर्क्स बन्द पड़ा है। जैसे ही म्युनिसिपैल्टी इसे चलाने का आवश्यक प्रबन्ध करदे वह चालू हो सकता है।

(ब) मशीन का टूटा हुआ भाग नया मंगाया जा चुका है।

Page No.100

परिशिष्ट २

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

DIVISION LIST

AYES 64

Motion regarding—"Leave to introduce the Rajasthan General sales Tax Bill, 1951.

S. No.	D. No.	Member's Name.	S. No.	D. No.	Mamber's Name
1	5	Shri Badri Lal	33	82	Shri Lal Bahadur.
2	7	Shri Balvir Singh.	34	84	Shri Lalu Ram.
3	15	Shri Bhawani Sahai Sharma.	35	85	Shri Laxman Hirat.
4	18	Shri Bhogi Lal Pandya	36	87	Shri Chand Mal Mehta.
5	19	Shri Bhola Nath.	37	91	S. Mahadav Prasad N. Pandit.
6	21	Shri Bishambher Nath Joshi.	38	92	Shri Mahadeo Prasad Banka.
7	24	Shri Chandan Mal Baid.	39	95	Shri Manna Bhil.
8	25	Shri Jai Narain Vyas.	40	96	Shri Manphool Singh Bhadoo.
9	27	Shri Chhanga.	41	101	Maulvi Mohammad Ibrahim.
10	33	Shri Damodar Vyas.	42	102	Shri Mohan Lal Sukhadia.
11	34	Shri Deen Bandhu Parmar.	43	104	Shri Mota Ram.
12	37	Shri Dharam Pal.	44	107	Shri Moti Ram.
13	38	Shri Dhulji Bhai Bhawsar.	45	109	Shri Narayan Chaturvedi.
14	40	Shri Durlabh Singh.	46	110	Shri Narayrn Lal.
15	41	Shri Ram Niwas Mirdha.	47	113	Shri Nathu Ram Mirdha.
16	43	Shri Ghasi Ram.	48	118	Shri Brij Sunder Sharma.
17	45	Shri Ghisi Singh Katela.	49	122	Shri Ram Chandra Choudhari.
18	46	Shri Jai Singh Ranawat.	50	125	Shri Ram Karan Joshi.
19	49	Shri Gurdayal Singh Sandhu.	51	126	Shri Ram Kishore Vyas.
20	51	S. Hans Raj Arya from Bhadra.	52	127	Shri Ram Lal Bansiwal.
21	52	Shri Hans Raj Jatia from Bari.	53	128	Shri Ram Ratan Tikkiwal.
22	53	Shri Hari Deo Joshi.	54	130	Shri Roshan Lal Sharma.
23	55	Shri Hari Ram Ninama.	55	133	Shri Sampat Ram
24	56	S. Hari Sankar Sidhant Shastri.	56	138	Shri Shah Alimuddin Ahmad.
25	58	Sardar Harlal Singh.	57	141	Shri Sri Bhan Singh.
26	59	Shri Hazari Lal Sharma.	58	142	Shri Shri Dass Goel.
27	65	Shri Jai Chandra Mobil.	59	145	Shri Sohan Lal Bhatnager
28	71	Shri Kapil Deo Agarwal.	60	146	Shri Soma Wala Bhil.
29	77	Shri Khet Singh.	61	153	Shri Tika Ram Paliwal.
30	78	Shri Kishan Lal Shah.	62	154	Shri Triveni Shyam Sharma.
31	79	Shri Mohanmad Abdul Hadi	63	155	Shri Udai Lal Verdia.
32	81	Shri Ladu Ram Choudhri.	64	159	Shri Virendra Singh.

Noes 38

S. No.	D. No.	Member's Name	S. No.	D. No.	Member's Name
1	1	Shri Abani Kumar Mookerji.	20	67	Shri Jawan Singh Solanki.
2	4	Shri Sardar Arjun Singh.	21	68	Jeyendra Singh.
3	8	Shrimati Yasoda Devi.	22	69	Shri Kan Singh.
4	10	Shri Jujhar Singh.	23	76	Shri Kesri Singh from Mandalgarah.
5	12	Th. Shri Bhairon Singh from Bali-Desuri.	24	100	Shri Mohabbat Singh.
6	13	Shri Bhairon Singh from Rajsamand Relmagra.	25	105	Shri Moti Chand Khazanchi.
7	16	Shri Bhairon Singh from Danta-Ramgarh.	26	108	Shri Mukti Lal Modi.
8	20	Shri Bhopal Singh	27	114	Shri Nathu Singh.
9	23	Maharaj Kumar Shri Brijendra Pal.	28	115	Shri Partap Singh from Chittor.
10	26	Pt. Chandra Kant Rao.	29	117	Shri Pratap Singh from Sujjangarh.
11	28	Shri Chatter Singh.	30	120	Major Th. Raghubir Singh.
12	30	Shri Chitter Lal Sharma.	31	131	Pt. Roop Narain Shastri.
13	42	Shri Ganpat Singh.	32	134	Shri Sangram Singh
14	47	Shri Gopi Lal Yadav.	33	137	Rao Raja Shri Sardar Singh.
15	57	Shri Hari Singh.	34	139	Rawat Shri Shambhu Singh.
16	61	Shri Raj Himmat Singh from Atru.	35	140	Maharaj Shri Sheo Das Singh.
17	63	Shri Ishwar Singh.	36	148	Shri Tan Singh.
18	64	Shri Jagat Singh Jhala.	37	150	Shri Tej Raj Singh Gainta.
19	66	Shri Jaswant Singh.	38	160	Shri H. K. Vyas.